राजस्थान विधान सभा

९ वीं बैठक, सोमवार, दिनांक--१० अक्टूबर, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा भवन, जयपुर, में सायं ३-८ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

९

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—३ अक्टूबर, सन् १९५५ के प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १६५.

नागौर जिले की कुछ प्राथमिक पाठशालाओं का माध्यमिक पाठशालाओं में परिवर्तन

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) चालू वर्ष में नागौर जिले में किन किन स्थानों की प्राथमिकता पाठशालाओं का माध्यमिक पाठशालाओं में परिवर्तन किया गया ?

(ख) उक्त स्थानों की कितनी जन संख्या है ?

(ग) उक्त जिले में ऐसे कौन कौन ग्राम हैं जहां के लोगों ने स्थानीय प्रारम्भिक पाठशालायें बनाने के लिये आवेदन-पत्र प्रेषित किये ?

(घ) उक्त ग्रामों की जन-संख्या कितनी कितनी है ?

(ङ) उक्त ग्राम वालों में पाठशाला भवनों पर कितना २ खर्चा वहां की जनता ने किया था ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उप मंत्राणी)—(क) धनकोली, मीटड़ी एवं गच्छीपुरा की प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक पाठशालाओं में परिवर्तित किया गया।

(ख) धनकोली की जन-संख्या १०५८, मीटड़ी की ९९३, और गच्छी पुरा की १२०० है।

(ग) इस सम्बन्ध की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No.2

[श्रीमती कमला बेनीवाल]

(घ) इस सम्बन्ध की तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(ङ) सरकार के पास इस सम्बन्ध की सूचना नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—प्रारम्भिक पाठशालाओं से माध्यमिक पाठशालायें बनाये जाने के सम्बन्ध में आधार क्या रखा गया है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्यमंत्री)—आम तौर से जहां पर लड़कों की अधिक तादाद होती है वहां खोले जाने वाले होते हैं। वहां भवन के साथ साथ और भी आवश्यकताओं को देखा जाता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन स्थानों के नाम बताये वे उनके मुकाबले में ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान हैं, ज्यादा आबादी वाले हैं और ज्यादा छात्रों की संख्या वाले हैं; वहां माध्यमिक स्कूल नहीं खोले गये?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हो सकता है कि उपयुक्त भवन न हों।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि भादू बड़ी जन-संख्या वाला है और जो नागौर डिस्ट्रिक्ट के लिए बताया गया है वहां की जनता ने ३० हजार रुपया लगाकर भवन-निर्माण किया है, फिर वहां माध्यमिक स्कूल न बनाये जाने के क्या कारण हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे मालूम नहीं, सम्भवतः नजदीक में मिडिल स्कूल हो।

श्री चांदमल मेहता—भादू के नजदीक में कोई मिडिल स्कूल नहीं है और वहां के डेपुटेशन ने माननीय उप शिक्षा मंत्राणी से भी मिलकर उन्हें सेटिस्फेक्शन कराया कि एक भादू में माध्यमिक पाठशाला खोली जानी चाहिए?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—मेरे पास ऐसा कोई डेपुटेशन नहीं आया। धनकोली का जरूर आया था।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उप शिक्षा मंत्राणी जी को मैं बताऊं कि मैं स्वयं उस डेपुटेशन के साथ आया था और प्रार्थना-पत्र पेश किया था।

श्री कमला कुमारी बेनीवाल—आप आये जरूर होंगे, लेकिन उस मुलाकात की मुझे याद नहीं है।

(हंसी)

Page No.3

श्री किशनलाल शाह—जहां प्राथमिक पाठशालायें चलती हैं, छात्रों की संख्या भी अधिक है, आबादी है, वैसी हालत में वहां भी मिडिल स्कूल नहीं बनाये गये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आपने देखा कि तीन जगह मिडिल स्कूल बनाये गये हैं, और भी स्थान उपयुक्त हो सकते हैं उनसे भी। लेकिन डिप्टी डाइरेक्टर, इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स देखते हैं, उन्हीं की सिफारिश करते हैं। दूसरे स्थान उपयुक्त नहीं है, यह मैं नहीं कहता।

श्री किशनलाल शाह—सिफारिश करते हैं और जिन एम. एल. ए. का प्रभाव होता है वहां स्कूल खोले जाते हैं और दूसरी जगह नहीं खोले जाते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह तो आप ज्यादा जानते हैं।

श्री किशनलाल शाह—फिर यह क्या कारण है कि छात्रों की संख्या, आबादी, भवन निर्माण आदि लम्बे अर्से से है तो वहां क्यों नहीं खोले गये और जहां कम संख्या है वहां खोले गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि जब तक आप और बातें कह रहे हैं उनकी पूरी तरह से जांच न हो जाय कि जहां भवन-निर्माण कर दिया गया है वह उपयुक्त स्थान है या नहीं, तब तक कोई रिमार्क करना उपयुक्त नहीं होगा।

श्री किशनलाल शाह—क्या सदन की एक समिति बनाने के लिए तैयार हैं जो छानबीन करे इस बात के लिए ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—समिति की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे बतावें उसके लिए मैं जांच करूंगा।

श्री किशनलाल शाह—मैं आपको बताऊं की भादू ऐसी जगह है जहां चार साल से लगातार मांग की जा रही है किन्तु वहां माध्यमिक पाठशाला नहीं खोली गई। लेकिन चीफ व्हिप के क्षेत्र वाले प्रभावशाली हैं इसलिए अपने क्षेत्र में खुलवा लिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मिडिल स्कूल्स के जो २ नाम गिनवाये गये हैं वहां चीफ व्हिप के कितने स्थान हैं ?

श्री किशनलाल शाह—मीठड़ी एक स्थान है।

(घंटी)

Page No.4

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—तीन स्थानों का आपने नाम लिया। अगर उसी असर से खुलते हैं तो आपके लिए भी कहने लग जावेंगे।

(हंसी)

श्री किशनलाल शाह—इसके लिए सदन की एक उपसमिति बनायी जाय जो इसकी छानबीन करे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अगर एक एक मिडिल स्कूल के लिए ऐसा किया जाय तो कभी इस चीज का अन्त होने वाला नहीं है।

श्री किशनलाल शाह— × × × ×

(घंटी)

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अध्यक्ष महोदय, मैं सख्त एतराज करता हूँ कि "झूठ जवाब दिया जाता है", ऐसा कहते हैं।

श्री किशनलाल शाह—जब कि डेपुटेशन मिलने के लिए आया और कहते हैं कि डेपुटेशन नहीं आया।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Order !

श्री चांदमल मेहता—जिन स्थानों में मिडिल स्कूल्स खोले गये उन स्थानों की जन-संख्या, जो लिस्ट हमें दी गई हैं, कम है ?

श्री अध्यक्ष—Order !

(घंटी)

प्रश्न संख्या १६६

चौहटन (जि० बाडमेर) की पाठशालाओं हेतु अध्यापकों एवं कमरों का प्रबन्ध

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

XXXX श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्य-विवरण से हटाया गया।

[श्री मोहम्मद अब्दुल हादी]

(क) क्या यह सच है कि चौहटण, तहसील चौहटण के मिडिल स्कूल में २०० लडके पढ़ते हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि उन लड़कों के बैठने के लिये कोई कमरा नहीं है ?

(ग) क्या यह भी सच है कि चौहटण में लड़कों को पढ़ाने के लिये पूरे अध्यापक नहीं है ?

(घ) क्या सरकार इन सबकी व्यवस्था के लिये अब कुछ कर रही है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उप-शिक्षा मंत्रीणी)—(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६७

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक लागू करना

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट को लागू नहीं करने के क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट पर राष्ट्रपति की स्वीकृति तारीख १४ मार्च, सन् १९५५ को हुई।

उक्त अधिनियम को लागू करने में देर होने का कारण सेक्शन २५७ और २५० के अन्तर्गत अधिनियम को लागू करने के लिये नियम बनाने में समय लगता है।

श्री चांदमल मेहता—नियम बनाने के लिए सरकार को अधिक से अधिक कितने समय की आवश्यकता है ? क्या छः महीने में भी सरकार समाप्त नहीं कर सकी है ?

Page No.6

श्री दामोदरलाल व्यास—जितना समय लगा उतनी आवश्यकता थी।

प्रश्न संख्या १६८

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मचंद।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १६६

श्री एच. के व्यास

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १७०

श्री रिद्धिचंद पालीवाल

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष—श्री हंसराज जटिया।

प्रश्न संख्या १७१

देवस्थानों व वेद पंडितों को पुनः आर्थिक सहायता प्रदान करना

श्री हंसराज जटिया—क्या देवस्थान मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि देवस्थान व वेद पंडितों को जो आर्थिक सहायता पुरानी स्टेट्स से मिलती थी उसको राजस्थान सरकार ने बदस्तूर चालू कर दिया है ?

(ख) क्या रुकी हुई आर्थिक सहायता दी जा चुकी है ? यदि हां तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक दी जा चुकेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (देवस्थान मंत्री)—(क) देवस्थानों को जो आर्थिक सहायता पुराने राज्यों के समय में मिलती थी वह यथावत् चालू है, बन्द नहीं की गई है।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ख) वैदिया, बरणी वाले पंडितों (स्टाईपेंड होल्डर्स) के मासिक वेतन को प्रारम्भ में तो नरेशों से निजी सम्बन्ध रखने वाले समय से जाकर सन् ५० से रोक दिया गया था, किन्तु बाद में सितम्बर ५४ में यह निश्चय कर दिया गया है कि तब तक जो कार्य करते रहे हैं, उन्हें तो तब तक की चुकौती कर दी जाय और तत्पश्चात् के लिये यह जांच की जाय कि इसमें कौन तो परम्परा से चले आ रहे हैं और कौन व्यक्तिगत नियत हैं। जो परम्परागत हैं उन्हें पूरा वेतन और जो व्यक्तिगत हों उन्हें आधा वेतन पेंशन के रूप में गणित कार्यालय के द्वारा दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७२

राजस्थान में उद्योगों के विकास हेतु समिति का निर्माण

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में क्या २ उद्योग किये जा सकते हैं, इसकी खोज करने के लिये क्या कोई समिति का निर्माण किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति का निर्माण कब हुआ और उसके कौन २ सदस्य हैं ?

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश कर दी है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या (उद्योग मंत्री)—(क) हां।

(ख) इस समिति का निर्माण सन् १९५३ में हुआ और उसके निम्नलिखित सदस्य थे।

श्री चांदमल मेहता—आवाज नहीं आ रही है।

श्री भोगीलाल पंड्या—फिर से पढ़ देता हूँ।

(क) हां।

(ख) इस समिति का निर्माण सन् १९५३ में हुआ और उसके निम्न लिखित सदस्य थे :

Page No.8

[ा ा ा ा ा य

१. संचालक, उद्योग व व्यापार विभाग — सभापति
२. श्री पी. जी. मेहता — सदस्य
३. श्री एम.जी. कावरा — ,,
४. श्री सी. पी. गुप्ता — ,,
५. श्री एम. बी. माथुर — ,,
६. श्री तेजमल बाफना, एम. एल. ए — ,,
७. श्री सत्यानन्द वर्मा, जयपुर — ,,
८. चीफ स्टेटिस्टिकल ओफिसर — ,,
९. जिलाधीश सम्बन्धित जिले के — ,,

इसके अतिरिक्त समिति को सम्बन्धित प्रवेश से उप-संचालक, उद्योग एंव व्यापार विभाग को तथा अन्य दो महानुभावों को ले लेने का अधिकार दे रखा है।

(३) केवल अल्पकालीन रिपोर्ट आयी है।

श्री चांदमल मेहता—पूरी रिपोर्ट अब तक नहीं आने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले उन्होंने यह उचित समझा कि राजस्थान का इकोनोमिकल सर्वे हो और उसके लिए अलग व्यवस्था की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—यह कब तक व्यवस्था हो जायगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वैसे द्वितीय पंच वर्षीय योजना में राजस्थान के इकोनोमिकल सर्वे के लिए १० लाख रुपया रखा गया है। इसके साथ साथ जियोलोजिकल और इंडस्ट्रियल सर्वे, जैसा उचित होता है, सरकार करवाती जाती है और काम शुरू है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस कमेटी को उन कारखानों को देखने का काम सौंपा गया था जो बन्द थे और फिर से चालू किये जाने वाले थे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस काम के लिए दूसरी व्यवस्था की गई थी जिसकी रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद भी बन्द कारखानों में से कोई कारखाना चालू नहीं हुआ है ?

Page No.9

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने यह नहीं कहा कि समिति की रिपोर्ट आयी है। मैंने तो यह कहा था कि इसके लिए दूसरी व्यवस्था की गई थी और उसकी रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्न संख्या १७३

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री धर्मचंद।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १७४

इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स जोधपुर के कार्यालय में फैले हुए भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें

श्री किशनलाल शाह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स जोधपुर के कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सरकार के समक्ष किसी प्रकार की शिकायतें प्रस्तुत हैं ?

(ख) यदि हैं, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(ग) उक्त शिकायतों में किन २ अधिकारियों को दोषी पाया गया ?

(घ) जांच किस अधिकारी द्वारा की जा रही है ?

(ङ) जांच कब तक समाप्त हो जावेगी ?

(च) जो सज्जन इस समय इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स जोधपुर हैं वे इन्सपेक्टर कितने साल से हैं और पहले किस विभाग में कार्य करते थे ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उप शिक्षा मंत्राणी)—(क) जी हां।

(ख) जांच की जा रही है।

(ग) क्योंकि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई, इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कौन २ अधिकारी दोषी पाया गया।

[श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल]

(घ) डिप्टी डाइरेक्टर, जोधपुर द्वारा।

(ङ) आशा है लगभग दो माह में समाप्त हो जावेगी।

(च) लगभग दो साल जोधपुर में थे, शिक्षा विभाग में ही, उदयपुर में इन्स्पेक्टर ओफ स्कूल्स, एवं बूंदी में शिक्षाध्यक्ष थे।

श्री किशनलाल शाह—कितने अर्से से इस विभाग में पेंडिंग है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—मेरे खयाल से करीब दो साल से।

श्री किशनलाल शाह—इन्क्वायरी अब तक नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कारण तो मैं नहीं बता सकता किन्तु जल्दी इन्क्वायरी खत्म हो रही है।

कुं श्री जसवन्त सिंह—भ्रष्टाचार जैसे सीरियस मामलों में भी दो साल तक कार्यवाही नहीं हुई, तो इसके कारण क्या हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बात यह है कि पहले इससे सम्बन्धित कागजात ट्रेस आउट नहीं हुए, उसमें वक्त लगता रहा; अब इन्क्वायरी के काम की कुछ तैयारी हुई कि चन्द्रपाल सिंह जी के रिटायरमेन्ट का पीरियड होने की वजह से कुछ देर हुई। लेकिन शुरुआत में देरी लगने का खास कारण कागजातों का न मिलना था।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या भ्रष्टाचार के इतने अधिक केसेज़ है कि उनकी इन्क्वायरी दो साल तक नहीं हो सकी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इसके विस्तार में तो बताने की स्थिति में नहीं हूँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि जो सूचनायें सीक (seek) की गई उसके सम्बन्ध में दो शिकायतें थीं; एक थी २.१०.५३ की और दूसरी १६.२.५४ की।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या इन दो केसेज़ के मुतल्लिक ही इन्क्वायरी हो रही है या जनरल भ्रष्टाचार के सिलसिले में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—शिकायतें वही हैं जो मैंने बताई, उन्हीं के मुताबिक इन्क्वायरी हो रही है।

श्री किशनलाल शाह—किन किन मुद्दों के बारे में शिकायतें हैं ? क्या उन मुद्दों को बताने में सरकार को किसी प्रकार की आपत्ति है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुद्दों की मुझे जानकारी नहीं, इसलिये बता नहीं सकता। आपत्ति होती तो तारीख भी नहीं बताता।

प्रश्न संख्या १७५

श्री अध्यक्ष—श्री संग्रामसिंह (१३४)

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७६

सरकार द्वारा चलाये जाने वाले कारखानों में हानि लाभ इत्यादि

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान सरकार द्वारा किन किन कारखानों को चलाया जाता है ?

(२) उक्त कारखानों में राजस्थान के निर्माण के बाद किन किन कारखानों में किस किस वर्ष में कितना कितना नेट प्रोफिट रहा ?

(३) ऐसे कौन कौन कारखाने हैं जो इस वक्त बन्द हैं ?

(४) ऐसे कौन कौन कारखाने हैं जो घाटे में चल रहे हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस प्रश्न के खण्ड १ और २ का साथ सम्बन्ध है इसलिये दोनों का उत्तर साथ दे रहा हूँ।

राजस्थान में सरकार द्वारा जिन जिन कारखानों को चलाया जाता है उनकी सूची इस प्रकार हैं—

भीलवाड़ा कॉटन फेक्ट्री :—

४९—५०	५०—५१	५१—५२	५२—५३	५३—५४	५४—५५
७९२९० ।	४२४३३ ।	६४७५४ ।	११०४१०	८७३१६	७१७६५
कपासन					
१४३८९१	१७६५६२	६७२०३	३४००२	६६६४	६१६७५
चित्तौड़गढ़					
३२७०७	७८३३३	४४०२६	५७६६८	५०२६४	३७२०८

Page No.12

[श्री भोगीलाल पण्ड्या]

गुलाबपुरा

१३११५५ ६४३५. १५६०१८. १३६१६८. ५५११७ २३८४६

छोटी सादड़ी

२२७३८ २२३६६ २७६०४ ५८८६

शाहपुरा

३२४२४ · ६१७.

वीविंग फैक्ट्री टोंक— नुकसान में चल रही है।

सोडियम सलफेट इन्डस्ट्रीज डीडवाना

१८६६२४ ४७५८०६ ६३१८६६ ६६४१६७ १२३५६८३ १८२४८६४

कॉटन प्रेस मन्डावर यह लीज पर दे रखा है

७५०० ७५०० ७५०० ७५००

आइस एन्ड जीनिंग फैक्ट्री टोंक—यह फैक्टरी वर्षों से बन्द पड़ी थी जिसकी मरम्मत कराकर गत वर्ष एक्सपेरीमेन्टल बेसिस पर चला कर देखी गई है।

आइस फैक्टरी बीकानेर, आइस फैक्टरी जोधपुर—यह चालू हैं, किन्तु नुकसान में चल रही हैं।

ऑयल मिल्स कोटा—यह चालू है किन्तु नुकसान में चल रही है।

काटन प्रेस पेच की बावड़ी—चालू है, किन्तु नुकसान में चल रही है।

गंगानगर शूगर फैक्ट्री गंगानगर—लाभ में चल रही है।

आइस एन्ड एरियेटेड फैक्ट्री बीकानेर आइस फैक्ट्री, टोंक। कॉटन प्रेस फैक्ट्री, मंडावर। ऑयल मिल्स कोटा। कॉटन जीनिंग प्रेस फैक्ट्री पेच की बावड़ी।

आइस फैक्ट्री जोधपुर, विविंग फैक्ट्री टोंक, कॉटन, फैक्ट्री छोटी सादड़ी, कॉटन फैक्ट्री टोंक, कॉटन फैक्ट्री, शाहपुरा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो माननीय मन्त्री महोदय ने फीगर्स बताये हैं वे नेट प्रोफिट के नहीं, बल्कि आमदनी के हैं; खर्च कम करने के बाद नहीं बताया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—खर्चा कम करके ही बताया गया है, ऐसा मेरा ख्याल है।

श्री चांदमल मेहता—जो कारखाने नुकसान में चल रहे हैं इसका क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उनके आस-पास दूसरी फैक्ट्रीज़ का खुल जाना ।

श्री चांदमल मेहता—जो कारखाने नुकसान में चल रहे हैं उनके नुकसान को दूर करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिनमें सुधार करने की आवश्यकता होगी सुधार किया जायगा और यह भी विचार किया जा रहा है कि लम्बे समय के लिये ये कारखाने लीज़ पर भी दे दिये जांय और यह भी हो सकता है कि बेच कर रुपये वसूल कर लें ।

श्री चांदमल मेहता—जो कारखाने बन्द हैं उनके लिये सरकार क्या सोच रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने कहा कि बेचने और लीज़ पर देने का विचार कर रही है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—जो कारखाने सरकार द्वारा चल रहे हैं वे तो नुकसान में चल रहे हैं और जो प्राइवेट एजेन्सीज़ द्वारा नफे में चल रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कुछ नुकसान में चल रहे हैं । बाकी फायदे में रन कर रहे हैं ।

प्रश्न संख्या १७७

श्री अध्यक्ष— श्री तेजपाल बायना ।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७८

शिक्षा विभाग में खरीदी जाने वाली लेखन-सामग्री और फर्नीचर में गड़बड़

श्री किशनलाल शाह–क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्नका उत्तर देनेकी कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा विभाग में खरीदे जाने वाले स्टेशनरी सामान, फर्नीचर आदि में किसी प्रकार की गड़बड़ हुई है ?

[श्री किशनलाल शाह]

(ख) यदि हां तो किन किन डिविजनों में और क्या सरकार इस विषय में किसी प्रकार की जांच कर रही है ?

(ग) क्या यह सच है कि विभाग में खरीदा जाने वाला सामान बाजार भाव से अधिक कीमत पर खरीदा गया ?

(घ) क्या विभाग में काम आने वाले सामान स्टेशनरी, फर्नीचर, आदि के लिये किसी दुकानदार को विशेष तोर पर नियुक्त किया हुआ है ?

(ङ) यदि हां, तो जोधपुर डिविज़न में कौन है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही नहीं है कि एक ही आदमी द्वारा ऐसे परचेज़ के के नाम के लिये अपनी फर्म को रजिस्टर करवा लिया है ।

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—ऐसी कोई जानकारी नहीं ।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही नहीं है कि एप्रूव्ड फर्म्स में से किसी खास फर्म को ऑर्डर्स दिये जाते हैं ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—ऐसी कोई बात नहीं ।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही है कि सामान तो स्कूलों में भेजा नहीं जाता फिर भी उसके वाउचर्स बनवा लिये जाते हैं ।

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—ऐसी कोई जानकारी नहीं ।

श्री किशनलाल शाह —तो किस बात की जानकारी माननीय उपमंत्राणी को है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—जो आपको उत्तर में बताया गया है ।

श्री किशनलाल शाह—क्या इस संबन्ध में किसी ने आपसे शिकायत नहीं की ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—अब तक नहीं।

श्री किशनलाल शाह—क्या इस प्रश्न का भी वैसा ही उत्तर है जैसा कि अभी कुछ देर पूर्व आपने दिया था ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—वह अलग प्रश्न था और यह एक निश्चित प्रश्न है ! पर फर्नीचर और स्टेशनरी के बारे में दोनों को साथ मिलाना ठीक नहीं ।

श्री किशनलाल शाह—तो क्या अनुच्छेचद (क) में जो कहा गया है वह सही नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उस अनुच्छेद का उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री किशनलाल शाह—तो यह किस आधार पर कहा जाता है कि कोई जानकारी नहीं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १७६

श्री अध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १८०

श्री रिद्धि चन्द्र पल्लीवाल

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १८१

धौलपुर सब डिविजन में कई गांवों में अग्निकांड से हरिजनों को क्षति एवं उन्हें आर्थिक सहायता

श्री हंसराज जटिया—क्या दलित वर्ग कल्याण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सन् १९५४ में धौलपुर सब डिविज़न में कई गांव अग्नि कांड से भस्म हो गये हैं, जिनमें अधिक संख्या में हरिजनों का ही नुकसान हो रहा है हुआ है ? उसमें सरकार को पिछडी जाति कल्याण विभाग की ओर से उनको क्या सहायता दी गई ?

[श्री हंसराज जटिया]

(ख) क्या यह सत्य है कि चिलाखुर गांव, तहसील सेडी, धौलपुर सब डिविज़न में हरिजनों (चमारों) के पत्थरों के मकान अग्निकांड हो जाने के कारण भड़क चुके हैं? क्या सरकार उनको अपने मकान बनाने के लिये पत्थर पहाड से लेने की रायल्टी से मुक्त करेगी।

श्री भोगीलाल पंडया--(क) धौलपुर सब डिविज़न के हरिजनों की ओर से इस संबन्ध में कोई सूचना या प्रार्थना पत्र पिछड़ी जाति कल्याण विभाग को प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री हंसराज जटिया--क्या पिछड़ी जाति कल्याण विभाग की ओर से कोई वहां की स्थिति की जानकारी के लिये नहीं जाता है?

श्री भोगीलाल पंडया--उसका तो काम है लेकिन मकान जलने आदि की सूचना प्राप्त नहीं। माननीय सदस्य बताते तो ज्यादा अच्छा होता, सूचना देते तो जल्दी से कार्यवाही हो सकती थी।

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या सरकार के अन्य सोर्सेज़ से इस प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई?

श्री भोगीलाल पंड्या--ज्योंही सरकार को सूचना मिलती है वह उसके लिये कार्यवाही करती है।

श्री कंवरलाल जेलिया--मेरा मतलब यह है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री भोगीलाल पंड्या--इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, आगे एक प्रश्न आने वाला है जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई; कृपा करके आप पढ़ लें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह--इस क्षेत्र में क्या सहायता दी गई?

श्री भोगीलाल पंड्या--इनको काफी आर्थिक सहायता दी जा रही है। बहुत सारी रकम पिछड़ी जाति कल्याण के लिए मकानों पर खर्च की जाती है, उनको दी जाती है और भविष्य में दी जाती रहेगी।

श्री जसवन्तसिंह--ये जो गांव जल गये थे वे बस गये हैं?

श्री भोगीलाल पण्ड्या--जिन गांवों के जलने की सूचना मिली उनको राजस्व विभाग की ओर से सहायता दी जा चुकी है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इस वक्त तक तो गांव बस चुके हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—बगैर सरकारी सहायता के।

श्री भोगीलाल पण्ड्या—राजस्व विभाग की ओर से तो सहायता दी जा चुकी है।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय मुख्य मंत्री यह सूचना, कि गांव बस चुके हैं, किस आधार से दे रहे हैं।

श्री हंसराज जटिया—अब सहायता कब तक दे दी जायगी ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—आपने आज सूचना दी, जितना जल्दी होगा, दी जायगी।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—आग लगने के कितने वर्ष बाद ?

श्री भोगीलाल पंड्या--यह तो एकतंत्री शासन में था, आग लगने के तीन साल बाद ऑर्डर्स होते थे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो क्या पांच साल बाद में अब होंगे !

श्री भोगीलाल पंड्या—आज-कल तुरन्त ही कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न संख्या १८२

श्री अध्यक्ष--श्री धर्मचन्द।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १८३

देवगढ़ की प्राइमरी स्कूल के मुख्याधिकारियों द्वारा गबन इत्यादि की जांच

श्री संग्रामसिंह (वि० सं० १३४)--Will the Minister for Education be pleased to state:—

What is the resulf of the enquiry pending for the last 6 months against the Heads of Primary Schools, Deogarh, for the mis-appropriation in accounts and heavy illegal recoveries from the students of primary schools during the last 3 years?

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-शिक्षा मन्त्राणी)—The enquiry made in this connection revealed that there was no misappropriation in accounts. Some fees, however, were realized with the concurrence of the Boys Union and their parents in a meeting. These recoveries were discontinued since departmental audit in January, 1955.

प्रश्न संख्या १८४

उदयपुर जिले की प्राथमिक एवं माध्यमिक पाठशालाओं में १ अप्रेल, १९५५ से अध्यापकों के स्थानान्तर

श्री संग्रामसिंह (वि० सं० १३४)—Will the Minister for Education be pleased to state:-

How many teachers were transferred in primary and secondary schools in district Udaipur since lst April,1 955 and out of them how many transfers were cancelled and why and how many brought into effect ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—In primary schools 124 transfers were ordered; out of which only one was cancelled on account of the serious illness of the concerned teacher's wife. In secondary schools 92 transfers were ordered out of which only four were cancelled for administrative purposes.

प्रश्न संख्या १८५

किशनगढ़ के गोस्वामीजी के मन्दिर में गहलपुर ग्राम को आय का जमा होना

श्री चांदमल मेहता—क्या देवस्थान मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ के गोस्वामीजी के मन्दिर में गहलपुर ग्राम की कब तक जमा होती रही ?

(ख) उक्त ग्राम पर गोस्वामीजी के मन्दिर का किस किस हैसियत से कब तक कब्जा रहा ?

(ग) उक्त ग्राम की आमदनी मन्दिर में आनी कब बन्द हुई है और उसके क्या क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (देवस्थान मन्त्री)—(क) ग्राम गहलपुर, तहसील अराईं आसजी की मुआफी का है। इस ग्राम की आय कृष्णगढ़ के गोस्वामीजी के मन्दिर के नीचे इस तरह आई :

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(१) सन् १६३४ से सन् १६३८ तक पूरे ग्राम की आमदनी।

(२) सन् १६३६ से सन् १६४७ तक आधे ग्राम की।

(३) सन् १६४८ से २१।१२।५० तक पूरे ग्राम की।

(ख) उक्त ग्राम पर गोस्वामीजी का अधिकार मुर्तहिन के रूप में था सन् १६४४ तक सारे ग्राम पर तथा इसके बाद आधे ग्राम पर रहा।

(ग) उक्त ग्राम की २१।१२।५० के पश्चात् मन्दिर में आमदनी बन्द हो गई और इसका कारण यह है कि इसकी बाबत एस. डी., ओ. कृष्णगढ़ व कलेक्टर जयपुर के यहां से गोस्वामीजी को यह आदेश हो गया है कि वे कार्यवाही जाब्ता करें।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि यह मन्दिर गोस्वामीजी के चार्ज में नहीं है बल्कि सरकार के चार्ज में है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मन्दिर अब सरकार के चार्ज में है, पर उस वक्त तक जब कि कलेक्टर ने ऑर्डर दिया था उनके अधिकार में था।

श्री चांदमल मेहता—जब सरकार के मातहत यह मन्दिर है तो गोस्वामी को ऑर्डर दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सरकार की तो इन्तजाम की निगरानी है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सरकार के लिए जरूरी नहीं है कि सरकार की निगरानी में ही सरकार आमदनी के लिये जरूरी कार्यवाही करे।

श्री दामोदरलाल व्यास—जो आवश्यक कार्यवाही थी वह की गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या की गई और क्या नतीजा निकला ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसमें यह है कि जो कार्यवाही गहलपुर ग्राम की आमदनी के लिए कराई गई उसे एग्ज़ामिन कराया जा रहा है।

श्री चांदमल मेहता—यह एग्ज़ामिन कराने का काम कब से शुरू हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तारीख तो मुझे इस वक्त याद नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सन् ५० से यह एग्ज़ामिन करने का मामला अभी तक चल ही रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने आपको बताया कि मुझे मालूम नहीं कि किस तारीख से यह हो रहा है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इसी सदन में एक बार जवाब दिया जा चुका है कि हम गोस्वामीजी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कार्यवाही नहीं की गई, पर लॉ डिपार्टमेंट को कागजात भेज दिये गये थे। वे कागजात एग्ज़ामिन कराये जा रहे हैं। अगर रकम लेनी बाकी निकली तो आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही नहीं है कि यह गांव मन्दिर को भेंट हो चुका है और इसके कागजात मन्दिर में मौजूद हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह गांव महज निगरानी के तौर पर सरकार के कब्जे में था, नहीं तो कब्जा गोस्वामी का था; पर चूंकि यह एक लम्बे अर्से का हिसाब है इसलिए हिसाब में समय तो लगता ही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कागजात सील में रखे गये हैं इसलिये कार्यवाही नहीं हो रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह गलत है ?

प्रश्न संख्या १८६

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल ?

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट २ देखिये।

प्रश्न संख्या १८७

श्री अध्यक्ष—Next, Shri Hari Krishna Vyas.

(अनुपस्थित)

Next.

श्री जसवंत सिंह—This question is very important. Sir If you allow me to ask this question

Page No.21

(श्री अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर)

प्रश्न संख्या १८७

श्री शार्दूल टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड को पुनः बिजली देने सम्बन्धी शासकीय समझौता

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) Has the Governmeut entered into any agreement with the Sadul Textile Mills Ltd. in respect of Settlement of their dues and the restarting of the supply of electric energy to them ?

(b) If so, what are the terms and conditions of the agreement ?

(c) Has the supply of electric energy to this concern been re-started ? If so, from what date ?

(d) On what grounds and at what rate was the supply re-started ?

(e) In face of the Government order of January, 1954, laying-down the rate at annas two for all thermal stations in Rajasthan why has this concern been supplied energy at a lower rate ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मन्त्री)—यह प्रश्न निर्माण विभाग से सम्बन्ध रखता है। इसलिए मैं सदस्य महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे उनके द्वारा इसका उत्तर प्राप्त करने की कृपा करें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय निर्माण मंत्रीजी चेष्टा करेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वे अपनी टर्न पर करेंगे।

श्री अध्यक्ष—अभी देते हैं उत्तर बना कर आपको।

(हंसी)

शाह श्री अलीमुद्दीन (उप-मंत्री)—(a) Yes.

[शाह श्री अलीमुद्दीन]

(b) The terms and conditions are that on the receipt of two cheques dated the 6th July 1955 for Rs. 70,000/— and Rs. 1 lac respectively from Mr. P. K. Sehgal, Executive Director of Shri Sadul Textile Mills, Shri Ganganagar, the Proceed of these cheques are to be utilised as follows;----

(1) Rs. 1 lac to be credited towards arrears for past.

(2) Rs. 50000/--to be kept as security deposit liable to for-feiture without any intervention from Law Court if the instalments that may be fixed later are not regularly paid, otherwise it will be credited towards such dues as the last instalment, and

(3) Rs. 20000/--to be kept as security deposit against payment of bill for future electric supply.

Electric supply to Shri Sadul Textile Mills, Sri Ganganagar, be restored immediately.

The rate of power supply chargeable from the Company is fixed at--/1/6 per unit until a general decision to snpply of energy at concessional rate is taken by the Government.

The company's representation with regard to fixation of the total amount of dues and the instalments in which it is to be recovered is under consideration of he Government and decision in the matter will be communicated later on.

(a) Yes.

(b) Copy of the Terms and Conditions is enclosed. (copn not received)

(c) Yes, with effect from 15th July, 1955.

(d) The supply was started on the following grounds.

1. Government investment of Rs. 11,80,000/--was at state due to continued closure of the mill.

2. Large number of labour became out of employment.

3. Closure, of the mill adversely affected the supply position of the cloth, which was in great demand by the Consumers in Rajasthan.

[शाह श्री अलीमुद्दीन]

4. Continued closure of the Mill involved continued depreciation of the assests of the Concern without any corresponding advantage te the Government or to the mill.

5. The bulk consumer of the supply of electric energy at Sri Gangangar Power House was this mill. By the closure of the mill the electric energy was going to waste without any corresponding reduction in the expenditure on the maintenance of P. H, which resulted in a loss of Rs. 7000/--P.m to the P. H.

6. The supply was started at Re—1. 6. per unit. The supply rate was reduced tempererily from annas two to one annas six peis per unit specially until a general decisisn is taken.

(e) The reply is covered in the reply to question No. (d).

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह जो अभी जिस रेट पर बिजली दी जाती है इस मिल को यह प्रोडक्शन रेट से कम है या ज्यादा ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—I think it is not below production rate.

कु० श्री जसवन्तसिंह—The question is not of 'I think'; I want a definite reply.

श्री शाह अलीमुद्दीन—A definite relpy would be given on a fresh question.

कु० श्री जसवन्तसिंह—why ? why a fresh question ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—There is no notice of this and we will have to enquire about the energy, at what rate the energy is produced.

कु० श्री जसवन्तसिंह—That is not the question. मेरा सवाल बिलकुल सीधा है। माननीय मन्त्रीजी अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इतना बडा जवाब देने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरा सवाल यह है कि यह जो डेढ़ आने की बिजली की रेट लगाई गई है वह प्रोडक्शन रेट से ज्यादा है यां नहीं ? आपको मालूम हो तो "हां" कहिये, नहीं तो "नहीं" कह दीजिये।

शाह श्री अलीमुद्दीन—सवाल भी आपका सीधा है और मैंने समझा भी सीधा है और जवाब भी सीधा ही दिया है। यह ऐसा जवाब नहीं कि आपको इसका तुरन्त जवाब दे दिया जा सके।

[शाह श्री अलीमुद्दीन]

इसमें केल्कुलेशन करना पड़ता है, हिसाब लगाना पड़ता है। तो इतना जल्दी प्रोडक्शन का सह हिसाब लगाकर सही जवाब आपकी खिदमत में नहीं पेश किया जा सकता क्योंकि गलत जवाबी दे दूं तो मुसीबत हैं और सही जवाब दूं तो वक्त की जरूरत पड़ती है।

(हंसी)

कं० श्री जसवन्तसिंह—हां, गलत जवाब देने में तो मुसीबत है। पर यह कहना कि यह अलग सवाल है, इसके लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा नहीं है। यही सवाल मेरा है। आपके पास इन्फोर्मेशन नहीं है या आपको अधिक समय चाहिये, तो ऐसा कहकर आप नोटिस मांगिये; पर यह मत कहिये कि इसके लिये अलग सवाल करिये।

श्री वेदपाल त्यागी—यह सवाल था कि क्या रेट का रिडक्शन किया गया है, इसका आपने जवाब यह दिया कि दो आने से डेढ़ आना कर दिया गया है, तो इसलिए नेचुरली इस जवाब से यह मतलब निकलता है कि प्रोडक्शन कोस्ट इससे कम नहीं होनी चाहिये और अगर यह बात नहीं है तो कारण बताना चाहिये। प्रश्न साफ है। माननीय मिनिस्टर साहब को तैयार होकर आना चाहिये। यह कहना कि मुझे ज्ञान नहीं, यह ठीक नहीं है ऐसा कहना।

श्री अध्यक्ष—We pass on ? श्री किशनलाल शाह।

कुं० श्री जसवन्तसिंह— Another question is with regard to (e).

गवर्नमेंट का यह ऑर्डर है, डेफीनिट आर्डर है कि जनवरी सन् ५४ का, कि दो आने से कम किसी हालत में थर्मल इलेक्ट्रिक प्लान्ट से करेन्ट नहीं दिया जावेगा। तो जब सरकार का इस बारे में डेफीनिट ऑर्डर है तो फिर इस पार्टी को इससे कम, डेढ़ आने की रेट से करेन्ट क्यों दिया गया ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह फाइनल ऑर्डर नहीं है। गवर्नमेन्ट मिल्स के मुतल्लिक अलग से डिसीजन ले रही है। तो उसके मुतल्लिक इस ऑर्डर को भी रिवाइज़ कर दिया जावेगा।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—तो इससे यह समझा जावे कि यह ऑर्डर अब कैंसिल हो गया ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह टेन्टेटिव ऑर्डर था। It is not any final order.

कु ० श्री जसवन्तसिंह—यह टेन्टेटिव ऑर्डर किन किन के लिए है, यह आप और बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह आप कोई पर्टिक्युलर नाम से पूछेंगे तो बता सकूंगा । यह हाफजा इतना तेज नहीं है कि तमाम राजस्थान के लोगों का नाम याद रक्खूं और सारे राजस्थान की बातें याद रख कर आपको यहां बता सकूं । आप तो किसी पर्टिक्युलर आदमी या पार्टी के नाम से पूछिये , मैं आपको उसका जवाब दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १८८

नांवा राजकीय उच्च विद्यालय के छात्रावास को आर्थिक सहायता

श्री किशनलाल शाह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

(क) क्या नांवा राजकीय उच्च विद्यालय के छात्रावास को राजकीय सहायता दी गई है ?

(ख) यदि नहीं दी गई, तो क्यों नहीं दी गई ?

(ग) क्या उक्त संबंध में कोई कागजात विचाराधीन हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(घ) कब तक सहायता मिलने की आशा है ?

(ङ) नागौर जिले में कौन कौन से छात्रावासों को राजकीय सहायता दी जाती है और कितनी २ दी जाती है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—(क) जी नहीं ।

(ख) पिछले वर्ष ग्रान्ट इन एड की रकम में बचत नहीं होने से किसी नई संस्था को एड नहीं दी गई ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस वर्ष के लिए प्रार्थना-पत्र आने पर ही सरकार विचार कर सकेगी ।

[श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल]

(ङ) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इस सम्बन्ध की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही नहीं है कि नांवा के बोर्डिंग हाउस के लिए तीन वर्ष से बराबर मांग की जा रही है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—हर साल नये प्रार्थना-पत्र आने पर इस तरह की ग्रान्ट इन एड दी जाती है और इस साल भी पुरानी संस्थाओं को ग्रान्ट इन एड देने के बाद में रकम बचेगी तो विचार किया जायगा।

श्री किशनलाल शाह—क्या उपमंत्राणीजी बतायेगीं कि वह कहां प्रकाशित किया गया है जनता की जानकारी के लिए ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—यह कहां प्रकाशित हुआ है या कन्वेन्शन पर ऐसा चल रहा है, वह आपको ज्ञात होगा।

श्री किशनलाल शाह—आप उपमंत्राणीजी को ज्ञात होना चाहिये कि यह कन्वेन्शन से है या प्रकाशित हुआ है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—ऐसी चीज़ की उपमंत्राणीजी को जरुरत नहीं पड़ी इसलिए कोई जानकारी नहीं की गई।

श्री किशनलाल शाह—तो फिर यह कैसे जाना जाय कि नांवा के बोर्डिंग हाउस को एक भी साल सहायता नहीं दी गई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—मैं समझता हूँ कि उत्तर में कहा जा चुका है कि चूंकि नांवा की एक नई संस्था थी जिसको कि एड देने का प्रश्न था, इस वजह से रूपया नहीं होने के कारण नहीं दी गई पिछले वर्ष। इस वर्ष भी पिछली संस्थाओं को जिन्हें कि एड दी जा रही है, उससे अधिक रकम की बचत होगी तो दे दी जायगी।

श्री किशनलाल शाह—क्या जो अन्य नई संस्थाऐं खुली थीं उनको एड नहीं दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— यह उत्तर में कहा गया है कि किसी संस्था को नहीं दी गई।

Page No.27

श्री किशनलाल शाह—नई संस्था से आपका क्या अभिप्राय है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जिसको पहले से ग्रान्ट इन एड नहीं दी जा रही है।

श्री किशनलाल शाह—यह संस्था चार साल से चल रही है तो भी वह नई ही समझी जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ग्रान्ट इन एड के परपज़ के लिए नई ही समझी जायगी।

प्रश्न संख्या १८९.

श्री अध्यक्ष—श्री हंसराज जटिया।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १९०.

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १९१.

तहसील राजाखेड़ा (धौलपुर) की भूमि उपजाऊ होने पर भी नहर की कमी से भूमि बंजर

श्री हंसराज जटिया— क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने को कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि तहसील राजाखेड़ा, धौलपुर सब डिवीज़न, की भूमि उपजाऊ है किन्तु वहां नहर आदि के साधन न होने के कारण भूमि बंजर रह जाती है ?

(ख) क्या सरकार वहां ट्यूब वेल आदि लगाने को प्रयत्नशील होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—तहसील राजाखेड़ा में कूएं हैं व जो जमीन बन्जर है उसको उपजाऊ बनाने के लिये अगर ट्यूब वैल लगाने की संभावना होगी तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको दिलाया जावेगा।

प्रश्न संख्या १९२

राजस्थान के विभिन्न पर्यटन केन्द्रों को आर्थिक सहायता

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

[श्री चांदमल मेहता]

(क) राजस्थान में किन किन स्थानों को पर्यटन केन्द्र घोषित किया जा चुका है ?

(ख) उक्त स्थानों में किन किन के लिये राज्य सरकार द्वारा कितने २ रुपये कब २ स्वीकृत किये गये हैं ?

(ग) पर्यटन केन्द्र घोषित करने के लिए क्या आधार माना गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(क) राजस्थान सरकार ने किसी स्थान को इस समय तक पर्यटन केन्द्र तो घोषित नहीं किया है, परन्तु निम्नलिखित स्थान भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने केन्द्र माने हैं;--

१. जयपुर।

२. उदयपुर।

३. चित्तौड़गढ़।

४. बूंदी।

(ख) इन स्थानों के विकास के लिए...

श्री चांदमल मेहता—आवाज नहीं आ रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(तेज आवाज से)...अभी तक धन-राशि स्वीकृत नहीं की गई है, परन्तु दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास एवं यात्री-सुविधाओं की वृद्धि के लिए धनराशि विशेष की स्वीकृति का सुझाव रखा गया है।

(ग) खंड (क) के उत्तर के बाद यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—क्या नए स्थानों को पर्यटन केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई समिति नियुक्त की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि मेरे उत्तर में स्पष्ट था कि भारत सरकार से टूरिस्ट सेन्टर्स का एप्रूवल हुआ है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—पर्यटन चीज क्या होती है ?

(हंसी)

एक माननीय सदस्य—डिक्शनेरी देखिए।

श्री जसवन्तसिंह—ऐसे शब्द काम में लाए जांय जिनको कोमन आदमी समझ सकें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हिन्दी का जोर बढ़ रहा है और उसको समझने का प्रयत्न नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? 'पर्यटन' का मतलब 'टूरिंग' से है।

श्री किशनलाल शाह—क्या माननीय मन्त्रीजी यह बतायेंगे कि भारत सरकार स्वतः अपना निर्णय लेती है और राजस्थान सरकार इस विषय में कुछ नहीं कर रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत सी जानकारी इस सम्बन्ध में दी जा रही है और कई स्थानों के नाम दिए गए थे, उसके बाद उन्होंने इन स्थानों को तय किया है।

श्री किशनलाल शाह—क्या इन स्थानों को एप्रूव कराने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरा खयाल जहां तक है कोई समिति नियुक्त नहीं हुई थी। बहुत पहले से ही यह सुझाव दिए गए थे।

प्रश्न संख्या १९३

राजाखेड़ा नगर में हाई स्कूल की व्यवस्था करना

श्री हंसराज ज़ाटिया—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि राजाखेड़ा नगर सब डिवीज़न धोलपुर की जनसंख्या लगभग ५,००० के है और उसके आस-पास के १०-५ ग्राम घनी आबादी के हैं, किन्तु वहां पर कोई हाई स्कूल नहीं है ?

(ख) यदि हां, क्यों ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उपमंत्राणी)—(क) जी हां।

(ख) जनता का इस संबंध में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ और न ही निर्धारित शर्तें पूरी की गईं।

श्री हंसराज जटिया--आवाज नहीं आ रही है।

(उत्तर पुनः पढ़ा गया)

प्रश्न संख्या १९४

नांवा तहसील में बीघोड़ी दरें कम करने सम्बन्धी शासकीय योजना

श्री किशनलाल शाह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नावां तहसील में बीघोड़ी की दरों में कमी करने के संबंध में आवेदन- पत्र प्राप्त हुए हैं ?

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(ग) कब तक दरों में कमी कर दी जावेगी ?

(घ) इस कार्य के लिये किन २ अधिकारियों को नियुक्ति की जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) जांच जारी है।

(ग) जांच मुकम्मिल होने पर जैसी सूरत होगी कार्यवाही की जावेगी ।

(घ) इस कार्य के लिए सेटिलमेंट अफसर जोधपुर को नियुक्त किया गया है।

श्री किशनलाल शाह—यह जांच कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जल्दी से जल्दी ।

श्री किशनलाल शाह—'जल्दी से जल्दी' का क्या अर्थ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जब जांच पूरी हो जाय।

(हंसी)

श्री किशनलाल शाह—जांच पूरी कब हो जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—समय कोई तय नहीं किया जा सकता है । पुराने बन्दोबस्त के कागज़ात वगैरह देखकर रेन्ट रेटस पुराने लगान के हिसाब से देखकर जितनी जल्दी कार्यवाही कर सकेंगे तब कर दी जायगी ।

प्रश्न संख्या १६५

राजस्थान प्रान्त में हरिजनों को चर्म उद्योग इत्यादि निमित्त सहायता

श्री हंसराज जटिया—क्या दलितवर्ग कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान प्रान्त में हरिजन लोगों को सरकार द्वारा किस २ जगह अनुदान के रूप में क्या दिया गया है ?

(ख) क्या चर्म उद्योग व्यवसाय के निमित भी सहायता प्रदान की गई है ?

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिये कोई तुरन्त कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या (दलित वर्ग कल्याण मंत्री)—(क) सरकार ने अनुदान के रूप में सहकारी समितियों को सहायता के रूप में रकमें दी हैं, जिनकी विगत सूची में सम्मिलित है । सूची टेबिल पर रख दी गई है ।

(ख) हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

प्रश्न संख्या १९६

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धि चन्द्र पल्लीवाल ।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १९७

मारोठ, तहसील नांवा के बाचनालय को राजकीय आर्थिक सहायता

श्री किशनलाल शाह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

Page No.32

[श्री किशनलाल शाह]

(क) मारोठ (तहसील नांवा) के वाचनालय को जो राजकीय सहायता मिलती थी वह क्यों बन्द कर दी गई ?

(ख) यदि बन्द नहीं की गई तो वह २ वर्ष से क्यों नहीं मिल रही है ?

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के कागज़ात विचाराधीन है ?

(घ) यदि हैं, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती **कमला कुमारी बेनीवाल** (उपमंत्राणी)—(क) इसका प्रबन्ध ठीक नहीं था ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

श्री **किशनलाल शाह**—इसका मतलब ठीक नहीं है ।जांच किसने की है ।

श्रीमती **कमला कुमारी बेनीवाल**—इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने ।

श्री **किशनलाल शाह**—जांच की रिपोर्ट क्या उप मंत्राणीजी सदन के सामने रखने को तैयार हैं ?

श्रीमती **कमला कुमारी बेनीवाल**—इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है ।

श्री **किशनलाल शाह**—क्या यह सही है कि कोई इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल वहां जांच करने के लिए नहीं गया ।

श्रीमति **कमला कुमारी बेनीवाल**—यह सही नहीं है ।

श्री **जसवन्त सिंह**—उस वाचनालय में किस प्रकार की त्रुटि पाई गई है रिपोर्ट के मुताबिक ?

श्रीमती **कमला कुमारी बेनीवाल**—अलग से पूछिये तो बता दिया जायगा ।

श्री **किशनलाल शाह**—क्या यह सही है कि उस वाचनालय के लिए स्थानीय एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट और तहसीलदार ने सिफारिश की है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—हमारी तरफ से इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने जांच की है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उसके लिए ठीक नहीं कहा है इसलिए बन्द कर दी है।

श्री किशनलाल शाह—क्या उपमंत्राणीजी दुबारा जांच करवाने के लिए तैयार नहीं हैं?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—एक बार की जांच में पूरी जांच हो गई है?

श्री किशनलाल शाह—यदि सरकार को यह महसूस करा दिया जाय कि उस रिपोर्ट में जांच नहीं की गई है और किसी सूरत में रिपोर्ट नहीं दी तो क्या दुबारा जांच करवाने को तैयार नहीं है सरकार?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी जानकारी की गई है इसलिये दुबारा जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री किशनलाल शाह—क्या सरकारी अधिकारियों ने कह दिया वही सही है और जनता का एक प्रतिनिधि कहे वह ठीक नहीं है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—तैयारी का कोई सवाल नहीं है, माननीय सदस्य की गलती का इसमें कोई सवाल नहीं है। ट्रेज़री बैंचेज़ ही गलत हो सकती हैं और माननीय सदस्य की नहीं हो सकती है, यह भी कैसे कहा जा सकता है? मैं समझता हूँ कि मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं कि डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स वहां गये थे और उन्होंने इन्सपेक्शन करना चाहा। जब इन्सपेक्शन के लिये कहा तो वहां के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने यह कहा बतलाया है कि यह चाबियां ले लीजिए और जाकर इन्सपेक्शन कर लीजिये, मैं स्वयं इन्सपेक्शन नहीं करवाता। वहां केवल एक दैनिक पत्र हिन्दुस्तान आता था, दूसरे वहां वाचकालय ठीक तौर से नहीं चलता था इस कारण उसकी मदद बन्द की गई। यह जांच की रिपोर्ट में कहा है। इससे भिन्नन बात हो और माननीय सदस्य बतायेंगे तो फिर जांच की जायगी।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही नहीं है कि क्योंकि १ साल की रिपोर्ट नहीं गई थी इसलिये उनको कई बार लिखना पड़ा। १ जून को लिखा, फिर जुलाई में लिखा और फिर दिसम्बर में लिखा तथा फिर मार्च और अप्रेल में लिखा। इस तरह से नाराज होकर यह रिपोर्ट लिख भेजी?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैंने जो बात कही वह अलग रह गई और आप नाराजगी की बात ले आये। वहां पर एक ही पत्र आता है दूसरा कोई नहीं आता है। इससे भिन्न बात अगर कोई आपके ध्यान में हो तो हमारे नोटिस में लाइये, उसको देखेंगे।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह नियम है कि जहां केवल १ ही पत्र आवे वहां एड (aid) नहीं दी जाय?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सालाना मदद के १२० रु० दिये जाते थे, लेकिन वहां पर केवल एक पत्र आता था जिसका खर्चा २४ रु० सालाना से ज्यादा नहीं था।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही नहीं है कि वहां पर ४ पत्र आते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आज चार आते होंगे, लेकिन जब एड बन्द की गई उस वक्त क्या स्थिति थी यह बताइये?

श्री किशनलाल शाह—मैं तो यह महसूस करता हूँ कि वहां पर कोई जांच करने गये ही नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं यह कहूँगा कि मूल बात यह है कि डिप्टी इन्सपेक्टर की जो रिपोर्ट आई है उसे ही मानना चाहिये क्योंकि यह बात रेकॉर्ड पर आई है।

श्री किशनलाल शाह—क्या आप जांच कराने को अब भी तैयार हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यदि आप लिखित रूप में देंगे तो उस पर विचार किया जायगा।

प्रश्न संख्या १९८

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १९९

बाडी धौलपुर में सन् १९४८ में हुए दंगे में भेजी गई मिलिटरी को वासुदेव द्वारा दिये गये राशन के बिलों की भुगतान

श्री हंसराज जटिया—क्या सामान्य प्रशासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि वाडी तहसील धौलपुर सब डिविजन में सन् १९४८ में जो दंगा हो गया था उसमें मत्स्य सरकार ने मिलिट्री भेजी थी, उसका राशन आदि वहां के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की आज्ञा से श्री वासुदेव प्रसाद गोयल के यहां से दिया गया, लेकिन तब से अभी तक उसको बिलों का भुगतान नहीं मिला है जब कि वह बिलों के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कितनी ही दरख्वास्तें दे चुका है?

[श्री हंसराज जटिया]

(ख) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त बिलों का पैसा यानी उपरोक्त व्यक्तियों को कब तक मिल जावेगा ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** (मुख्य मन्त्री)—(क) इस प्रश्न के हमारे सामने आने के बाद मामले की छानबीन कराई गई। इससे ज्ञात हुआ कि सन् १९४८ में बाड़ी में दंगा हुआ था। श्री हरिप्रसाद, जो उस समय वहां के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थे, की आज्ञा से सेठ बासुदेव प्रसाद द्वारा सेन्ट्रल रिज़र्व पुलिस को, जो उस दंगे के सिलसिले में वहां आई थी, राशन आदि का सामान दिया गया। जहां तक ज्ञात हुआ ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त सेठजी को इस सामान का पैसा नहीं मिला है।

(ख) सेन्ट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स (Central Reserve Police force) भारत सरकार के आधीन है। राजस्थान पुलिस विभाग के पास ऐसा कोई बिल नहीं आया। इसका सम्बन्ध कमान्डेन्ट, सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस (Comandent Central Rererve Police) से है।

श्री **हंसराज जटिया**—किसके हुक्म से राशन दिया गया था और अब पैसे कौन देगा ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**—राजस्थान सरकार ने आश्वासन दिलवाया था। लेकिन हम चाहते हैं कि जिसके पैसे बाकी हैं व दिलवाये जांय। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उनको पैसे मिल जाय।

प्रश्न संख्या २००

नावा तहसील में पिछडी जातियों के विकास के लिये धन राशि

श्री **किशनलाल शाह**—क्या दलितवर्ग कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नावां तहसील में आज तक पिछड़ी जातियों के विकास के लिये कोई धन-राशि व्यय की गई है ?

(ख) यदि हां, तो कितनी और किन किन कामों के लिये खर्च की गई ?

(ग) यदि नहीं, तो नावां तहसील के हिस्से की धनराशि किस तहसील में खर्च की गई ?

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने पिछड़ी जातियों को निःशुल्क लोहे के चद्दर वितरण किये हैं ?

(ङ) यदि किये हैं, तो कौन कौन से ज़िलों में ?

[श्री किशनलाल शाह]

(च) क्या नावां तहसील को भी कोटा दिया गया है ?

(छ) यदि हां, तो वह किस अधिकारी के पास है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग कल्याण मन्त्री—(क) नहीं। किसी भी कार्य के लिये आवेदन पत्र नहीं आये।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तहसीलवार वितरण नहीं किया गया। जिस जिस कार्य के लिये जैसे जैसे आवेदन पत्र आये हैं उन पर स्वीकृति दी गई।

(घ) हां।

(ङ) कोटा, जयपुर, जोधपुर, नागौर, टोंक, भरतपुर, सवाई माधोपुर व अलवर जिले में।

(च) नहीं, कोई आवेदन पत्र नहीं आया।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री किशनलाल शाह—क्या जिलावार कोटा दिया जाता है उसके बाद भी नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

श्री किशनलाल शाह—तहसील का कोटा कहां चला जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तहसीलवार कोटा नहीं होता है।

श्री किशनलाल शाह—नावा तहसील के हरिजनों की दरख्वास्त आई थी, फिर भी उनको क्यों नहीं दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं पहले उत्तर दे चुका हूँ कि उनका कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया।

श्री किशनलाल शाह—क्या आप जांच कराने को तैयार हैं कि तहसील कांग्रेस कमेटी ने उनकी दरख्वास्त भेजी है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरे पास यह उत्तर आया है कि एक भी प्रार्थनापत्र नहीं आया। यदि आप उसकी प्रतिलिपि भेजें या आवेदन-पत्र भेजें तो अवश्य देने का प्रयत्न किया जायगा।

Page No.37

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि कोटा डिविजन में लोहे की चद्दर एक भी नहीं दी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं उत्तर दे चुका हूँ।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह माना जाय कि लोहे की चद्दरें जो बांटी गई बताते हैं एक ही जगह सप्लाई की गई हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं कई जिलों के नाम ले चुका हूँ। अध्यक्ष महोदय की आज्ञा हो तो और पढ़ कर सुना दूं। आपके कोटा जिले में चद्दरें दी गई हैं।

श्री किस्तूरचन्द—भीलवाड़ा में क्यों नहीं दी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वहां से यदि प्रार्थना-पत्र आते तो अवश्य देते। अब भी आप प्रार्थना पत्र जल्दी भेज दें।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि कोटा कलेक्टर के पास, जिन्होंने इसके लिये आवेदन पत्र दिया था उसमें से एक को भी चद्दरें नहीं मिलीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, यह सही नहीं है। कोटा में दी गई हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—जरा मुझे संख्या तो बतादें कि कितनी दी गई हैं !

श्री भोगीलाल पण्ड्या—इसके लिये अलग प्रश्न पूछिये।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि चद्दरों का वितरण संतोषजनक नहीं हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, यह सही नहीं है। चद्दरों का वितरण काफी संतोषजनक है क्योंकि कहीं भी इसमें त्रुटि नहीं बताई जाती है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि जिला कमेटी को चद्दरें देने की जानकारी नहीं दी गई ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—जिस विभाग के द्वारा इस प्रकार का काम किया जाता है उसी विभाग के पास इसकी सूचना रहती है। आप जिस कमेटी के मेम्बर हैं उस कमेटी का काम वितरण करने का नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह मुझे स्वप्न आता था कि...

श्री अध्यक्ष—Order ! Now the questions are over.

सभापति तालिका के लिये मनोनीत सदस्यों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम ८ (१) के अन्तर्गत निम्न लिखित सदस्यों को सभापति तालिका (पेनल ऑफ चेयरमेन) के लिये मनोनीत किया गया है :

१. श्री हिम्मतसिंह (६१)

२. श्री अमरसिंह

३. श्री माधोसिंह भैसवाड़ा (हियर-हियर)

४. श्री महादेव प्रसाद बन्का।

सदन-समिति के लिये मनोनीत सदस्यों की घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम १९० के अन्तर्गत निम्न लिखित सदस्यों को हाउस कमेटी के लिये मनोनीत किया गया है ।

१. श्री लालसिंह शक्तावत (सभापति)

२. श्री सज्जनसिंह

३. श्री जसवन्तसिंह

४. श्री सन्तोषसिंह

५. श्री वेदपाल त्यागी

याचिका समिति के लिये मनोनीत सदस्यों की घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम १९५ के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को पिटीशन्स कमेटी के लिये नियुक्त किया गया है :

१. श्री लालसिंह शक्तावत

२. श्री जवानसिंह

३. श्री चांदमल वैद

[श्री अध्यक्ष]

४. श्री महादेव प्रसाद बन्का

५. श्री गोपीलाल यादव

गृह मंत्री के वक्तव्य पर कोटा में हुई हड़ताल व व्याप्त अशांति पर स्थगन प्रस्ताव

अभी मेरे पास एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है जिसको मैं पढ़ देता है। "सदन की कार्यवाही, कोटा में ३० सितम्बर की घटना के विषय में दिनांक ४ अक्टूबर को राजस्थान के गृह मंत्री द्वारा वास्तविक तथ्यों के विपरीत भ्रामक वक्तव्य देने के कारण कोटा में तीन दिन से होने वाली हड़ताल व व्याप्त पूर्ण अशान्ति का विचार करने के लिये, स्थगित की जावे।"

मैं नहीं समझता कि यह इतना इम्पोर्टेन्ट है और इतना आवश्यक है कि जिसके लिये सदन कि कार्यवाही स्थगित की जाय; इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूँ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—What is the remedy then ?

श्री अध्यक्ष—The remedy is by a short notice question.

If the Hon'ble Minister wants to say something I have no objection.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—One thing is clear; the sitnatiou is deteriorating there, particularly after. the statement of the Hon'ble Minister. Naturally we would like to know what is happening there.

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—Keep patience. The Hon'ble Minister is making a reply.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—एक माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि उस रोज जो बातें कही गई थीं उनमें कुछ बातें कहनी रह गई थीं। मैंने जो बातें कही थीं,संभव है उनका पूरा रिपोर्टिंग नहीं हुआ हो। इसलिये मैं सदन का ध्यान उस ओर आकर्षित करता हूँ। मैं ४ अक्टोबर की कार्यवाही पढ़ देता हूँ, ताकि भ्रम का निवारण हो जाय। श्री भैरूसिंह ने एक सप्लीमेन्टरी प्रश्न किया था कि क्या यह सही है कि ३० तारीख को जो जुलूस जा रहा था उस पर किसी मोहल्ले में ऊपर से पत्थर फेंके गये?

तहकीक नहीं कह सकते, पर ऐसी बात कही जरूर जाती है। यह पोर्शन पूरा रिपोर्टिंग में नहीं आया है।

श्री भैरूसिंह—जो कही जाने वाली बात है उस की रिपोर्ट अब तो आपके पास आ गई होगी। यदि आ गई है तो क्या वह खबर सही है या नहीं?

श्री रामकिशोर व्यास—रिपोर्टिंग से मेरा मतलब प्रेस रिपोर्टिंग से है।

श्री भैरूसिंह—दरसलत में क्या दंगा पत्थर फैंकने के बाद हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास—उसकी इन्क्वायरी अभी कम्पलीट नहीं हुई है।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि पुलिस के रेकॉर्ड में यह बात दर्ज है कि दंगा होने से पहले एक मुहल्ले से काफी पत्थर फैंके गये, उसका जिक्र एफ. आई और आर. आई में है ?

श्री अध्यक्ष—(कुं० श्री जसवन्तसिंह की ओर संकेत करते हुए) आप कुछ पूछेंगे ?

कुं० श्री जसवन्त सिंह—क्या आपके स्टेटमेंट के बाद भी वहां हड़ताल चालू है ? हड़ताल चालू है तो सिच्युएशन संतोषजनक है इससे क्या मतलब ?

श्री रामकिशोर व्यास(गृह मंत्री)—हड़ताल बाद में जारी हुई है।

(श्री कंवरलाल जेलिया के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—Order please ! When one hon'ble member is spcking , the other members should not stand·

कुं० श्री जसवन्तसिंह--अब वहां हड़ताल चालू है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास--परसों वहां हड़ताल थी, कल अदीतवार था और आज की कोई सूचना नहीं है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I had given a notice of the privilege motion.

श्री अध्यक्ष—We might discuss it to-morrow or just to-day.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Sooner it is finished, the better·

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय अध्यक्ष, मेरा एक प्रश्न है......

श्री अध्यक्ष—No please. Order please ! yes !! shri Badri prased.

राजस्थान विधान सभा (अधिकारी एवं सदस्य पारिश्रमिक) संशोधन विधेयक, १९५५ (पुरः स्थापन)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली (ओफिसर्स एन्ड मेम्बर्स इमोल्युमेंट्स) संशोधन विधेयक,१९५५ पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। क्या सदन की अनुमति है कि आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई। श्री रामकिशोर व्यास।

राजस्थान छाया चित्र (नियमन) संशोधन विधेयक, १९५५ (पुरः स्थापन)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान सिनेमाज़ (रेगुलेशन) संशोधन विधेयक, १९५५ पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री अध्यक्ष—Sorry Shri Badiprased Gupta.

राजस्थान विधान सभा (अधिकारी एवं सदस्य परिश्रमिक) संशोधन विधेयक, १९५५

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीव अध्यक्ष, मैं उपरोक्त विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

राजस्थान छाया चित्र (नियमन) संशोधन विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—श्री रामकिशोर व्यास।

श्री रामकिशोर व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान सिनेमाज़ (रेगुलेशन) संशोधन विधेयक, १९५५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, क्या सदन की आज्ञा है कि आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री रामकिशोर व्यास—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान भूमि-सुधार एवं जागीर पुनग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९५५
(विचार विमर्श स्थगित)

श्री अध्यक्ष—Shri Damodar vyas.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Sir, in regard to this I had submitted that day that we were consulting amongst ourselves.

श्री अध्यक्ष—So the consultation is not complete.

कु० श्री जसवन्तसिंह—I have, therefore, requested for the 13th October, 1955.

श्री अध्यक्ष—But our office should have been informed in time.

कु० श्री जसवन्तसिंह—That I have done.

श्री अध्यक्ष—All right, Shri Badri prasad Gupta.

जयपुर नगर म्युनिसिपल (संशोधन) विधेयक, १९५५ (विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सिटी ऑफ जयपुर म्युनिसिपल (संशोधन) विधेयक, १६५५ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सिटी ऑफ जयपुर म्युनिसिपल (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५५ विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सिटी ऑफ जयपुर म्युनिसिपल (संशोधन) विधेयक, १६५५ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

राजस्थान एन्टी इजेक्शनस ऑफिसर्स की कार्यवाहियें व निर्णय (वैधकरण) विधेयक, १९५५
(विचार विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)--माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एन्टी इजेक्शन ओफिसरों की कार्यवाहियें और निर्णय (वैधकरण) विधेयक, १९५५ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि राजस्थान एन्टी इजेक्शन ओफिसरों की कार्यवाहियें और निर्णय (वैधकरण) विधेयक, १९५५ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में इस समय जो बिल विचारार्थ लिया जा रहा है उसकी यदि पृष्ठ भूमि की ओर देखा जाय तो माननीय अध्यक्ष, मुझे मजबूर हो कर यह कहना पड़ेगा कि यदि सदन इस प्रकार के कानून को पारित करता है तो यह सदन के अधिकार की चीज़ है। लेकिन यदि इस अधिकार को जनता ऐसा ख्याल करे कि कहीं इन अधिकारों के द्वारा कोई न्याय का गला घोंटने वाला तो नहीं है, तो हमें मजबूर होकर इस पर मत देने से पहले, इस पर अपनी राय देने से पूर्व सोचना पड़ेगा। राजस्थान में सन् १९४९ में प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स ओर्डिनेन्स बना। उस वक्त इस बात की चर्चा थी कि काश्तकारों को जागीरदारों द्वारा बेदखल किया जा रहा है। जिसकी जमीन है उनको उन जमीनों पर कब्जा दिलाने के लिये, राजस्थान सरकार ने किसी भी ऐसे कानून के अभाव में जरूरी समझा कि हमें इस प्रकार का कानून बनाना चाहिये जिससे इस प्रकार की बेदखलियां तुरन्त रोकी जांय। किन्तु जिस समय इस प्रकार का कानून बना उस वक्त यह भावना नहीं थी कि इस कानून के द्वारा लोगों को सस्ता न्याय प्रदान करें और उस जमीन पर जिसका वास्तविक हक है उसको अधिकार कराया जाय। उस कानून में इस बात का जिक्र किया गया कि जिन लोगों को यह काम सौंपा जाय वे एस.डी. ओ. के दर्जे के हों या इसके इक्विवेलेन्ट किसी ओहदे के हों। लेकिन उस समय राजस्थान सरकार के सामने एक दिक्कत थी- राजस्थान सरकार की राजनैतिक फायदा इस कानून के जरिये उठाने की इच्छा थी और एस. डी. ओ. के केडर के अफसरों से उस प्रकार के काम का होना सरकार को नामुमकिन प्रतीत होता था, इसलिये इसने उचित समझा कि यदि एस. डी. ओ. के जरिये से इस प्रकार की कार्यवाही, जैसा कि सरकार चाहती है, करवाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि शायद वे उस प्रकार की कार्यवाही न करें और सरकार की इच्छा के विरूद्ध फैसला कर दें, इस लिये उन्होंने उचित समझा कि एस. डी. ओ. की जगह तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को मुकर्रर कर दे जो इसी आशा पर बैठे हैं कि सरकार के मंत्रियों की इच्छानुसार मुकदमों के फैसले करें और एस. डी. ओ. या इसके बराबर के ओहदे पर उनकी नियुक्ति कर दी जाय। और ऐसा ही हुआ। एन्टी इजेक्श ऑफीसर्स की नियुक्तियें हुई। इस पद में इस बात का ख्याल नहीं किया

[श्री भैरोंसिंह]

गया कि उस व्यक्ति की क्या योग्यता हो, वह एस. डी. ओ. के पद पर काम करने के लायक है कि नहीं । प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स ऑर्डीनेन्स में जो खास समेरी ट्रायल रखी है, उसकी इच्छा है कि शीघ्र निर्णय किया जाय कि कौन उस जमीन का वास्तविक अधिकारी है । समेरी ट्रायल के जहां प्रोविजन रहते हैं वहां यह भी जरूरी है कि उस समेरी ट्रायल को करने वाला व्यक्ति खास जिम्मेदार हो, यदि जिम्मेदार नहीं तो ऐसे व्यक्तियों को समेरी ट्रायल के अधिकार नहीं दिये जांय । पर इस कानून के अन्दर अधिकार तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को दिये गये और तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की नियुक्ति की गई । उनको नियुक्त करने की भावना यह रहती है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार यह सोचेंगे कि यदि मंत्रियों को खुश रखा गया, उनकी मंशा के माफिक फैसले और काम किया तो एस. डी. ओ. बन सकेंगे या इसी प्रकार का दूसरा पद उन्हें मिल सकेगा । इसलिये उन लोगों ने सरकार को खुश करने की नीति बरती । इस तरह के एन्टी इजेक्शन ऑफीसर्स ने राजस्थान में और खास कर सीकर और झुंझुनू जिले में जिस प्रकार की ज्यादतियां की हैं, जिनका बयान नहीं किया जा सकता ।

फिर ऐसे लोगों ने जिन लोगों पर ज्यादतियां कीं, उन्होंने ऊपर की कोर्ट में अपीलें कीं, दावे किये और कहा कि ऐसे लोगों को सरकार द्वारा एन्टी इजेक्शन ऑफीसर मुकर्रर किया गया जिन लोगों की हमेशा सरकार द्वारा अपने प्रोमोशन करवाने की नियत रहती थी, ऐसे लोगों को जमीनों पर अधिकार करवाने का काम सौंपा गया, जिनके न्याय की उम्मीद नहीं ।

और जब दो वर्ष के बाद भी एन्टी इजेक्शन ओफिसरों के खिलाफ किसी तरह की सुनवाई सरकार द्वारा नहीं की गई तो लोगों ने अपनी अन्तिम सांस हाई कोर्ट में ली और सबने मिल कर हाई कोर्ट में रिट पेश की और यह इल्जाम लगाया कि एन्टी इजेक्शन ओफिसर जो एस. डी. ओ. के ग्रेड का व्यक्ति होना चाहिये नहीं है । सरकार ने यह सोचा कि यदि इसमें जल्दी से जल्दी किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ तो उनके द्वारा जितने भी निर्णय हुए हैं, वे सब के सब रद्द करार दे दिये जावेंगे और उससे बहुत दिक्कत होगी । लोगों ने उनके द्वारा सन् १६४६ के बाद जितने भी फैसले किये गये उनको चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में मामला रखा । जब सरकार ने देखा कि अगर हाई कोर्ट इनको अवैध करार दे देगी तो उसके फैसले को हमें स्वीकार करना होगा । एक तरफ यह स्थिति पैदा हो गई है और दूसरी तरफ यह स्थिति है कि उनकी जो भूलें हुई हैं उनके द्वारा उन लोगों को जिनकी जमीनों पर दूसरों को कब्जा दिला दिया गया, और जमीनों पर उनका कोई हक नहीं था उनके खिलाफ अब हाई कोर्ट में दावे हो चुके हैं और शायद उनके पक्ष में तय होने वाले हैं । हाई कोर्ट में वे मुकदमें अब ऐसी स्थिति में आ गये हैं कि अगर कुछ भी रद्दोबदल किया गया तो लोगों को न्याय ठीक तरह से नहीं मिलेगा । अगर हम इसमें इस स्टेज पर किसी प्रकार का संशोधन करेंगे तो जो रिटें हाई कोर्ट में दायर कर दी गई हैं और उनके आर्गुमेन्ट सुने गये हैं, सिर्फ फैसले के लिये केसेज़ रखे गये हैं उन पर असर होगा और हमारा सिद्धान्त है कि लोगों को सस्ता न्याय दिलाया जाय और यही

[श्री भैरोंसिंह]

कायदा है तो न्याय में किसी प्रकार का दखल नहीं होना चाहिये। माननीय राजस्व मंत्री यह कहेंगे कि पी. टी. ओ. में यदि राजस्थान हाई कोर्ट विपरीत फैसला देती है तो बवन्डर मचेगा। हमने राजस्थान टीनेन्सी biill में उनको खातेदार बनने के लिए हक दिये हैं। उससे आप सारी चिन्ताओं से मुक्त होंगे। जिन मामलों में हाई कोर्ट से लोग न्याय की मांग करते हैं उसमें किसी प्रकार का दखल सरकार का नहीं होना चाहिये। जब वहां के जजों के सामने एक पाइन्ट पर आरगुमेन्ट हो जाते हैं और केसेज़ जजमेंट के लिये रिजर्व हो जाते हैं तब तब ऐसे अवसर पर इस प्रकार का कार्य विधान सभा में ला कर जो कुछ सरकार ने गल्तियें की हैं उन गल्तियों को हमारी विधान सभा सुधारने वाली है अगर ऐसा समझ कर यहां पर लाते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह एक प्रकार से न्याय का गला घोटना होगा। आज आप अपने बहुमत के बल पर जैसा चाहें कानून बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यह आपके हाथ की बात है। मगर जो आप गरीब जनता को न्याय देने की बात कहते हैं उसके खिलाफ होगा और जनता की जो भावना है उसके खिलाफ होगा। लोग यह समझेंगे कि हाई कोर्ट की न्याय की व्यवस्था है। जब हमने सरकार की गल्तियों को पकड़ा और हाई कोर्ट में चैलेन्ज़ किया और जब चैलेन्ज़ किया तो सरकार को अपनी गल्तियों का पता चला कि हाई कोर्ट जल्दी से जल्दी सरकार के कानून को अवैध करार देने वाली है तो सरकार ने आर्डीनेन्स जारी किया और जब विधान सभा में पेश करके उनको पास कराना चाहती है। सरकार जो ५ सालों से गल्तियें करती आ रही है और इन ५ वर्षों में जो गरीबों के साथ जुल्म हुआ है उन सब को एक दिन में दुरुस्त कराना चाहती है, विधान सभा द्वारा। उन लोगों ने दूसरे लोगों की जमीनों को दूसरों को दिलाई जिनका कोई हक नहीं था, उस पर कोई गौर नहीं किया जावेगा। कुछ शब्द रह गये जिनमें सम्बन्ध विच्छेद होता है, विधान सभा कई कानून बनाती है जैसा कि हम देखते हैं। उन कानूनों को हाई कोर्ट में चैलेंज़ किया जाता है और उस पर राजस्थान सरकार बराबर या बार बार संशोधन पेश करती है, यह इस बात को बताती है कि कानून बनाना कोई तमाशा नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। ड्राफ्ट्स मेंन के तैयार किये हुए आधार पर अपनी राय देकर कोई कानून बनाना कोई सरल काम नहीं है। कानून बनाने के लिए जितने विधान सभा के सदस्य हैं उनकी राय और कानूनी माहिर एक्सपर्ट्स की राय लेनी जरूरी होती है। लेकिन यदि राजस्थान सरकार ने इस प्रकार की मान्यता रखी कि आज हमने गल्ती की और उस गल्ती से भले ही हजारों आदमियों को नुक्सान हुआ हो या फंसे हो। जब हाई कोर्ट में वह कानून चैलेंज़ किया गया और सरकार को मालुम पड़ा कि हमारा कानून रद्द होने वाला है तो सदन में संशोधन पेश करके अपनी गल्ती को दूर करने की कोशिश की तो मैं यह कहूँगा कि बहुमत के आधार पर वे ऐसे संशोधन ला सकते हैं और लावें और पास करें मगर इससे न्याय का बध ही होगा। कानून के अनुसार जिन मुकदमों के फैसलों का निर्णय रिजर्व रखा हुआ है, जब तक उनके फैसले न हो जावें तब तक कोई कानून में रद्दोबदल या परिवर्तन नहीं करना चाहिये। इस लिए मैं तो यह निवेदन करूंगा कि इसको बिल्कुल पास नहीं करना चाहिए। इसमें कई मुकदमों में गड़बड़ सड़बड़ होगी और कई मामलों में जहां जांच करने की आवश्यकता है उनमें भी गड़बड़ होगी। अगर आप न्याय विभाग में किसी प्रकार का दखल करते हैं तो यह आपकी जबर्दस्त गलती और अन्याय

[श्री भैरोंसिंह]

और गैर इन्साफ होगा । हमको लोगों को सस्ता न्याय दिलाने की स्प्रिट को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिये । इसलिए मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि जब तक यह फैसला नहीं हो जाता जब तक किसी प्रकार का रद्दोबदल नहीं होना चाहिये । यह गल्तियें जो आपके इनएक्सपीरिएन्सड Hand नहीं होने से हुई हैं; उनको आप आगे नहीं होने दें तो आयन्दा कानून ठीक बनेगा, लोगों को अच्छा और सस्ता न्याय मिलेगा । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसको पास नहीं करें और अगर करते हैं तो मैं इसका घोर विरोध करता हूँ ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय चेयर मेंन, सिर्फ सिद्धान्त के रूप पर मैं इस बिल का विरोध करना चाहता हूँ और विरोध करते समय मेरे मित्र दांता रामगढ़ से आनेवाले सदस्य ने जो कहा है उसका समर्थन करता हूँ । हम यह कहते हैं कि जब हम कोई कानून बनाते हैं तो उस कानून के मातहत हम तभी ऑफिसर मुकर्रर करते हैं जब कानून होता है तो इसका मतलब क्या होता है, हमने एक्ट के नीचे, टीनेन्सी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स के नीचे हमने एस. डी. ओज़. इसलिये रखे कि इजेक्टमेंट के लिये वे संजदीगी के साथ, अक्लबन्दी के साथ और कुछ रेस्पोन्सीबिलीटी के साथ कार्य करेंगे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बड़े ओफिसर्स ऐसे काम में रखे जाते हैं । अलग २ बैठ कर हम कानून बनाते हैं और उनमें अगल २ श्रेणी के अधिकारियों को जिम्मेदार लगाते हैं और इस टीनेन्सी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स में हम लोगों ने यह समझा कि एस. डी. ओ. कम से कम ऐसी हैसियत का ओफिसर हो सकता है और होना चाहिए जिससे दोनों पार्टीज़ को न्याय की आशा हो सकती है । मैं नहीं समझ सकता हूँ कि हमारी सरकार के राजस्व विभाग के दिमाग में क्या बात है कि जो मंशा सरकार की थी और इसी बिल से जो सम्बन्धित थी उन्हें भी उसी विश्वास की आशा थी उनकी मर्जी के विरुद्ध कुछ ऐसे व्यक्तियों को जो अब तक न तो इस प्रकार की जिम्मेदारी को इस्तेमाल में ला सकते हैं और उनकी हैसिहत थी उनको ऐसी जिम्मेदारी का काम सोंपा गया । नतीजा क्या हुआ ? कहीं कहीं स्थानों पर बहुत बुरा नतीजा निकला और कुछ ऐसी बातें अगर गवर्नमेंट जांच करें और सच्ची जांच करे तो देखने में आयेंगी कि जहां जिसकी जमीन नहीं थी उसको जबरन सुपर्द कर दी गई और जो वाकई में वह छीन ली गई । तो डेमोक्रेसी में इस प्रकार की कार्यवाही गैर वाजिब ही नहीं बल्कि अवैध कार्यवाही है । इसलिये एक जिम्मेदार दर्जे के ओफिसर काम करने के लिये नियुक्त किया गया । लेकिन जब किसी कारण से सरकार ने ऐसे स्थानों पर छोटे अधिकारियों को रखा जो दूसरों के इन्फ्लूएन्स में आसानी से आ सकते हैं । इन्फ्लूएन्स के कारण या अपनी ना समझी के कारण या अपनी रेस्पोन्सीबिलीटी के अदा नहीं करने के कारण, जिसके विपरीत जो व्यक्ति इफेक्टेड थे हाई कोर्ट में गये । कुछ के फैसले हो गये और कुछ के फैसले अभी होने को हैं । मैं बड़े ताज्जुब के साथ माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा, मुझे ताज्जुब होता है कि वे कानून के जानने वाले होकर इस प्रकार के कानून को हमारे सामने लाते हैं । अगर कोई कानून का जानने वाला नहीं होता या हम लोगों से सम्बन्ध नहीं रखने वाला मंत्री होता तो कोई बात नहीं थी ।

[श्री जसवन्तसिंह]

लेकिन उनके द्वारा ऐसे बिल को यहां चलाना वाकई में ताज्जुब की बात है और एक इतनी गैर जिम्मेदारी का काम हो चुका है, जिसमें अन्याय हो चुका है और कोर्टों और अदालतों द्वारा उस सम्बन्ध में हमें न्याय मिलने की आशा है तो उस न्याय में बाधा डालना, यह बिल्कुल न्याय के विपरीत होगा। इसलिए मैं मेरे मित्र के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कम से कम फैसले न हो जांय तब तक इस बिल पर कोई कार्यवाही न की जाय और यदि वे इसके लिए तैयार नहीं हैं तो न्याय के लिए इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट न दिया जाय और अगर दे दिया जाता है तो यह डेमोक्रेसी के नाम पर, जनतन्त्रवाद के नाम पर जनतन्त्र का गला घोंटा जा रहा है और एक बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है और यह अन्याय जानबूझ कर किन्हीं विशेष व्यक्तियों को फायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है और कुछ विशेष सुविधा प्राप्त आज-कल के व्यक्ति हैं जिनको फायदे की आवश्यकता नहीं और जिनको इतनी सुविधायें प्राप्त हो गई हैं, जो खुद ऐसा काम कर सकते हैं, जिनको सरकार की इमदाद की भी जरूरत नहीं, तो ऐसे सुविधा प्राप्त विशेष वर्ग को कानून द्वारा फिर प्रोटेक्शन देना और एक ऐसे वर्ग को जो कि आज-कल कुचला जा रहा है उसको फिर कुचलने की चेष्टा करना, यह बिल्कुल न्याय के विपरीत होगा। तो कम से कम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का प्रोविजन इस बिल में जो रखा गया है उसका हम विरोध करते हैं और आशा करते हैं कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसी हालत में नहीं दिया जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय चेयरमेन साहब, अभी सदन में जो माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने प्रस्ताव रखा है कि एन्टी इजेक्शन ऑफिसर्स की कार्यवाहियों व निर्णय (वैधकरण) विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, उस सिलसिले में विरोधी पक्ष की तरफ से दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने व विरोधी दल के नेता ने इस बिल को विचारार्थ लेने से पहले इस प्रस्ताव का विरोध किया है और उस विरोध के भाषण में यह बतलाने की कोशिश की है कि यह सरकार जो यह कानून बनाती है और यह सदन जो यह कानून बनाता है, जिसमें कई बातों की कमी रह जाती है और वह उनके अज्ञान के कारण रह जाती है और इस वजह से अब उस कानून के जरिये जिसमें ये कमियें थीं उस कानून के जरिये कुछ लोगों का जो इन्साफ होना चाहिये था वह नहीं हो पाया और ऐसी गलतियां की हैं जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हुई है और अब उस कानून को जो कि हाईकोर्ट के विचाराधीन है जिसकी कि जांच हाई कोर्ट कर रही है कि यह कानून सही था या नहीं था या इसके नीचे जो कार्यवाहियां हुई वे सही थीं या नहीं थीं, उस स्टेज पर इस कानून को पास करना कतई वाजिब नहीं होगा और माननीय विरोधी दल के नेता ने तो यहां तक कह डाला कि इस कानून के जरिये सरकार कुछ लोगों को कुचलना चाहती है और कुछ लोगों को, इस जमाने में विशेष सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को सुविधा दी जा रही है।

श्री भैरोंसिंह (१६)—हक नहीं रहता है।

श्री नाथूराम मिर्धा—(अपना भाषण जारी रखते हुए) माननीय चेयरमेन साहब, यह कानून न किसी को सुविधा देने के लिये बनाया जा रहा है और न किसी की सुविधा को छीनने

[श्री नाथूराम मिर्धा]

के लिये बनाया जा रहा है। यह कानून किन हालतों में बना था उनका जिक्र माननीय मित्र जो दांतारामगढ़ मे आये हैं उन्होंने किया। जिस समय हमारा राजस्थान बना और राजस्थान में सेटलमेन्ट का कार्य प्रगति के साथ जब सारे इलाकों में चलने लगा था और यह मालूम होने लगा कि जमाना अब पलट रहा है और जो जमीन जोतते हैं उनके पास जमीन रहेगी और जिन लोगों के पास में जमीन ज्यादा है, जो जमीन को जोतते नहीं हैं, स्वयं दूसरे काश्तकारों से काश्त कराके हासिल लेते हैं, जो रेवेन्यू पहले चालू थी जमीन की उसको और चालू रखना चाहते हैं और वह जमाना जब पलट रहा था उस वक्त में उस सेटलमेन्ट के अर्से में बहुत से जागिरदारों ने यह आम प्रयत्न किया कि किसानों को खातेदारी के हकूक जो सेटलमेन्ट में दर्ज हो जावेंगे और जो हकूक जमीन उनको प्राप्त हो जावेंगे वे उनको आसानी से प्राप्त नहीं होने चाहिए। उन्होंने जबरदस्ती से उन लोगों का बेदखल करने की कोशिश की, हालां कि वे जानते थे कि उनको जमीन से बेदखल करने के बाद उस सारी जमीन का कोई वे फायदा नहीं उठा सकते थे, लेकिन अलग २ क्षेत्रों में अलग २ जागीरदारों ने प्रयत्न किया, किसानों को बड़ी तादाद में बेदखल किया गया, उनके राइटस सेटलमेन्ट के रिकार्ड में नहीं लिखने दिये ("हियर, हियर" विरोधी पक्ष द्वारा) गया इस एक इरादे से कि उनको उस जमीन से पैसा मिलेगा, रेकर्ड में एन्ट्रीज़ गलत कराई गई। उनके पास में ताकत थी, शस्त्र भी उनके पास थे, उनके पास साधन और सुविधायें थीं, उन्होंने बहुत ज्यादा तादाद में किसानों को बेदखल करने की कोशिश की। रेवेन्यू कानून के जरिये जो उस समय चालू था कोई दवा नहीं थी कि इस बड़े भारी जुल्म को रोका जाय। तो उस वक्त में यह एन्टी इजेक्शन ऑर्डिनेन्स लाया गया और वह आज तक चालू है और जब तक टिनेन्सी एक्ट लागू नहीं होगा यह लागू रहेगा। एक समय बीच में ऐसा आया कि उस कानून की धारा ७ के नीचे एस. डी. ओ. को अख्तियार था कि वह डिस्पजेशन के मामलों का, बेदखलियों के मामलों का फैसला करे और उसकी सुनवाई और रिविजन हो सकता था, रेवेन्यू बोर्ड में हो सकता था। इस तरह का कानून था। उसके तहत में यह बीमारी इतनी बढ़ गई कि अलग अलग इलाके में जो एस. डी ओज़ के हल्के थे, उनके पास वैसे ही काम अधिक रहता था और जब कि बेदखलियों की तादाद अधिक बढ़ने लग गई तो उनके पास केसेज भी काफी बढ़ने लग गये और जगह २ से सरकार के पास कई सोर्सेज़ से रिपोर्टें आयीं कि जो एस. डी. ओज़ को इन्क्वायरी करने का काम दिया है उससे पूरा नहीं पड़ता। उन हल्कों में काफी केसेज और इतना काम है कि जिस स्प्रिट में २ इस कानून को पास किया गया था उसको टीक तरह से निभा सकेंगे। ऐसी हालत में, सरकार को मजबूरी हालत में जो आदमी अवेलेबल थे, जो रेवेन्यू की जानकारी रखते थे, उनको इस काम के लिये नियुक्त किया गया और उनका नाम दिया गया 'एन्टी इजेक्शन ओफिसर्स'। तो उन आदमियों को इस काम के लिये मुकर्रर किया गया। अब उनके लिए यह कहना कि वे आदमी ना समझ थे या उन्होंने काम टीक नहीं किया, यह उचित नहीं प्रतीत होता। इन सारी बातों की जांच-पड़ताल रेवेन्यू बोर्ड ने उसी प्रकार की है जिस प्रकार कि-

[श्री नाथूराम मिर्धा]

एस. डी. ओज़. ने की। यह कहना कि क्या ये आदमी इस केडर के थे और जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता हमेशा से कलेक्टर, कमिश्नर्स के लिए कहा करते हैं कि सरकार के आदमी है और विरोधी पक्ष का कार्य, मैं मानता हूं कि सब लोगों के लिए कहें कि.........

कुं श्री जसवन्तसिंह—यह बिल्कुल गलत है, सिर्फ ऐसा करते हैं उनके लिए कहा था।

श्री नाथूराम मिर्धा--जितने एन्टीइजेक्शन ऑफिसर्स थे उन्होंने ऐसा किया ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अधिकारों के प्रतिकूल काम किया उसके लिए कहा था।

श्री नाथूराम मिर्धा—अधिकार तो सरकार ने दे दिये थे।

श्री भैंरोंसिंह—अधिकार एन्टी इजेक्शन ऑफिसर्स को दिये थे क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा--सरकार ने अधिकार दिये उन्होंने उसके अनुसार काम किया। ऑर्डिनेन्स में लिखा गया। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो काम ठीक तरह से नहीं हो सकता था और किसान जो बेदखल किये जा रहे थे हजारों की तादाद में और बेदखल होते।

इसलिये यह जो कार्यवाही थी उसको अगर डेलीगेट नहीं करके जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इसको हाई कोर्ट ने जिस प्रकार चेलेन्ज किया, जिस प्रकार की कम की ओर हाई कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि 'इजेक्शन ऑफिसर' की जगह 'एस० डी० ओ०' शब्द जोड़ देने से आज तक जो सारी कार्यवाही हुई है वह ठीक हो जायगी। अगर हम यह नहीं करते हैं तो आज तक जितने भी बेदखली के मामले तय हुए हैं उनके साथ गैर इन्साफ होगा।

माननीय चेयरमेन, मेरा ऐसा ख्याल है कि जिन लोगों को अगर उनके द्वारा किये गये फैसलों को जो कि इन ऑफिसरों द्वारा किये गये एस० डी० ओ० शब्द नहीं होने से सारी रद्द हो जायंगे, इसका नतीजा यह होगा कि जिन लोगों को काफी लिटीगेशन के बाद पैसा खर्च करके जो जमीन हासिल हुई फिर उनको लिटीजेशन के लिये सारे केसेज़ को रीओपन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वे आपस में झगड़ा पैदा करें, केसेज़ को अदालत में ले जांय, इस तरह से काफी परेशानी के बाद जो लिटीगेशन समाप्त हो चुका था उसको पुनः चालू करना होगा। यदि हम इस संशोधन को नहीं मानते हैं तो एक तरफ तो हम लोग लिटीगेशन को कम करने की बात कहते हैं और दूसरी ओर इस प्रकार की बातें कहते हैं जिसमें लिटीगेशन बढ़े। इस प्रकार की बातें करने वाले खुद वे बड़े जागीरदार है और दूसरे माननीय सदस्य भी थोड़ी बहुत जमीन रखते हैं जो उन लोगों को दबाने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही करना चाहते हैं।

श्री भैंरूसिंह—मेरे पास आपसे बहुत कम जमीन है।

श्री नाथुराम मिर्धा—मेरे पास कम है या आपके पास, यह तो जांच करने से पता चल सकता है।

इस तरह से जिन लोगों को पहले ही काफी नुकसान हो चुका जो बहुत ज्यादा बेदखलियों के शिकार हो चुके। अगर हम इस कानून को रिट्रोसपेक्टिव इफेक्ट नहीं देते हैं तो इसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं। ऐसी सूरत में गरीब लोगों को मुसीबतों से बचाने के लिए उनके पैसे की बचत के लिए, उनको फिर से बेदखलियों का शिकार न होना पड़े इसलिए यह आवश्यक है कि इस कानून का अमली रूप रिट्रोसपेक्टिव एफेक्ट से लागू होना चाहिए नहीं तो उन गरीब लोगों को बड़ा भारी नुकसान होगा और ज्यादा लिटीगेशन बढ़ेगा।

हाई कोर्ट के फैसला होने से पूर्व लेजिस्लेचर ही एक ऐसी संस्था है जिसमें सुप्रीम पॉवर्स हैं उसको ही यह अधिकार है कि कानून में जो कुछ भी कमी रह गई है उसको पूरा कर सकती है। इस कानून को जो ऑर्डिनेन्स के रूप में पास हो चुका, जो ऑर्डिनेन्स अब भी जारी है, इसे कानूनी रूप देना हर सदन के मेम्बर के लिए जरूरी है।

श्री तनसिंह—माननीय चेयरमेन, अभी इस विधेयक पर विचार करते समय जो दलीलें हमारे सामने आई हैं उनमें से विशेष कर अभी मेरे पूर्व वक्ता ने जो दलीलें दी है वे दलीलें इतनी हास्यास्पद हैं कि इन दलीलों पर इस विधेयक के पास करते वक्त विचार नहीं किया जा सकता। वे यह कहते हैं कि ऐसे कार्य, ऐसे मुकदमें, ऐसे केसेज़ बहुत हो गये थे जिसके कारण इनको इस प्रकार एन्टी इजेक्शन ऑफिसरों की नियुक्ति करनी पड़ी। उसके लिये यह भी कहा गया कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की जाती तो बहुत बड़ी कानूनी समस्यायें पैदा हो जातीं और उसके साथ साथ वे यह भी कह गये कि एन्टी इजेक्टमेन्ट ऑफिसर हैं वे सब ईमानदार थे उनको 'बेईमान' से संबोधित न किया जाय क्योंकि उनको सरकार ने नियुक्त किया था। जो कुछ भी कार्य इन ऑफिसरों द्वारा किया गया उनको सही मान कर चलना चाहिये यह उनकी दलील थी। इस विधेयक द्वारा जो प्रश्न हमारे सामने है वह यह है कि पहले जो कानून राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्ट्स ऑर्डिनेन्स जारी किया गया था उसमें मेन्डेटरी प्रोवीजन्स रखे हुए थे। सरकार या तो ऐसे पॉवर्स एस. डी. ओ. को दे या एस. डी. ओ. के केटेगरी के व्यक्ति को ऐसे पॉवर्स दिये जाने की बात लिखी हुई थी। जब इस प्रकार के मेन्डेटरी प्रोवीजन्स उसमें थे तो कोई कारण नहीं कि सरकार उसका पालन न करें और सरकार फिर यह कहती है कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो कार्य किये गये हैं उनको आप मोहर लगा दें। जब इस प्रकार के मेन्डेटरी पॉवर्स दिये गये थे तो सरकार ने बिना सोचे-समझे नियुक्तियां क्यों कर दीं? इसके बाद में जब वैधानिक अड़चनें प्राप्त होती हैं विधान सभा द्वारा ठीक कराने के लिये कहा जाता है, यह कौन सा तरीका है; इस तरह की तुच्छ दलीलें जो दी जाती है वे मान्य नहीं हैं। अगर राजस्थान सरकार नियुक्तियां जो करती है क्या उसको अपने ....

श्री सभापति—There is no quorum in the House.

श्री तनसिंह (जारी)—कानूनों को देखने की फुरसत नहीं तो कोई बात नहीं लेकिन इन ऑफिसरों की नियुक्ति क्यों की गई। मैं बताना चाहता हूँ जो दलील जो दी गई उसके संबन्ध में

[श्री तनसिंह]

यह कहा गया कि जो कानून पास हुआ इसके बाद में अनेक केसेज़ आ गये जिसके कारण इजेक्टमेन्ट ऑफिसरों की नियुक्ति करनी पड़ी लेकिन कानून में जब पहले से ही प्रोवीजन रख दिया गया था एस. डी. ओ. के पास अधिकार न रखकर दूसरे ऑफिसर को नियुक्त किया गया तो फिर इसके लिये यह दलील देना कि इस प्रकार का कोई प्रोवीज़न ही रखा गया था गलत है।

हम विधान सभा में आकर बैठते हैं तो इसलिये नहीं बैठते हैं सरकार का जो कुछ काम हो चाहे वैधानिक हो चाहे अवैधानिक हो उन सब को वैधानिक बनावें और विधान सभा की सब पर छाप लगा दी जावे। हम यह जानना चाहते हैं, जो कानून हम यहां पास करते हैं, जो कुछ प्रोवीज़न्स कानून में रखे जाते हैं उनका ठीक तरह से पालन किया जाता है या नहीं? अगर सरकार इस प्रकार बिना सोचे-समझे एन्टी इजेक्टमेन्ट ऑफिसर की नियुक्ति करती है कानून के अन्दर जो मेन्डेटरी पॉवर्स दिये हुए हैं उनका ख्याल न करके मनचाहे ढंग से इन सब की नियुक्ति करती है तो सरकार को हमसे यह नहीं मांगना चाहिये कि हमारे गलत काम को ठीक करने की कृपा की जाय। जब एक ओर हम इस कानून को पास करते हैं तो यह साफ तौर से विदित हो जाता है कि पुराने कानून में जो मेन्डेटरी प्रोवीज़न्स रखे हुये हैं उनको रिपील कर रहे हैं। जब हम एक तरफ लोगों को यह बताना चाहते हैं कि हमारे न्यायालय इस प्रकार के हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक को न्याय बिना पक्षपात के प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब न्यायालय एक तरफ यह निर्णय दे देती है निर्णय देने के लिये बाध्य हैं, उसके सामने जो तथ्य आये हैं उससे सरकार अपनी आंख मीच ले तो यह न्याय कैसे कहला सकता हैं।

आज राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्ट्स ऑर्डिनेन्स कई वर्ष हो गये सदन से पास हो चुका किन्तु अभी तक हाई कोर्ट से कुछ केसेज़ के फैसले नहीं हो जाते तब तक उसके अनुसार कार्य नहीं हो सकता तो फिर श्रेय लेने की आवश्यकता क्या थी?

यह दलील दी जाती है कि एक आर्डिनेन्स पास किया जाता है उसको कानून बना दिया जाना चाहिये। आर्डिनेन्सेज का पास करना सरकार के हाथ में है। फिर विधान सभा द्वारा उसको डिटो करवा लिया जाता है। यह दलील भी ग्राह्य नहीं है, इस प्रकार जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है उसके पीछे जो तथ्य है उसमें एक भी महत्वपूर्ण नजर नहीं आता। सरकार कानून की मन्शा को और कानून के प्रोवीज़न्स को ठीक प्रकार से अमल नहीं करती, जब दिक्कतें पेश होती है, ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है जिनको सरकार स्वयं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर्स द्वारा ठीक नहीं कर सकती तो वह विधान सभा द्वारा ठीक करवाई जाती है। जब कोई प्रश्न न्यायालय के सामने होता है, जब न्यायालय द्वारा गलत करार दे दिया जाता है तो उस गलती को, अवैधानिक काम को ठीक से कर वाने के लिये हमारे सामने प्रस्तुत होता है जिसमें कई वर्ष पहले की गलतियां है उनको ठीक कराने के लिये विधान सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे कानून को पारित करने के साथ साथ सरकार को हमें आश्वासन देना चाहिये आयन्दा से इस प्रकार के प्रोवीज़न्स के खिलाफ काम नहीं किया जावेगा

[श्री तनसिंह]

नहीं रखे जायेंगे । यदि उसमें किसी प्रकार की गलती हो और फिर विधान सभा के सामने उसको ठीक करने के लिये नहीं रखा जाय । आशा है सरकार इस कानून को पास करने के साथ इस प्रकार के कदम उठाने की कोशिश करेगी ।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय चेयरमैन सर, यह एक बहुत साधारण बात थ और इस लिए मैं यह समझता था कि इसका विरोध नहीं होगा । पर इस पर काफी लम्बी बहस हो गई । मैं इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं । वास्तव में बात यह है कि सन् ४६ में जब कि राजस्थान बना उस समय किसानों की बेदखलियों का तांता इतना लगा कि हजारों किसान बेदखल होने लगे और इसके हजारों केसेज़ होने लगे । उस वक्त इस बात को ध्यान में रख कर सरकार ने एक कानून बनाया और उस कानून से सरकार की मंशा यह थी कि किसान जो खेती करते हैं बेदखल न किये जावें और उस किस्म के मुकद्दमे जो इस कानून की तहत में बने उनको ट्राई करने के लिए एस. डी. ओ. और दूसरे अफसर जो एस. डी. ओ. की स्टेटस के थे नियुक्त किये गये ताकि वे उन मुकद्दमों की ट्राई कर सकें । पर चूंकि इस कानून की तहत इतने अधिक मुकद्दमें आ गये थे कि अकेले एस. डी. ओ. के लिए उनको डिस्पोज़ ऑफ करना संभव नहीं रहा था और किसानों को भी जल्दी से राहत पहुँचाना आवश्यक था इसलिए सरकार ने इन केसेज़ को ट्राई करने के लिए कुछ अफसर अपने यहां ऐसे मुकर्रर किये जिनका नाम एन्टी इंजेक्शन ऑफीसर रक्खा । ये ऐसे ही लोग थे जो एस. डी. ओ. की स्टेटस के थे । पर कानून में इन एन्टी इजेक्शन ऑफिसर और एन्टी इजेक्शन का जिक्र नहीं था इसलिये यह वैधानिक आपत्ति उत्पन्न हुई जब कि कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में इस कानूनी नुक्स को लेकर रिट कर दिया । तो वास्तविक स्थिति है । किसानों के इन केसेज़ के जो कि हजारों की तादाद में हैं और जिन पर इन एन्टी इजेक्शन आफीसरों ने फैसले भी कर दिये हैं वे फैसले अब रद्द न हो जावें और इससे किसानों के लिए फिर एक नई मुसीबत नहीं खड़ी हो जाय इस बात को मद्दे नजर रखते हुए उस कानूनी नुक्स को पूरा करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई राइट्स किसी के एक हो गये हैं या कोई नया कानून बना रहे हैं । इसलिए अब इस कानून के जरिये यही बात कि इनका स्टेटस भी इन एस. डी. ओ. जैसा ही था डिफाइन की गई है और हमेशा ये इसी स्टेटस के अफसर माने भी गये हैं । तो यह खास रियासत से आने वाले मेरे माननीय मित्र और विरोधी दल के नेता को यह जो भ्रम हो गया है कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी की जा रही है, कोई लम्बे चौड़े अधिकार सरकार प्राप्त कर रही है या कोई किसानों को नुकसान पहुँचाने का इरादा है, ऐसी बात कतई नहीं है । इसमें तो जिन अधिकारियों ने काम किया, पर जिनका नाम कानून में डिफाइन नहीं किया गया, उनका सिर्फ वह स्टेटस डिफाइन इसमें किया जा रहा है और वह जो इर्रेगुलेरिटी रह गई उसे रेगुलर किया जा रहा है और कोई नई बात नहीं की जा रही है । इसलिए मैं समझता हूँ कि यह स्पष्टीकरण करने के बाद उनके विरोध का कोई कारण नहीं रह जावेगा । ऐसा भी जो कहा गया है कि किसी वर्ग विशेष के दबाव की कार्यवाही की जा रही है, ऐसा भी नहीं है । इन अफसरों ने निहायत ईमानदारी और सही तरीके से बेदखलियों को रोका है । तो

[श्री दामोदरलाल व्यास]

ऐसी स्थिति में अगर इनके स्टेटस को डिफाइन नहीं करते हैं और इस कानून को पास नहीं करते हैं तो उन बेदखल हुए किसानों के सामने जिनको इनके फैसलों द्वारा वापिस कब्जा मिला है एक बड़ी आपत्ति खड़ी हो जावेगी, हजारों किसानों के हक में किये गये फैसले रद्द हो जावेंगे महज एक नोमिनल डिफेक्ट के कानून बनाते समय रह जाने की बजह से; तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर कन्सीडर करना शुरू किया जाना चाहिये।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)-The Bill is being moved.

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अब इस बिल को पारित किया जावे।

श्री भैरुसिंह—इस पर संशोधन भी है साहब।

श्री सभापति—संशोधन ऐसा कोई नहीं आया। No notice has been received.

अभी तक कोई संशोधन आपका नहीं आया और अब आने से कुछ मतलब नहीं, फिर आवश्यकता भी नहीं है अब।

श्री भैरूंसिंह—ऐसी स्थिति में फिर मैं विरोध में बोलने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)-आवश्यकता नहीं है। चूंकि आप विरोध में बोल चुके है इसलिए इजाजत देने का अब कोई सवाल नहीं है।

श्री भैरोसिंह—मैंने जो बात कही उस पर माननीय मंत्री महोदय ने जो स्पष्टीकरण किया उसके बाद में बोलने की आवश्यकता महसूस हुई है।

श्री सभापति—I do'nt think so.

प्रश्न यह है कि राजस्थान एन्टी इजेक्शन ऑफिसरों की कार्यवाहियों का और निर्णयों का (वैधकरण) विधेयक, १६५५ को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

बिल पारित किया गया।

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४ (अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री सभापति—अब लीजिये राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल, १९५४ की पेन्डिंग क्लॉजेज़ ५, ८, ६, २४ और २५। (श्री दामोदरलाल व्यास को सम्बोधित करते हुए) इनके बाबत आप क्या कहते हैं ?

श्री दामोदर लाल व्यास—ये डेफर रखे गये थे।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह) अभी तक डेफर रखना चाहते हैं? तो फिर २६ लेंगे, २५ पर बहस चल रही थी।

श्री भैंरू सिंह—(१६) २५ भी डेफर हो गया साहब।

श्री सभापति—क्लॉज़ २५ पर श्री श्यामलाल गोयल का एक अमेन्डमेन्ट है।

श्री भैंरुसिंह—माननीय चेयरमेन, यह डेफर कर दिया गया था।

श्री दामोदरलाल व्यास—It was deferred so far as the amendment on clause 25 by Shri Chandmal Mehta was concerned. But so far as Shri Shyamlal Goel's amendment is concerned, it may be put to vote if he presses.

Only the voting has been deferred on this clause.

श्री सभापति—श्री चांदमलजी का तो कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है इस पर।

श्री चांदमल मेहता—क्लॉज़ २४ पर था और २४ और २५ का आपस में घनिष्ट सम्बन्ध था, इसलिए इसको भी डेफर किया गया था।

श्री भैंरु सिंह—क्लॉज़ २४ डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स और एडिशनल और असिस्टेन्ट डाइरेक्टर्स ऑफ लैण्ड रेकार्ड्स की नियुक्तियों के बारे में था और क्लॉज़ २५ भी नियुक्तियों के सम्बन्ध में है तो परसों इस बात पर बहस चल रही थी कि डाइरेक्टर ऑफ लैण्ड रेकॉर्ड्स और एडिशनल और असिस्टेन्ट डाइरेक्टर ऑफ लैण्ड रेकॉर्ड्स की आवश्यकता है या नहीं। इसको महसूस करने और इस पर निर्णय करने के कारण क्लॉज़ २४ को डेफर कर दिया गया था और २५ का चूंकि इससे सम्बन्ध है इसलिए यह भी डेफर कर दिया गया था। मैं समझता हूँ कि जब २४ क्लॉज़ डेफर कर दिया जाता है तो फिर क्लॉज़ २५ पर कोई निर्णय नहीं हो सकता, इसका निर्णय भी क्लॉज़ २४ के साथ ही लिया जा सकता है।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—क्या रेवेन्यू मिनिस्टर साहब कृपा करके इस पर प्रकाश डालेंगे। यह कहा जा रहा है कि क्लॉज़ २४ का डाइरेक्टर ऑफ लैण्ड रेकॉर्ड्स की नियुक्ति

[श्री सभापति]

से सम्बन्ध है और इसका सम्बन्ध २५ में भी आता है इसलिए क्या २५ भी डेफर कर दिया गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास—It was......

Clause 24 and 25- both the clauses were deferred.

श्री सभापति—Only voting was deferred.

श्री दामोदरलाल व्यास--२५ का मैंने जवाब दे दिया था और इसके बाद वोटिंग को डेफर कर दिया गया था।

श्री सभापति—The voting was deferred. Then we proceed to clause 26.

श्री श्यामलाल गोयल—क्लॉज़ २६ को भी डेफर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी क्लॉज़ेज़ २४ और २५ का जिक्र आया है और क्लॉज़ २७ को भी डेफर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी क्लॉज़ २६ का जिक्र किया गया है।

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास—Clause 27 need not be deferred, Sir.

Let us discuss clause 26, if there is any amendment.

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—If you want to defer it, it is all right; otherwise there are several amendments on clause 27. Shri Shyamlal Goal has au amendment on clause 27.

श्री दामोदरलाल व्यास—Then we take clause 27.

क्लॉज़ २७

श्री सभापति—क्लॉज़ २७, श्री श्यामलाल गोयल

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय चेयरमेन, वैसे तो क्लॉज़ २७ को भी डेफर करना चाहिए था, क्योंकि इस क्लॉज से " All appointments made under on section 22 to 26 shall be notifid in the Rajasthan Gazette, provided that it shall not be necessory so to notify the appointments of Naib Tehsildars."

[श्री श्यामलाल गोयल]

जब क्लॉज़ेज़ २४-२५ और २६ डेफर हो जाती हैं और ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि इनमें से किसी धारा को डिलीट कर दिया जाय तो फिर इसमें एमेंडमेंट की जरूरत हो जायगी। इसलिए इसको डेफर करना चाहिए था। खैर यह माननीय मंत्री महोदय सोचेंगे कि इसको डेफर किया जाय या न किया जाय, लेकिन इसमें मेरा एक एमेंडमेंट है कि इस धारा को डिलीट कर दिया जाय।

आज जो एप्वाइन्टमेन्ट्स, ट्रान्सफर्स वगैरह के नियम हैं उनके आधीन जितनी भी गजटेड पोस्ट्स होती हैं उन तमाम का गजट नोटिफिकेशन हो जाता है। जितने भी एप्वाइन्टमेन्ट्स धाराए २२, २३, २४, २५ में बतलाये गये हैं उनमें सिवाय नायब तहसीलदार के जो कि ऑफिसर होते हुये भी गजेटेड ऑफिसर नहीं हैं, इस एप्वाइन्टमेन्टस को गजट में नोटिफाई नहीं किया जाता और कोई भी ऑफिस है नहीं जिसका कि गजट में नोटिफिकेशन होता नहीं। जब कि पहले से ही जितने भी एप्वाइन्टमेन्ट्स इसके तहत में किये जाते हैं उन तमाम ऑफिसर्स का गजट में नोटिफिकेशन होता है, तो फिर कोई जरूरत महसूस नहीं होती है कि इस धारा को यहां रखा जाय। अलबत्ता इससे मैं यह महसूस करता हूँ कि रूल्स ये हैं कि गजेटेड ऑफिसर का ही गजट में नोटिफिकेशन किया जाय तो नोन गजेटेड ऑफिसर्स का भी तो नोटिफिकेशन का अधिकार नहीं है। या ऐसी कोई चीज़ की जाय इसकी जरूरत नहीं और न यह की जानी चाहिए। मैं इस धारा २७ को बिल्कुल गैर जरूरी समझता हूँ और मैं यह समझता हूँ कि यह नहीं होना चाहिए। गजट नोटिफिकेशन एप्वाइन्टमेंट्स के लिहाज से जिनका होता है उनका वैसे भी होगा, चाहे धारा यहां हो या न हो। इसलिए मैंने यह एमेंडमेंन्ट पेश किया है, और मैं इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय।

श्री सभापति—श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—Mr. Chairman, Sir. I beg to move the following amendment to clause 27:—

Delete the words 'provided that.... ....Naib Tehsildars.'

चेयरमैन महोदय, इस क्लॉज़ में जो प्रोवीजो है उसको डिलीट करने के बारे में मैंने संशोधन रखा है। वह है—

"provided that it shall not be necessary so to notify the appointments of Naib Tehsildars.'

[श्री चांदमल मेहता]

क्लॉज़ २७ में २२ से २६ तक के क्लॉजेज़ के बारे में यह व्यवस्था की गई है कि उनके एप्वाइन्टमेंट का गजट में नोटिफिकेशन हो और उसमें यह दिया गया है कि नायब तहसीलदार को उसमें से निकाल दिया जाय। मेरा संशोधन है कि नायब तहसीलदारों का भी गजट में नोटिफिकेशन होना चाहिये। तहसीलदार और नायब तहसीलदार में एक तरह से एक सा काम है। सारी तहसील का काम करना है तो उनका काम बराबर होता है। काश्त गिरदावरी होती है और रेकॉर्ड बनता है तो उनकी जांच के लिए कई हलके तहसीलदार के मातहत रखे जाते हैं और कुछ नायब तहसीलदार के मातहत रखे जाते हैं। और दूसरे कामों में भी उनका काम बंटा रहता है। कुछ ऐसे पॉवर्स होते हैं जिनको केवल तहसीलदार ही इस्तेमाल करता है। तो जो काम तहसीलदार करता है उसी ढंग के काम नायब तहसीलदार को भी करने पड़ते हैं। इसलिए जनता की जानकारी के लिए यह आवश्यक है कि नायब तहसीलदार का भी गजट में नोटिफिकेशन हो।

दूसरी बात जो इस सम्बन्ध में मैं जरूरी समझता हूँ वह यह है कि गजट में नोटिफिकेशन किन ऑफिसर्स का किया जाना चाहिये इसके बारे में कोई न कोई उसूल हो। मेरे खयाल से जिन अधिकारियों का कनफर्मेशन पी. एस. सी. के द्वारा होता है ऐसे ऑफिसर्स का गजट में नोटिफिकेशन हो जाना चाहिये। नायब तहसीलदारों का कनफरमेशन भी पी. ए. सी. के द्वारा होता है। इस दृष्टि से भी यह आवश्यक मानते हुए कि नायब तहसीलदारों का नोटिफिकेशन हो। यह एक आवश्यक बात हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें कि खास उलझन हो। आम जनता की जानकारी के लिए नायब तहसीलदार के एप्वान्टमेंट का नोटिफिकेशन हो जाता है तो कोई हर्ज की बात नहीं होती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति—श्री भैंरूसिंह (१६)।

श्री भैंरूसिंह (१६)—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to clause 27:—

Delete thh words 'provided that it shall not be necessary so to notify the sppoin:ments of Naib Tehsildars,' and substitute the words 'except the appointment of Naib Tehsildars'.

मैं समझता हूँ कि माननीय राजस्व मंत्री इसको स्वीकार कर लेंगे। यह कोई सिद्धान्त की चीज़ नहीं है, लेकिन इस क्लॉज़ के ड्राफ्टिंग का प्रश्न है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—ड्राफ्टिंग इसका बेटर है।

श्री भैंरूसिंह (१६)—उसमें लिखा है—'provided that it shall not be necessary so to notify the appointments of Naib Tehsildars'

[श्री भैरोंसिंह]

मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके कारण यह क्लॉज़ यों पढ़ा जायगा ।

"All appointments made under sections 22 to 26 shall be notified in the Rajasthan Gazette except the appointments of Naib Tehsildars.'

मैं समझता हूँ कि इस दृष्टि से जो मेरा संशोधन है वह ठीक है । इसमें प्रोवाइडेड लगाकर एक प्रोवीजो की स्थिति हो गई है । मैंने एक ही सेन्टेन्स में प्रोवीजो के फुल सेन्टेन्स को दूर करके 'except the appointments of Naib Tehsildars' कर दिया है । उसकी जगह यह एडजस्ट कर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा ।

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय सभापति, तीन एमेंडमेन्ट्स पेश हुए हैं इस क्लॉज़ में । एक एमेन्डमेंट तो माननीय श्री श्यामलाल जी गोयल ने पेश किया है । मेरे खयाल से वे उसको विद्ड्रा कर लेंगे । एप्वान्टमेंट्स का उनको खयाल है कि गजट में अपने आप होता है, इसलिये इस प्रोविज़न की जरुरत नहीं है । मैं समझता हूँ कि जब तक लीगल सेंक्शन किसी एप्वान्टमेन्ट के लिये नहीं है, उसको गजट न किया जाय । उस वक्त तो गवर्नमेंट की पाबन्दी नहीं है । इसलिये यह जरूरी है कि जो ऑफिसर्स २२,२३,२४ के मातहत नियुक्त हों उनका एप्वान्टमेन्ट गजट में नोटिफाई किया जाय ।

दूसरा एमेन्डमेन्ट दांता रामगढ़ से आये हुये माननीय सदस्य का है । उसके लिये मैं अर्ज़ करता हूँ कि प्रोजोलाजी जो इस क्लॉज़ की है वह बेटर है बमुकाबले जो कुछ सजेस्ट किया है उसके । इसलिये मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ । इसके अन्दर डिस्क्रीशन दिया गया है... "provided that it shall not be necessary so to notify the appointments of Naib Tehsildars." नेसेसरी नहीं है । अगर गवर्नमेंट किसी वक्त जरूरत समझे कि एप्वाइन्टमेन्ट्स नोटिफाई होने चाहिये तो वह करेगी । जैसे कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि पी. एस. सी. से जिनका कनफरमेशन हो तो उनको गेजेटेड किया जाय । ऐसी सूरत में इस प्रोजोलाजी से गवर्नमेन्टको डिस्क्रीशन मिल जाता है । तो आवश्यकतानुसार गजट में नोटिफाई करके अगर जरूरत समझे तो, वर्ना आम तौर पर सारे यह जो ऑफिसर्स के एप्वान्टमेन्ट्स, ट्रांसफर्स और पोस्टिंग वगैरह नोटिफाई होते हैं तो जो गजेटेड होते हैं उनके होते हैं ।

तो तीसरा सुझाव जो माननीय श्री चांदमल मेहता ने दिया मैं उसको भी स्वीकार नहीं करता हूँ क्योंकि वह चाहते हैं कि अनिवार्य कर दिया जाय कि नायब तहसीलदार को भी गजेटेड किया जाय । मेरे खयाल से वह बहुत गैर जरूरी है । नायब तहसीलदार किसी तरह का ऑफिसर नहीं है । जब किसी नायब तहसीलदार को पॉवर्स दिये जाते हैं, कोई क्रिमनल पॉवर्स दिये जाते हैं, तो पॉवर्स देने की बात बराबर गजेटेड की जाती है । इसलिये मेरा खयाल है कि एमेन्डमेन्ट गैर जरूरी है । मैं समझता हूँ कि माननी सदस्य इस पर विचार करके अपने एमेन्डमेन्टस को वापिस ले लेंगे ।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय चेअरमेन, मुझे मेरे अमेन्डमेन्ट जो क्लॉज़ २७ में पेश किया गया है उसको वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है कि इनको अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की इजाजत दी जायें ?

(स्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की इजाजत दी गई।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूँ।

श्री चांदमल मेहता—यद्यपि राजस्व मंत्रीजी ने कारण नहीं बताया मेरे अमेन्डमेन्ट को अस्वीकार करने के बारे में फिर भी मैं अपना संशोधन वापिस लेने के लिये अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है कि इनको अपना संशोधन वापिस लेने दिया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री भैरोंसिंह—मुझे अपना संशोधन वापिस लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पूर्व मैं श्री राजस्व मंत्रीजी से स्पष्टीकरण चाहूँगा। माननीय चेयरमेन, जिस तरह के इस क्लॉज़ के वर्डिंग्ज हैं :

"Provided that it shall not be necessary so to notify the appointments of Naib-Tehsildars."

इसका अर्थ राजस्व मंत्रीजी ने यह लगाया है कि सरकार यदि यह आवश्यक समझे कि किसी नायब तहसीलदार की अपोइन्टमेन्ट का नोटिफिकेशन गजट में होना चाहिये तो ओब्लीगेटरी प्रोविजन है और सरकार इस अपोइन्टमेन्ट को नोटिफाइ गजट में कर सकती है। यदि सरकार की दरअसल में ऐसी मंशा है तो इसके जो वर्डिंग्ज हैं उनसे मंशा पूरी नहीं होती। यदि इस मंशा का समावेश करना है तो मैं निवेदन करूंगा कि अभी इसको डेफर करके ५-७ मिनिट में दूसरा ड्राफ्ट करके पेश करें। यह ऑब्लिगेटरी है मेन्डेटरी और नेसेसरी नहीं है। यह कहा गया है कि इसको नोटिफाइ करना बहुत जरूरी नहीं है। सरकार चाहे तो कर सकती है। हम जब किसी चीज़ को नेसेसरी समझते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि सरकार की मर्जी पर रहे कि सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन

[श्री भैंरूसिंह]

करे नहीं चाहे तो नहीं करावे । यदि राजस्व मंत्रीजी की ऐसी भावना है कि हमें अधिकार रखना है कि फलां अपोइन्टमेन्ट को नोटिफाइ किया जाय और नहीं चाहे तो नहीं किया जाय । एक क्लॉज जो लागू हो वह ऑब्लिगेटरी हो जाय और अगर वे चाहते हैं कि इस भावना का भी समावेश किया जाय तो निवेदन करूंगा कि इसको इस समय पास न करके दो-चार मिनिट में दूसरा ड्राफ्टिंग करके इस भावना का भी उस में समावेश करके इसको दुबारा रखा जाय । यदि ऐसी इच्छा उनकी नहीं है तो मजबूर होकर वापिस लेने की अनुमति चाहूँगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जो फ्रेजयोलोजी है वही ठीक है, इसमें चेन्ज करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री भैंरूसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ ।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है कि इनको अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेनें की अनुमति दी गई ।

श्री भैंरूसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री सभापति—अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७ विधेयक, का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ २८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २८ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

Page No.61

[श्री सभापति]

क्लॉज़ २८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २९, श्री भैरूसिंह।

श्री भैरूसिंह (वि. सं. १६)—मैं अपने संशोधन सदन में प्रस्तुत करूं उससे पूर्व राजस्व मंत्रीजी से अपील करूंगा कि क्लॉज़ २९, ३०, और ३१ इन तीनों क्लॉजेज़ में लैंड रेकॉर्ड्स ऑफिसर्स की नियुक्ति और अधिकार के बारे में जिक्र है। हम इन पोइन्ट्स के ऊपर दुबारा बहस करें उससे पहले हमें यह मालूम हो जाना चाहिए कि सरकार की मंशा डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकार्ड्स की अपोइटमेन्ट करने की है या नहीं। यदि डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स की अपोइन्टमेन्ट नहीं होगी तो हमारी बहस दूसरी तरह की होगी और यह देखना होगा कि इन ऑफिसर्स के क्या क्या अधिकार होंगे आदि। लेकिन जब इस बारे में कोई स्पष्ट झलक नहीं है तब तक हम बहस नहीं करेंगे। लैंडरेकॉर्ड्स ऑफिसर्स के क्या पोवर्स होंगे,उनके ऊपर कंट्रोलिंग आथोरिटी कौन होगी, इन सब बातों का समावेश उसमें होना चाहिये। इन सब बातों को तय करने से पहले हमें जानना चाहिऐ कि डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स की नियुक्ति होगी या नहीं। जब तक यह स्पष्ट नहीं हो तब तक यह डेफर करना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)-वैसे क्लॉजेज़ २४ और २५ को पूरा डिस्कशन होने के बाद डेफर किया गया था। सरकार ने तो उस क्लॉज़ को और इसको जान बूझ कर रखा है, मगर सदस्यों का ऐसा विचार था कि इसको डेफर कर दिया जाय; इसलिए वोटिंग डेफर कर दिया गया था और डिस्कशन हो चुका था। इसलिए इसके बारे में भी डिस्कशन कर दिया जाय और वोटिंग डेफर कर दिया जायगा।

श्री भैरूसिंह— डिस्कशन कैसे हो जायगा ? डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स की पोस्ट रहेगी या नहीं, यह पहले मालूम होना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह रहेगी, ऐसा मानकर चलना चाहिए। सरकार ने तो आवश्यक समझ कर यह क्लॉज़ रखा ही था।

श्री भैरूसिंह—मान कर चलने का कोई सवाल नहीं है। यदि ऐसी बात है तो पहले ही क्यों कह दिया कि यह रहेगी। जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक कैसे मान लें।

श्री सभापति—मंत्रीजी ने कहा है कि इसको मानकर चलें।

श्री भैरुसिंह—जब तक यह तय नहीं हो जाता कि डाइरेक्टर की पोस्ट रहेगी या नहीं तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लैंड रेकॉर्ड्स ऑफिसर्स पर डाइरेक्टर का कंट्रोल रहने का जिक्र है। यदि उस पद को समाप्त कर दिया तो फिर कौन, उसको कंट्रोल करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा ? जब ये सब बातें तय हो जांय तब इस पर डिस्कशन करें तो अच्छा रहेगा।

श्री सभापति– वैसे इस क्लॉज़ का संबंध उस क्लॉज़ से जरूर है।

श्री दामोदरलाल व्यास—इस पर डिस्कशन तो अभी हो जाय और वोटिंग डेफर कर देंगे।

श्री वेदपाल त्यागी—डिस्कशन करने में यह दिक्कत आती है कि जो मूल-भूत सिद्धान्त है उस पर तो कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यदि उस पर निर्णय हो जाय कि वह पद नहीं रहेगा तो डिस्कशन और तरह से चलेगा और यदि वह पद रहेगा तो इस पर डिस्कशन और तरह से चलेगा। डेफर करने में अड़चन ही क्या है ? जब निर्णय डेफर करने को तैयार हैं तो डिस्कशन डेफर करने में क्या बात है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—I do not mind if the House so please to defer this also.

इसमें खास डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है

श्री वेदपाल त्यागी—डिस्कशन की फिर जरूरत नहीं होगी।

श्री दामोदर लाल व्यास—As a matter of fact the clause is so formal that it needs no discussion.

(खण्ड २८ डेफर किया गया)

श्री सभापति—क्लाजेज़ २९, ३०, ३१ और ३२ को जो पॉवर्स ऑफ कोर्ट्स एण्ड ऑफिसर्स के बारे में है, डेफर करने का है। इनको डेफर किया जाय या नहीं ?

(स्वीकृत)

इन क्लॉजेज़ को डेफर किया जाता है।

(विराम)

Clause 33. There is no amendment on clause 33.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३३ विधेयक का अंग बने।

[श्री सभापति]

(स्वीकृत)

क्लॉज ३३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Clause 34. Shri Bharoin sigh.

श्री भैंरूसिंह (वि० सं० १६)—Mr. Chairman, I beg to move the following amendment to Clause 34 :—

"In part (i), delete the words 'any other officer of a superior grade so functioning or, if there be no such superior officer occurring in second, third and fourth lines."

माननीय चेयरमेन, इस क्लॉज ३४ में यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई रेवेन्यू अधिकारी किसी भी कारण से छुट्टी पर बीमारी के कारण से या किसी दूसरे स्थान पर टेम्पोरेरी स्थानान्तर हो जाय; इस कारण से यदि अपने स्थान से दूसरी जगह जाता है तो उसको चार्ज किसको देना चाहिये। इस कानून में यह व्यवस्था है कि उसको सबसे पहले यह तलाश करना चाहिये कि जिस स्थान पर वह नियुक्त है उस स्थान पर उस ग्रेड का कोई दूसरा ऑफिसर है या नहीं।

यदि उसको उस स्थान के ऊपर उसके बराबर के ग्रेड का अफसर मिल जाता है तो उसको चार्ज देना चाहिये, पर यदि उसके बराबर के ग्रेड का अफसर नहीं मिलता है तो उसको चाहिये कि अपने से ऊपर के अफसर को चार्ज दे दे। आज तक यह नियम था और है भी। राजस्थान में ही नहीं, समूचे देश में इस प्रकार का कानून है कि यदि कोई अफसर अपने स्थान से बाहर जाता है तो अपने काम का चार्ज किसी अफसर को देता है तो उस वक्त यह ध्यान में रहता है कि चार्ज लेने का अधिकारी कौन है और चार्ज किसको देना चाहिये। या तो इस प्रकार का अपोइन्टमेंट होता है। छुट्टी या अन्य किसी कारण से वह जाता है तो यह प्रश्न होता कि किसको चार्ज देना है, कौन उसके कार्य को करने का अधिकार रखता है, यदि हुक्म में यह चीज स्पष्ट है तो ठीक, नहीं तो उस अफसर को चाहिये कि अपने बराबर के अधिकारी की तलाश करे, तलाश करना चाहिये और बाद में बराबर का अफसर नहीं मिले तो अपने से ऊपर के अधिकारी को चार्ज देना चाहिये। यदि कमिश्नर को बराबर का अधिकारी नहीं मिले तो रेवेन्यु मिनिस्टर साहब को चार्ज देकर जाना चाहिये। एस. डी. एम. कहीं जाय तो कलेक्टर को चार्ज देकर जाना चाहिये, और कलेक्टर कहीं जाय तो कमिश्नर को चार्ज देकर जाना चाहिये। परन्तु हमने देखा कि लैंड रेवेन्यु कानून के जरिये और राजस्व सम्बन्धी जितने कानून हैं उनके द्वारा एस. डी. एम. को, कलेक्टर को, कमिश्नर को, किन्हीं मामलों में राजस्व मन्त्री के पास Referencs करना पड़ता है। यदि हमें इस प्रकार की दिक्कत नहीं हो तो ऐसी व्यवस्था करनी कि जिस अफसर के पास

[श्री भैरूसिंह]

मातहत की अपील जाती है उसको उसके चार्ज लेने का अधिकार दिया जाय। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जिन्होंने ऐसी सरकार बनाई है, उनमें ऐसे कानून बने हैं। मत्स्य सरकार बनी और राजस्थान में इन्टीग्रेट होने लगी तो वहां के एक पोपुलर मिनिस्टर ने देखा कि मैं मिनिस्टर शायद रहूं या न रहूं, उस समय के पी. डब्लू. डी. के मिनिस्टर थे, उन्होंने सोचा कि शायद मिनिस्टर न रहूं इसलिये पी. डब्लू. डी. का इन्जीनियर जो कि ड्यूटी में था, उसका चार्ज उन्होंने ले लिया। उन्होंने देखा कि मिनिस्टर न भी रहा तो इन्जीनियर तो रहूंगा और वे इन्जीनियर हो गये। राजस्थान में ऐसी चीजें हैं, और जगह ऐसी चीजें सुनने में नहीं मिली।

यदि किसी अधिकारी को अपील सुनने का अधिकार है, उनको चार्ज लेने का अधिकार है, उन दिनों में उन केसेज़ के गवाह और सम्बन्धित पार्टियों को इतल्ला दे दी गई है तो या तो कार्यवाही होगी या केसेज़ को रोकेगा। उन केसेज़ को रोकने का कोई मतलब हल नहीं होता।

उच्च अधिकारी को जिसको कि अपील करते हैं, वह हो तो यह हो कि या तो तारीख बढ़ा दें, या यह हो कि वह अधिकारी वापिस लौटेगा तब वही इसकी सुनवाई करेगा ऐसा आदेश दे दें।

हमारी मन्शा यह है कि काम ढिले न हो। यदि उच्च अधिकारी को मातेहत अधिकारी चार्ज दे कर चला जाय तो अच्छा है पर यह सोचना पड़ेगा कि यदि मातेहत अधिकारी का, उच्च अधिकारी काम करता है तो यह बात गलत है कि नहीं, बात गलत है। चार्ज अधिकारी का दिया जाता है मातेहत को, यदि वह उनकी सुनवाई करने का अधिकारी नहीं है तो गजट में ऑर्डर दे सकते हैं कि अमुक अधिकारी को इन मामलात की सुनवाई का अधिकार देते हैं। पर दिक्कत यह आती है कि जब हम ऊपर के अधिकारी को ऐसा अधिकार देते हैं तो यह सोचना पड़ेगा कि ऊपर वाले को अपील सुनने का अधिकार रहता है कि नहीं। वह नहीं रहता। यह भी सोचना पड़ेगा कि उच्च अधिकारी को चार्ज दे दिया गया है तो उसके पास अपील हो सकती है या नहीं?

कलेक्टर कमिश्नर को चार्ज देता है तो उनको सोचना पड़ेगा कि किसी कलेक्टर के पास कुछ केसेज़ ऐसे हैं जिनकी अपील कमिश्नर के पास है, उन केसेज़ में वह पहले से ही ओपिनियन लिये हुए होता है इसलिये न्याय नहीं कर सकेगा, इसलिये उच्च अधिकारी को काम देने का सोचा है वह अनुपयुक्त होगा।

ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को या रीडर को चार्ज दे दिया करें तो जितने गजेटेड ऑफिसर हैं, कोई छुट्टी जाय, स्थानान्तरण के लिये जाय तो हम यह आज्ञा करें कि जिस व्यक्ति को चार्ज दिया जाय तो वह डिस्पोज़ल कर सकेगा।

[श्री भैरूसिंह]

यदि यह सारी की सारी चीजें बनें तो केसेज़ के जल्दी डिस्पोजल की दृष्टि भी पूरी होगी और अपील के अधिकार पर चोट पहुंचने वाली है वह भी नहीं होगी और काम भी सुचारू रूप से होगा।

ऊपर के अधिकारी को चार्ज देने की व्यवस्था इसमें की गयी है वह नहीं होनी चाहिए।

सेलेक्ट कमेटी ने भी ओरिजिनल ड्राफ्ट लिखा है। उसमें इस भावना का समावेश किया है। केवल इतना हो कि charge देने में किसी अफसर का डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिये कि किसको चार्ज दे। यह ठीक है कि इसके लिए नियम बनाने पड़ेंगे, पर यह आवश्यक नहीं कि ऊपर वाले अफसर को चार्ज दे। अगर वह अधिकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है और उसको दूसरा अधिकारी रेवेन्यु डिपार्टमेंट का नहीं मिलता है तो दूसरे डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी को चार्ज दे दे, या यह हो सकता है कि उसी स्थान के अफसर को चार्ज देने की व्यवस्था करे तो उससे कम ग्रेड का अफसर हो उसको चार्ज दे दे। बड़े ओहदे के अफसर को चार्ज देने का हमने तो नहीं देखा। राजस्व मंत्रीजी से प्रेरणा लेकर कोई कानून बनाये तो इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है।

कोई व्यक्ति यह सोचे कि मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे, आज मिनिस्टर हूँ और शायद कल न रहूँ, इसलिये नीचे का जो पद है उस अफसर को छुट्टी देकर उसका चार्ज ले लूं, अगर उसके पीछे यह भावना हो तो यह दूसरी बात है। पर इससे कोई अच्छी परम्परा नहीं बनती। यह कोई अच्छी बात नहीं।

इसलिये मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ऑरिजिनल रूप में जो क्लॉज़ था उसी रूप में इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय चेअरमेन, इस क्लॉज को समझने में जरा गलती हुई है। यदि माननीय सदस्य इसे पूरा पढ़ते तो यह दिक्कत महसूस नहीं करते, उनको जो खतरा महसूस हो रहा है वह महसूस नहीं होता। ऊंचे अफसर के पास चार्ज जाने से उनको जो खतरा महसूस हो रहा है वह नहीं होता। इसमें साफ लिखा है......

"While in such charge, perform the routine duties of the officer."

यह सही नहीं है, जैसा मेरे लायक दोस्त महसूस कर रहे हैं। वह रूटीन में होगा और वह भी एक अधिकारी टेम्पॉरेरी छुट्टी चला जावेगा एक या दो रोज की तो वह अपना चार्ज किसको देकर जावेगा ? किसी को तो चार्ज देकर जावेगा। अब रहा यह प्रश्न कि आपको खतरा यह है कि कोई अपील या बहस आदि का, तो वह तो टेम्पॉरेरी एक दो दिन की छुट्टी के लिए प्रबन्ध है इसलिए वह न कोई अपील सुनेगा न कोई बहस सुनेगा। वह तो सिर्फ रूटीन में जो काम होता है

[श्री दामोदरलाल]

करेगा। अब बड़े अधिकारियों को चार्ज देने की नई बात आपके सामने नहीं है। यह सीधी बात है। माननीय चेअरमेन, बहुत सी जगह ऐसी है जहां एस० डी० ओ० हैं, तहसीलदार हैं और नायब तहसीलदार नहीं है। अगर एक तहसीलदार छुट्टी पर जाता है तो वह किसको चार्ज देकर जावेगा। किसी को तो चार्ज देकर जावेगा। इसलिये यह रखा गया है। इसमें नुकसान क्या होगा? इसलिए जो आपको खतरा पैदा हुआ है और जिसके लिये आपने लंबी चौड़ी बहस की है उसकी कोई जरूरत नहीं रहती, जब कोई लम्बी छुट्टी जाता है तो उसकी जगह कोई दूसरा आदमी आता ही है। महेज एमरजेन्सी केसेज़ में या केज्यूअल लीव के लिये यह प्रोवीज़न रखा गया है। इसलिये इसमें बहुत ज्यादा वाद—विवाद की कोई जरूरत नहीं है। यह सिम्पल और इन्नोसेन्ट क्लॉज़ है।

श्री भैरूंसिंह—माननीय चेयरमेन, रूटीन का क्या मतलब होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह तो मामूली पढ़ा-लिखा आदमी जान सकता है।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय चेअरमेन, सरकार शब्दों का मतलब लगाती है। डिक्शनेरी का मतलब नहीं। इसलिये रूटीन का मतलब अगर यह है कि वह तारीखें देगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा तो ठीक है। लेकिन तारीखों में बयान लेने का भी काम हो सकता है। स्टे ऑर्डर भी हो सकते हैं। फाइल लिखने का भी काम हो सकता है, एप्लीकेशन्स को एड्मिट करने का अधिकार भी हो सकता है, अगर इनको रूटीन में शामिल करते हैं तो मेरा एतराज है और अगर महेज डेट बढ़ाने और एडजोर्नमेंट का मतलब है जैसा माननीय राजस्व मंत्री ने बताया कि मेरा कोई एतराज नहीं है। वे इसको स्पष्ट करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरे स्पष्ट करने की कोई बात रहती नहीं है।

श्री सभापति—क्लॉज़ ३४ पर श्री भैंरूसिंह का एमेन्डमेन्ट है।

प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

एमेन्डमेन्ट गिर गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३४ पास किये जाने के लिए मत लिये जाते हैं।

प्रश्न यह है कि यह क्लॉज़ ३४ विधेयक का अंग बने।

[श्री सभापति]

(स्वीकृत)

क्लाज ३४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज ३५, श्री चांदमल मेहता।

श्री दामोदरलाल व्यास—In this part also, the same question of Land Records Officer and Director of Land Records comes in. I would propose that we may postpone this D and take. E.

श्री भैरूंसिंह—इस पर तो बहस होगी।

श्री दामोदरलाल व्यास—पटवारियों से ज्यादा मोहब्बत है।

श्री भैंरूसिंह—सारा बिल ही पोस्टपोन कर दिया जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास— we can have discussion on this.

We have already postponed clauses 29, 30, 31 and 32.

Wherever there is a reference to Land Records officer or Director of Land Records we will have to defer it.

श्री सभापति—Discuss this clause.

श्री चांदमल मेहता—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 35 -

"Substitute the word " Collector" for the words " Director of Land Records."

चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ ३५ इस प्रकार है :

"Formation and alteration of Patwari's Circles.--the Director of Land Records, with previous sanction of the State Government may, from time to time, arrange the villages of each district in patwaris circles and may after the number of limits of such circles."

[श्री चांदमल मेहता]

चेयरमेन महोदय, इस क्लॉज़ के माफिक डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड ऑफिसर को सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके पटवारी सरक्ल्स बना सकती है और तबादले कर सकती है। मैंने इसमें डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्डस के बारे में कलेक्टर को नियुक्त किये जाने के लिये निवेदन किया है। पहली बात यह है कि यदि मेरा क्लॉज़ २४ में एमेन्डमेंट डिलीट करने का है उसको स्वीकार कर लिया जाता है तो इसकी आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिये मान लिया जावे कि क्लॉज़ २४ डिलीट नहीं होती तो मैं निश्चित इस विचार का हूं कि डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स के स्थान पर कलेक्टर शब्द को प्रयोग में लाया जावे। कलेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार और जानकार व्यक्ति होता है और जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है, न कि डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकर्डस की जो डिस्ट्रिक्ट का हैड होता है और जहां जिसके मातहत कोई काम किया जानेवाला है उस संबंध में क्लेक्टर की राय न लेकर डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकर्ड्स की राय ली जावे, यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है और वह भी सरकार को पूर्व स्वीकृति से सरकार को बीच में रखा जाता है और यह तजवीज की जाती है और डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स करता है। कलेक्टर डील भी न करें, यह कहां तक ठीक है। अगर आप यह सोचते हैं कि कलेक्टर से ताल्लुक नहीं रख कर उनका सीधा सम्बन्ध डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स से रखते हैं तो पहले लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर और फिर डाइरेक्टर ऑफ लैंन्ड रेकॉर्ड के पास कागजात जावेंगे और फिर सरकार की स्वीकृति होगी। तो इन सारे मामलों में ऐसा वास्तविक निर्णय हो जिससे पब्लिक को परेशानी न हो। इस नियत से मैंने डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्डस की जगह क्लेक्टर के लिये निवेदन किया है।

जहां तक मैंने इस सम्बन्ध में दूसरे प्रान्तों के लैंड रेवेन्यू एक्टों को स्टडी किया है, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस तरह के काम में डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स को किसी भी जगह पर नहीं रखा है। यू० पी० में इस तरह की व्यवस्था है कि सरकार की पूर्व स्वीकृति लेकर क्लेक्टर इस तरह की कार्यवाही करता है। सी. पी. में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है कि फाइनेन्शियल कमिश्नर की स्वीकृति से क्लेक्टर कार्यवाही करता है तो ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स के स्थान पर कलेक्टर को अधिकार दिया जावे। यह उचित मांग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मंत्री इस वाजिब संशोधन को कम से कम अवश्य मंजूर करेंगे और जो आम तौर से अस्वीकार करने की प्रणाली है उसको न अपना कर इसको स्वीकार करेंगे।

श्री भैरूसिंह (वि. सं. १६)--"I beg to move the following amendment to Clause 35:—

"Add the following proviso to this clause:—

"Provided that where there exists a village Panchayat under the Raj- asthan Panchayat Act, 1953, the area under the Panchayat shall be treated as a Patwari circle."

मैं समझता हूं कि यह संशोधन विशेष वाद-विवाद का नहीं है और माननीय राजस्व मंत्री काम को हलका करने की दृष्टि से इसे स्वीकार कर लेंगे लेकिन यह आवश्यक समझता हूं

[श्री भैरोंसिंह]

कि वे नकारात्मक उत्तर दें उसके पहले मैं इस संशोधन के पीछे जो भावना है उसको मैं प्रस्तुत करूं। माननीय चेयरमेन, हमें सारे राजस्थान को पटवार के सर्कल्स के आधार पर निर्माण करना है और पटवार सर्कल्स बनाने हैं और नये २ पटवारी सर्कल बनाने हैं। पटवारी सर्कल बनाने में हमें गांवों की राय लेनी पड़ेगी, वहां की पंचायतों की राय लेनी पड़ेगी, वहां की तहसील पंचायतों की राय लेनी पड़ेगी और पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार की राय लेनी पड़ेगी और उनकी राय के पश्चात् भी यह जरूरी होगा कि उस राय को .....

श्री श्रीदास गोयल—कौन से नम्बर का अमेन्डमेन्ट है ?

श्री सभापति—Clause 35.

श्री भैरोंसिंह—(अपना भाषण जरी रखते हुए) कलेक्टर के मार्फत डाइरेक्टर लैंड रेकर्डस के पास, यदि सरकार मंजूर कर लेती है कि इस कानून में डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकर्डस का पद नहीं होगा तो उस पद पर रहने वाले अधिकारी के पास प्रपोजल के रूप में भेजना पड़ेगा और वहां पटवारी सर्कल का निर्माण होगा। मैंने संशोधन रखा है जिससे कि सरकार को कोई कठिनाई सामने नहीं आये। राजस्थान में पंचायतों का निर्माण हुआ है और पंचायतों के निर्माण में यह नहीं कह सकता कि वे ठीक बनी हैं लेकिन यह अवश्य कहूँगा कि चूंकि पंचायतें ठीक प्रकार से नहीं बनी हैं इसलिए, इस कारण से इस सिद्धान्त को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। राजस्थान में जितनी पंचायतें होंगी वे सब पटवारियों के सर्कल होंगे। हमने पंचायत कानून बनाया उस वक्त में इस सिद्धान्त को मुकर्रर किया। उसके बाद लैंड रेवेन्यू बिल और पंचायत एक्ट के समय मैंने इस विचार को मान्यता दी है कि जितने पटवारी होंगे वे सब पंचायतों के संरक्षण में काम करेंगे और उन सब पटवारियों को पंचायतें के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। सरकार की मंशा भी है कि जो पंचायतें ठीक काम कर रही हैं उनकी मार्फत लगान वसूल कराया जाय और रेवेन्यू ऑफिसर्स के ऊपर जो पूरा लगान वसूल करने का बोझा है उसको हल्का किया जाय। विचार-धारा बड़ी सुन्दर है लेकिन उसको कार्य रूप में लाने के लिए उसमें सुधार करना पड़ेगा। यदि मौलिक आदेश के अनुसार ही यदि पंचायतों के मार्फत लगान वसूल करेंगे, पटवारी पंचायतों के संरक्षण में काम करेगा, पटवारी पंचायतों के आदेशों का पालन करेगा और उनके आदेशों के पालन की उसकी जिम्मेदारी होगी तो उस वक्त हमें यह सोचना पडेगा कि पटवारी को पंचायत के अन्दर रखते है या नहीं। और यदि आप रखते हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि आप पटवारी पर एक पंचायत का अधिकार रखते है या दो पंचायतों का और उस हालत में मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि पटवारी पर एक पंचायत को अधिकार हो तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि ऐसा नहीं रखते है तो कई प्रकार की अड़चनें आ सकती है। जैसे एक पंचायत पटवारी को कहती है कि तुम्हें पहले अमुक गांव में जाना है और दूसरी पंचायत कहती है कि नहीं तुम्हें उन गांवों में जाकर वसूली करना है। तो उसके सामने एक प्रकार की दुविधा होगी कि वह पहले किस पंचायत के आदेश का पालन करे। उस वक्त में उसको अपने आप

[श्री भैरूसिंह]

स्वाभाविक तौर से देखना पड़ेगा कि कौनसी पंचायत ताकतवर है, कौनसी पंचायत में नेताओं का समावेश ज्यादा है, कौनसी पंचायत की सत्ता अधिक ताकतवर है, और फिर अपने आप उसको अपना मस्तिष्क बनाना पड़ेगा कि कौनसी पंचायत के आदेश का वह पहले पालन करे। जब उसके दिमाग में यह बात आ गई कि फलां पंचायत का नेता जोरदार है तो वह उस पंचायत के आदेश की पहले तामील करेगा और यदि दूसरी पंचायत के इलाके का कोई गांव आ भी गया है बीच में तो हो सकता है कि वह उसकी उपेक्षा भी करेगा। इस तरह से पंचायतों का काम, पटवारी का काम, एक दूसरे का समन्वय रखने वाला होना चाहिए न कि उनमें विभेद हो, ताकि किसी प्रकार का भेदभाव न हो सके।

पंचायतों के साथ साथ पटवारी सर्कल बना देने से खर्चे में भी, जो अधिक खर्चा आज होता है, कमी होगी और इस प्रकार की परिस्थिति न बनी रहे, इसलिए भी मैंने यह संशोधन रखा है कि ग्राम पंचायतों के समान ही उनका जो एरीया निर्धारित है अथवा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करें, एक पटवारी नियुक्त कर दिया जाय। लेकिन इसके साथ साथ यह भी आवश्यक समझा जाय कि चूंकि पंचायत काफी बड़ी है, उसका क्षेत्र काफी बड़ा है, काम अधिक है, तो उसके लिए दो पटवारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। हमें यह सिद्धांत मन्जूर करना पड़ेगा कि जिस जगह पंचायत है वहां पटवारी सर्कल बनाया जाय, जो पंचायतों का सर्कल है वही सर्कल उसका भी होगा। इससे सरकार के लिए एक नया मार्ग होगा, सरकार दुविधा से दूर रहेगी। पंचायतों के साथ-साथ पटवारी के सर्कल को भी सामने रखेगें और जब इस सिद्धान्त को सामने रख कर चला जावेगा जैसा कि इसमें शामिल है कि पंचायत का सर्कल पटवारी का सर्कल होगा, तो बहुत अच्छा रहेगा।

कई माननीय सदस्यों की धारणा होगी कि पंचायतों के जो सर्कल्स हैं वे गलत हैं। उनमें रद्दोबदली हुई है, किन्हीं व्यक्तियों ने किन्हीं खास कारणों से स्वार्थ से पंचायतों में अनियमिततायें बरती हैं और स्वार्थ साधनों से उनको बिगाड़ा है, उन बातों की ओर न जा कर आगे बढ़ कर जो काम करने वाले हैं उनकी ओर देखना पड़ेगा और जब उनकी ओर देखते हैं तो यह आवश्यक है कि पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे के सहयोग से चले। सरकारी मशीनरी को ठीक तरह से चलने देने में और जनता को सुविधा प्राप्त कराने में और उसके काम को अच्छा बनाने की दृष्टि से पंचायत के क्षेत्र पटवारी सर्कल के रूप में हों। मैं समझता हूँ कि यह संशोधन उचित है और मैं आशा करता हूँ कि माननीय राजस्व मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमेन, माननीय भैरोंसिंहजी ने जो क्लॉज़ ३५ में संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। उन्होंने बताया है कि पंचायत के द्वारा ही पटवारी का सर्कल नियुक्त किया जाय तो वह ठीक है। पंचायतों के द्वारा अगर पटवारी का सर्कल नियुक्त नहीं होगा और लैंड रेकॉर्ड्स ऑफिसर के द्वारा सर्कल नियुक्त होगा तो सरकार के सामने कितनी ही बाधायें आ सकती है क्योंकि जब पंचायत एक्ट पास हुआ था और उसके बाद सरकार की ऐसी मंशा भी है

Page No.71

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

कि पंचायतों के नीचे पटवारी रहेंगे। परन्तु यह समझ में नहीं आता है कि एक एक्ट में सरकार दूसरी बात कहती है और दूसरे एक्ट में दूसरी बात कहती है और उनके अधिकार किस तरह से रहेंगे, यह एक एक्ट में अगर पूरा कर दिया जाय तो दूसरे एक्ट में उनकी आवश्यकता नहीं रहती है। पंचायतों में कई लोगों ने गड़बड़ियां कराई हैं, उनमें गड़बड़ियां हुई हैं। पंचायतों का क्षेत्र जैसा बनना चाहिए था नहीं बना है। उन गड़बड़ियों को सरकार सुधारेगी और सुधार करके पटवारियों के जो क्षेत्र हैं वे पंचायतों द्वारा नियुक्त होने चाहिये क्योंकि कई महानुभावों ने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वे उनमें बड़े हैं और आज पंचायतों के बारे में भी मिनिस्टर लोगों द्वारा कर क्षेत्र को इस तरह बिगाड़ दिया गया है कि उनमें सुधार की आवश्यकता है और जो इस समय क्षेत्र फल बने हैं उनमें काफी गड़बड़ियां हुई हैं। लेकिन आपने पटवारियों को लैंड रेकर्ड्स ऑफीसर द्वारा बनाया तो जैसे क्लॉज़ २५. २६. खत्म कर दिया और लैंड रेकर्ड् के ऑफिसर्स द्वारा कैसे हो सकता है, तो यह बात समझने में आने वाली नहीं है। पंचायतों को ही क्यों नहीं अधिकार दे दिये जाते हैं। यह भी बात है कि छोटी-छोटी बातों के ऊपर हर जगह थोड़ी घणी सरकार अपनी कोई न कोई धारा किसी भी एक्ट के अन्दर लगा देना चाहती है जिससे कि उनसे हमेशा काम पड़ता रहे, बड़े २ अफसरों से हमेशा काम पड़ता रहे उस पटवारी का जिससे पटवारी से नाजायज तौर पर काम लेते रहें और सरकार का हमेशा यही मतलब रहता है। अगर सरकार जनतंत्र राज्य चाहती है, तो वह अधिकार अपने हाथ में क्यों रखती है, उन्हें क्या जरूरत है इन अधिकारों का अपने हाथ में रखने की। पंचायतों को सारे अधिकार दे देने चाहिये। मैं यह भी चाहता हूँ कि अगर पंचायतों को अधिकार दे देंगे...

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, पंचायतों के अधिकारों की बहस हो रही है या पटवारी सर्कल की ?

श्री उपाध्यक्ष—रिलेवेन्सी का इससे सम्बन्ध होना चाहिए। जो जिससे ताल्लुक रखती हो वही बात कहनी चाहिये और जो बातें अपनी तबियत में आवें नहीं कहनी चाहिए।

श्री मुक्तिलाल मोदी—पटवारी सर्कल नियुक्त करने के अधिकार पंचायतों को दे दें तो ठीक है। माननीय मंत्रीजी, भैरोंसिंह जी ने जो संशोधन पंचायतों का क्षेत्रफल जिस तरह से है उसी तरह पटवारी सर्कल भी बना दें, रखा है, मान लें तो उससे पंचायतों को सुविधा रहेगी और आगे जो सरकार के सामने दिक्कतें आने वाली हैं वे दूर हो जावें। इसलिए मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री हंसराज आर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन क्लॉज ३५ में रखा है मैं उसका विरोध करता हूँ। वह इसलिए उचित

[श्री हंसराज आर्य]

नहीं बैठता है कि पंचायतों की सीमा और पटवारी का हल्का आपस में मेल नहीं खाता। एक पटवारी के पास यदि पंचायत का काम सौंपा जाय तो ऐसे कई हल्के हैं जिसमें पटवारी अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। एक पंचायत की सीमा में पांच-पांच हजार तक की आबादी रखी गई है। तो मेरा यह निवेदन है कि पटवारी सर्कल और पंचायत सर्कल में कभी मेल नहीं बैठ सकता। बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जिन पंचायतों की सीमा के अन्दर ४५-५० हजार तक का मतालबा हो जाता है। गंगानगर ऐसा जिला है जहां एक-एक पंचायत की सीमा में तीन-तीन चार-चार पटवारी काम नहीं संभाल सकते। इसलिए एक पटवारी के सर्कल से पंचायत का हल्का मेल नहीं खाता।

बहुत से ऐसे हल्के हैं जो तीन-तीन पटवारियों के अन्दर में आते हैं, तभी संभल सकते हैं। ऐसी हालत में पटवारी हल्का और पंचायत हल्का ठीक प्रकार से बैठ नहीं सकता।

इसलिये भैरोंसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ और सदन से प्रार्थना करता हूँ कि उसको पास न किया जाय।

श्री हिम्मतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ३५ पर मेरा एक अमेन्डमेन्ट है जिसको मैं पढ़कर सुनाता हूँ।

"Substitute this clause by the following :—

"Clause 35. Formation and alteration of Patwari's circles.—The Tehsil Panchayats with the previous sanction of the State Government, may from time to time, arrange the villages of each Tehsil Panchayat in Patwari's Circles and may alter the number and limits of such circles."

आपत्ति यह उठाई गई है कि पंचायत सर्कल में किसी जगह एक पटवारी काम करता है, किसी जगह एक से अधिक काम करते हैं। इसलिये पंचायत सर्कल और पटवारी सर्कल दोनों ठीक नहीं बैठते। इसलिये मैंने अपने संशोधन में यह तजवीज की है कि तहसील पंचायत की राय से पटवार सर्कल कायम किया जावे ताकि तहसील पंचायात देखे कि एक पंचायत सर्कल में कितने कितने पटवारी लगाये जा सकते हैं। इससे गंगानगर का मामला भी हल हो सकता है और पंचायतों के मामले भी हल हो सकते हैं। इसके अन्दर किसी प्रकार की कठिनाई हो नहीं सकती।

मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि जो कठिनाई बतलाई गई है कि पटवारी सर्कल और पंचायत सर्कल ठीक नहीं बैठेंगे इस संशोधन से कोई मायने नहीं रखते।

अब प्रश्न यह है कि पंचायत सर्कल तहसीलों के राय से क्यों कायम किये जांय? डाइरेक्टर लैन्ड रेकॉर्ड्स अपनी इच्छा से पटवार सर्कल क्यों कायम करें? मेरी अर्ज यह है कि जो मैंने अमेन्डमेन्ट

[श्री हिम्मतसिंह]

रखा है वह संविधान के मुवाफिक है जब हम पंचायतों को सेल्फ गवर्निंग बोडी बनाने जा रहे हैं। पंचायत एक्ट में यह भी बात आ चुकी है कि हम पंचायतों को रेवेन्यू कलेक्शन के पॉवर्स गवर्नमेन्ट देने के लिये तैयार है, और पास कर सकती है। अगर पंचायत सर्कल्स के माफिक पटवार सर्कल्स एडजस्ट नहीं हुए और कलेक्शन के अधिकार दे दिये गये तो आपस में खींचातान होगी। एक पटवारी को दो दो पंचायत सर्कल्स का कलेक्शन करना पड़ेगा तो कलेक्शन के झगड़े आयेंगे। इसलिये वाजिब तो मैं यह समझता हूँ की जब हम पंचायतों को कोन्स्टीट्यूशन के मुताबिक अधिकार देने की चेष्टा करते हैं तो जो अधिकार हम पन्द्रह वर्ष बाद देने वाले हैं तो उसके लिये हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिये। इसलिये मैने यह सुझाव दिया है कि इस प्रकार से श्री गणेशायनमः किया जा सकता है। ज्यादा उचित यह होगा कि अंग्रेजों के जो कायदे है उनके मुताबिक अपने कानून कायदे जारी न करके जिस स्थिति की ओर हम अपने देश को लेजाना चाहते हैं उसी ओर लेजाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे कम से कम दस साल आगे विचार करके अपने विचारों को एडजस्ट करें, न कि पुराने कानूनों के मुताबिक ही कानून बनाते जावें।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष, यह प्रश्न वास्तव में महत्व का प्रश्न है जिस पर कुछ सिद्धान्तों की दृष्टि से विचार किया जाना जरूरी है। हम कानून आज जो बना रहे हैं न केवल इसलिये कि वे आज ही इस्तेमाल करके छोड़ दिये जांय, बल्कि जो कानून हम बनाने जा रहे हैं वे आने वाली सन्तति के लिये भी काम आयें। जिस प्रकार की एक लहर आज देश में चल रही है और जिस स्वप्नको महात्मा गांधी ने देखा था कि हमको इस प्रकार का राज्य कायम करना चाहिये जिसमें सेन्ट्रलाइजेशन बिल्कुल न हो बल्कि डिसेन्ट्रेलाइजेशन हो। उनका स्वप्न यह था कि गांव एक यूनिट के रूप में कार्य करे, अगर कुछ गांव मिल कर भी एक यूनिट बना सकते हैं। उस स्वप्न को कार्य रूप में परिणत करने के लिये हमने पंचायत राज्य को जन्म दिया, पंचायतें कायम की, कई पावर्स उनको दिये गये रेवेन्यु के पावर्स देने का भी उल्लेख है। मैं समझता हूँ कि आने वाले जमाने में इससे अधिक पावर्स भी पंचायतों को देने पड़ेंगे। जहां तक हमारी डिसेन्ट्रलाइजेशन की पॉलिसी का तल्लुक है हम इन पंचायतों को धीरे धीरे यूनिट के रूप में बनाते जायेंगे। ऐसी सूरत में जब पंचायतों के यूनिट बना सकते हैं तो हमें पटवार सर्कल को भी पंचायत सर्कल के आधार पर ही निर्मित करना चाहिये ताकि जिस पंचायत राज्य की नीव हमने रखी है उसमें किसी प्रकार का कोन्फिलक्ट पैदा न हो। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि माननीय मित्र ने जो संशोधन रखा है वास्तव में वह इस प्रकार का संशोधन नहीं जिसको आसानी से उडा दिया जावे, इस पर गंभीरता पूर्वक गौर करना चाहिये। जो यह प्रश्न उठाया गया है कि पंचायतों के सर्कल बहुत कुछ ऐसे हैं जिनको एक पटवारी कोप-विथ नहीं कर सकता यह बात गलत नहीं। किन्तु यह कहना कि पंचायत सर्कल बनाने से बहुत गड़बड़ हुई, टीक नहीं है।

श्री हंसराज आर्य—मैंने गड़बड़ी के लिये नहीं कहा, मैंने कहा पंचायत सर्कल और पटवार सर्कल एक बनायेंगे तो कई पंचायत सर्कल इतने बड़े बड़े हैं कि एक पटवारी गिरदावरी नहीं कर सकता।

श्री वेदपाल त्यागी—(अपना भाषण जारी रखते हुए) हो सकता है, पंचायतें कहीं इतनी बडी बन गई हों जहां का काम बहुत ज्यादा हो और एक पटवारी कोप विथ नहीं कर सकता। इस प्रकार के प्रोविजन्स इसमें रख सकते हैं। जिन पंचायतों का क्षेत्र बड़ा हो एक से अधिक पटवारियों की भी नियुक्ति की जा सकती है। उनका रकबा अलग अलग बांट दें।

सिद्धान्त यह होना चाहिये कि जब कि हम आने वाले जमाने में पंचायतों को अधिक से अधिक पावर्स ट्रान्सफर करने वाले हैं तो आयंदा जो अधिकार पंचायतें इस्तेमाल करेंगी उनको किसी प्रकार की दिक्कतें न आय। इसलिये पंचायत सर्कल और पटवार सर्कल इस प्रकार एडजस्ट किये जांय जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इन सब बातों पर विचार करके हम इस कानून को बनाते हैं तो वास्तव में पंचायत राज दृढ़ होगा। इन सब बातों पर विचार माननीय मंत्री करेंगे। मैं साथ में उनसे यह भी निवेदन करूंगा कि इस संशोधन पर इस तरह से लाइटली देखकर ही न छोड़ दें बल्कि सिद्धान्त के रूप में इस पर विचार किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)— माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इस संशोधन को स्वीकार करने को तैयार नहीं। जो भावना इसके पीछे है उसकी मैं जरूर कद्र करता हूं कि वास्तव में अगर पंचायतों का सर्कल और पटवारियों का सर्कल दोनों एक बन सकता हो तो बहुत ठीक है। पर जैसा कि मेरे माननीय एक सदस्य ने बताया कि पंचायतों का एरिया, उसकी पॉपूलेशन, और उसकी आमदनी और पटवार सर्किल का एरिया, उसकी आमदनी और उसकी पापूलेशन का एक दूसरे से मिलान नहीं हो सकता। इसलिए दोनों का एक ही एरिया बना देना, यह व्यवहारिक नहीं है। अगर हो सके तो मैं मानता हूं कि जहां तक हो सके वहां तक एक हो तो अच्छा है। पर अगर कानून के अन्दर यह प्रोवीजन रख देते हैं कि पंचायतों का और पटवारियों का सर्कल एक ही हो तो यह व्यवहारिक नहीं होगा। इनके अलग अलग एरियाज़ हैं और उनमें अलग अलग में अन्तर भी बहुत ज्यादा है। कोई पंचायत बहुत बडी है, कोई छोटी है तो इसका असर पटवारियों के सर्कल पर भी पड़ता रहेगा और इस तरह से रद्दोबदल होती रहेगी, इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां बहुत आएंगी इसलिए इस कानून में यह प्रोवीजन रख देने से आइन्दा कोई डिस्क्रीशन ही नहीं रह जायगा। इसलिए मैं उन सदस्यों को जिनकी कि यह इच्छा है कि दोनों के एरिया एक ही हों, उनकी भावना की कद्र करता हुआ भी मैं उनको यह विश्वास दिलाता हूं कि उनकी इस भावना को सामने रखकर ही सर्कल बनाये जावेंगे और जहां तक सम्भव होगा ऐसे सर्किल दोनों के लिए एक बनाये जावेंगे पर जहां संभव नहीं होगा वहां डिस्क्रीशन यूज़ किया जावेगा, पर इस सेक्शन में ऐसा प्रोविजन कर देने से आइन्दा कोई डिस्क्रेशन नहीं रह जाता और इससे व्यवहारिक दिक्कतें पेदा हो जावेंगी। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा दुश्वारी आने वाली है और यह व्यवहारिक भी नहीं होगा, इसलिए इस सेक्शन में ऐसा प्रोविजन नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल बना दिया जावे इन हालतों में और खासतौर से मौजूदा

[श्री दामोदरलाल व्यास]

जो हालतें हैं उनमें जब कि उनके एरिया, पोपूलेशन और आय में बहुत अन्तर है, तो यह व्यवहारिक नहीं होगा। ऐसी सूरत में मैं यह समझता हूं कि यह अमेन्डमेन्ट स्वीकार करने योग्य नहीं है। पहले तो कई बार कहा गया कि सेक्शन ३ में प्रोवीजन है, पंचायत एक्ट स्पेशल लॉ है और उसमें जो कुछ होगा देट विल प्रीवेल; पर यह कहा जावे कि पटवारी फौर आल परपजेज् पंचायत के मातहत रहेगा, यह बात नहीं है। सैक्शन २६ से जब किसी पंचायत को यह पावर दे दिया जावेगा कि वे अपने आधीन क्षेत्र में लगान वसूल करे तो उसके अन्डर में पटवारी काम करेगा। पर साथ में यह भी बात है कि पटवारी की मल्टी परपज् ड्युटीज् हैं और ज्यादातर उसकी ड्युटीज् होंगी तहसीलों के मातहत और पंचायतों के मातहत तो केवल लगान वसूल करते समय हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब कि अधिकतर यह तहसील के मातहत रहेगा और ज्यादातर वहीं काम करना पडेगा तो महज इसलिए कि पंचायतों को यह अधिकार दे दिया गया है लगान वसूल करने का तो इससे यह नहीं समझा जाना चाहिये कि पटवारी पंचायतों के मातहत हो गया और उसका तहसील से सम्बन्ध नहीं रहा। यह गलत सवाल है। वह तहसीलों के ही मातहत रहेगा, पंचायतों के अन्डर में नहीं रहेगा। उनके मातहत तो तभी तक रहेगा जबतक कि लगान वसूली का काम पंचायतें करती हों और यह भी तब-जब कि पंचायतों को अधिकार दिया जावेगा लगान वसूल करने का। तो यह सारी स्थिति है। इसको ध्यान में रखतेहुए यही व्यवहारिक होगा कि पटवार सर्किल अलग रहे और पंचायत सर्किल अलग से रहें। हां, यह बात जरूर है कि जब पटवार सर्कल बनाये जावेंगे तो आपकी भावना का ध्यान, जहां तक सम्भव हो सकेगा और जहां तक व्यवहारिक होगा अवश्य रक्खा जावेगा। पर सर्वत्र यह व्यवहारिक हो और इस कारण इसका स्पेसिफिक प्रोविजन इसमें कर दिया जाय, यह सम्भव नहीं है। इसके कारण मैंने ऊपर व्यक्त किये हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा।

दूसरा अमेन्डमेन्ट माननीय श्री हिम्मतसिंहजी का है। उसमें भी उन्होंने तहसील पंचायतों को यह अधिकार देने की बात कही है कि तहसील पंचायतें इस प्रकार के सर्किल बनावें। इसमें भी बहुत सी व्यवहारिक डिफीकल्टीज़ हैं क्योंकि जहां तक सर्किल बनाने का सवाल है सरकार इसके लिए विभिन्न रेवेन्यू अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों की राय अवश्य लेगी और इसके बाद ही ये सर्कल बनावेगी। तो ऐसी स्थिति में पंचायतों को ये सर्कल बनाने का अधिकार देना और खास तौर से तहसील पंचायतों को यह अधिकार देना यह भी व्यवहारिक नहीं होगा।

इसके साथ ही यह मैं अर्ज और कर दूं कि बहुत से क्लॉजेज़ डेफर कर दिये गये हैं और चूंकि डाइरेक्टर ऑफ लैण्ड रेकार्ड्स के अपोइन्टमेन्ट वाला सैक्शन वोटिंग के लिए डेफर कर दिया गया है इसलिए यह क्लॉज़ ३५ भी वोटिंग के लिए डेफर कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—क्या इसे भी मुलतवी रक्खा जावे ?

श्री भैरोंसिंह (१६)—माननीय उपाध्यक्षजी, अब जितने भी क्लॉज़ आ रहे हैं उन सब का सम्बन्ध डाइरेक्टर ऑफ लैण्ड रेकॉर्ड्स से और उनकी नियुक्तियों से है और चूंकि वह क्लॉज़ डेफर कर दिया गया है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब तक उन क्लॉजेज़ के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया जावे उस वक्त तक इन आगे के क्लॉज़ेज़ पर भी विचार मुल्तवी कर दिया जाना ठीक होगा।

(खण्ड ३५ डेफर किया गया)

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ ३६, डिस्कशन तो सब पर करते आ रहे हैं और जो फरदर डिस्कशन के लिए माने जाते हैं उनको मुल्तवी करते जावेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसे ही डिस्क्शन करके वोटिंग डेफर करते जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (१६)—इसमें दिक्कत यह आती है कि सरकार को किसी बात के लिए कनविंस जब किया जावे और उस समय अगर मत नहीं लिये जाते हैं तो मत लिए जाते वक्त सदस्यों की याद ताजा करने के लिए फिर बहस की जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब तक रेवेन्यू बोर्ड के डाइरेक्टर ऑफ लैण्ड रेकॉर्ड्स के बारे में कोई अन्तिम रूप से निर्णय हमारे सामने न आ जावे तब तक अगर क्लॉजेज़ को डेफर किया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि अभी एक-दो दिन तक इस बिल पर विचार न किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—ऐसा तरीका तो रहा नहीं है। इस चैप्टर के लिए तो माननीय सदस्यों ने कहा कि डिस्क्शन किया जावे और अब डिस्क्शन हो गया तो कहा जाता है कि डेफर नहीं किया जावे।

श्री भैरूंसिंह—इसमें दिक्कत आती है।

श्री दामोदरलाल व्यास—दिक्कतें आपको वक्त पर ही याद आती हैं।

श्री भैरूंसिंह—दिक्कतें तो वक्त पर ही याद आवें तो अच्छा होता है।

श्री उपाध्यक्ष—इसके लिए अमूमन तो यही अच्छा रहता है कि मुल्तवी कम हो लेकिन कुछ ऐसे क्लॉजेज़ आ जाते हैं जिन पर पूरा गौर करने के लिए मुल्तवी करने का तरीका रहा है। इसमें जो मुल्तवी किया गया है उनके लिए मिनिस्टर महोदय जल्दी विचार करके उनको सदन में लाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—हां साहब, जल्दी से जल्दी।

श्री वेदपाल त्यागी—स्पष्ट कर दें कि कब तक हो जावेगा, कितना टाइम और लगेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप डिस्पर्स होंगे उससे पहले ही साहब।

श्री वेदपाल त्यागी—इतना नहीं, एक-आध दिन में कर लो।

श्री दामोदरलाल व्यास—आपका काम थोड़े ही रुक रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ ३६, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—आप डिफर कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—नहीं-नहीं, आप बहस करिये।

श्री चांदमल मेहता—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move the following amendments to Clause 36:-

"Substitute the words 'Sub-Divisional officer' for the word 'Collector' in line two" and Delete the words 'or where a permanent Land Records officer is appointed, such officer' occurring in line 2 & 3.

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३६ में पटवारियों की नियुक्ति कौन करे, इसके बारे में व्यवस्था दी गई है और वह यह है कि जहां लैंड रेकॉर्ड ऑफिसर की नियुक्ति नहीं हो, वहां कलेक्टर करे और जहां लैंड रेकॉर्ड्स अफिसर हों वहां वे करें। इसमें मेरे दो अमेंडमेंट्स हैं।

पहला तो यह है कि जहां लैण्ड रेकॉर्ड ऑफीसर की चर्चा की गई है उसको बिल्कुल निकाल दिया जावे।

और दूसरा यह है कि जहां कलेक्टर शब्द है वहां एस. डी. ओ. सम्मिलित किया जावे क्योंकि पटवारी मातहत होता है तहसीलदार के एस. डी. ओ. के। अब जिनको नियुक्त करने का अधिकार होता है उन्हीं को हटाने का अधिकार होता है। अगर हम यह रख देते हैं कि कलेक्टर हटाये या हम यह रख देते हैं कि जहां लैंड रेकॉर्ड ऑफीसर ने रक्खे हों उनको भी कलेक्टर हटाये तो इसमें दिक्कत यह आती है कि अमूमन इसमें गड़बड़ियां होती हैं और इन गड़बड़ियों के पीछे काफी अनुभव हमें हुआ है। ऐसे मौके आये हैं कि जब एक पटवारी ने गड़बड़ी की और तहसीलदार और एस. डी. ओ. ने उनको हटाने की मांग की; लेकिन वह हटाने की कार्यवाही नहीं हुई।

जहां एक पटवारी को तहसीलदार या एस. डी. ओ. ने सस्पेन्ड कर दिया कि पटवारी लोग बहुत से लैन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर से बहाली का ऑर्डर ले आये। पिछले अनुभव ने हमें यह बताया है कि इस तरह से शासन में बड़ी गड़बड़ियां फैलती हैं। जब कि पटवारी सीधा मातहत

[श्री चांदमल मेहता]

होता है एक तहसीलदार के और उससे ऊंचे दर्जे के ऑफिसर एस. डी. ओ. के ; इस दृष्टि से सत्ता का अकेन्द्रीकरण न करें, सत्ता का विकेन्द्रीकरण करें, और शासन में अच्छी से अच्छी व्यवस्था लाने की कोशिश करें। इस दृष्टि से यह एमेन्डमेन्ट रखा है कि उसकी नियुक्ति एस. डी. ओ. करें।

दूसरी ओर मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां २ जैसे मौके आये हैं, हमारा अभी का मौजूदा अनुभव है कि कलेक्टरों को नियुक्ति करने का अधिकार है। कलेक्टर अपनी ओर से नियुक्त करने की कोई विशेष तरह की कोई प्रणाली अख्त्यार करता हो, ऐसी बात नहीं है। प्रोपोजल आते हैं तहसीलदार से या एस. डी. ओ. से। कलेक्टर सिर्फ सेन्क्शनिंग ऑथोरिटी होती है। तो इससे काम नहीं बिगड़ता है। दूसरी ओर यह भी दिक्कत आती है कि एस. डी. ओ. ने उसको रिकमन्ड नही किया तो वह और कोई सिफारिश कलेक्टर के पास ले जायगा और उसके जरिये से वह काम करा लेगा। एस. डी. ओ. की तजवीज़ जाती है कलेक्टर के यहां और अक्सर करके इसमें तरमीम हो जाती है और वह बगैर किसी आधार के हो जाती है। इसलिए इस संशोधन में मैंने 'कलेक्टर' की जगह 'सब डिवीज़नल ऑफिसर' रखा है और जहां लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर को परमानेन्ट नियुक्त करने की बात है उसको निकाल दिया जाय। लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर को परमानेन्ट रखने के बारे में माननीय मंत्री महोदय डेफर करने की बात सोच रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अगर परमानेन्ट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर की नियुक्ति की बात तय हो जाय तो भी मेरा ख्याल है कि नियुक्त करने का अधिकार जो है वह एस. डी. ओ. के हाथ में ही रहे।

श्री भैंरूसिंह (१६)—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ का संबंध भी डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर के बारे में जो क्लॉज़ेज़ है, जिनके विषय में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है, कि डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर रहेगा या नहीं उनसे है। अब दिक्कत यह आती है कि डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर के पद के स्थान पर यह अधिकार कलेक्टर को होना चाहिये या डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर को। तो मेरा निवेदन यह है कि जब तक इस बारे में हमें स्पष्ट मालूम नहीं हो कि डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर रहेगा या नहीं, उस समय तक इस क्लॉज़ के ऊपर ऐसी सूरत में कुछ कहना मजबूरी है। यदि यह मान कर चलते हैं कि राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर नही रहेंगे तो सवाल पैदा होता है कि जैसा कि यहां इस क्लॉज़ में व्यवस्था की गई है कि पटवारी का एप्वाइन्टमेन्ट कलेक्टर के हाथ में रहेगा ; वह रहना चाहिए या नहीं और यदि डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर का पद है तो उस सूरत में यह सोचने की आवश्यकता होती है कि दोनों अधिकारियों में से, कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर, किसके अधिकार में यह बात होनी चाहिए कि वह पटवार सर्किल में किसी पटवारी की नियुक्ति करे। अभी तक जैसी कि सदन की भावना है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद राजस्थान के जिलों में डिस्ट्रिक्ट लेन्ड

[श्री भैरूसिंह]

रेकॉर्ड ऑफिसर्स की नियुक्ति नहीं हो और उसी भावना को लेकर मैं इस बारे में अपनी राय प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

माननीय उपाध्यक्षजी, अभी किशनगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने इस धारा में एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि जो अधिकार इस क्लॉज़ के द्वारा कलेक्टर को दिये गये हैं उस अधिकार को जिले के एस. डी. एम. को दिये जांय। मैं उनकी विचारधारा का विरोध करता हूँ और उसके कारण भी हैं। हमने पटवार क्षेत्र बनाये। जिस तरह कि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने बताया कि एक पंचायत क्षेत्र को पटवार सर्किल मानने की भावना हम मानते हैं, लेकिन कानून में यह आवश्यक है कि पटवारी का सर्किल बनाने का अधिकार सरकार को मिलना चाहिए। इससे यह मानकर कि पंचायत क्षेत्र की सी छोटी भावना को मन्जूर करते हैं, पंचायत क्षेत्र को पटवार सर्किल मान भी लें, यद्यपि ऐसी बात वह नहीं करने वाले हैं, वैसी सूरत में यह आवश्यक होता है कि जो पटवार सर्किल बनाये गये हैं गवर्नमेंट के द्वारा उस पटवार सर्किल में किसी पटवारी की कौन नियुक्ति करे। एक जिले में एक पटवारी नहीं होता है, अनेक पटवारी होते हैं। मैं समझता हूं कि उन पटवारियों के विषय में जिनका कि जमीन से सीधा सम्बन्ध है, यदि उन पटवारियों का एप्वाइन्टमेंट कलेक्टरों के हाथ में नहीं रहा और कलेक्टर को हम डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकार्ड ऑफिसर नहीं बनाते तो भी उस व्यक्ति के हाथ में अधिकार नहीं रहे, जो कि कलेक्टर जैसे व्यक्ति के पद पर आसीन है तो यह आज ज्यादा उपयुक्त नहीं होगा। जिले भर की नियुक्तियां होती हैं तो उस प्रकार के अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं अगर कानून में, तो केवल कलेक्टर को ही दिया जायगा। वैसी सूरत में जब कि डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर का काम हम कलेक्टर को दे रहे हैं बाई वरचू ऑफ ऑफिस तो इस बात की आवश्यकता नहीं रहती है। कलेक्टर के बजाय एस. डी. ओ. को डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर का अधिकार दें तो केवल उस सब डिवीज़न के लिए होगा और यदि कलेक्टर को अधिकार दें तो वह अधिकार सारे जिले के लिए होगा। वैसी सूरत में डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर के अधिकार जिले में जितने भी सब डिवीज़न हैं उनके सब डिवीज़नल ऑफिसर्स को देते हैं तो सारे पटवारियों का काम उनके ऊपर नियन्त्रण करने का, उनके एप्वाइन्टमेंट्स और उनके प्रमोशन्स काम जो कि कलेक्टर के पास में व्यवस्थित रूप से रहना चाहिये; जो उनके बारे में रेकार्ड रहना चाहिए, उस रेकार्ड का कलेक्टर के पास में अभाव रहेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि बाई वरचू ऑफ ऑफिस हम किसी प्रकार के जो अधिकार कलेक्टर को देने वाले हैं वे कलेक्टर के पास ही रहें न कि उसके मातहत के पास हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में २, ३ सब डिवीज़न्स होंगे तो उन सबके लिए बनाना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर का जो पद बनने वाला है उस पद को समाप्त कर दें। उसके बाद केवल कलेक्टर रहता है, और कलेक्टर रहता है तो माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको यदि स्वीकार करते हैं तो एक जिले में ३-४ ऑफिसर्स को पटवारियों की नियुक्ति का अधिकार देना पड़ता है तो वह अनुचित होगा। इसलिए डिस्ट्रिक्ट

[श्री भैरूसिंह]

लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर को समाप्त करने की भावना से इस क्लॉज़ के द्वारा कलेक्टर के पास जो अधिकार हो इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि तब तक हम इसका अन्तिम निर्णय नहीं करते उस वक्त तो राजस्थान सरकार अन्तिम रूप से अपनी राय नहीं दे सकेगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि कलेक्टर के पास इस प्रकार के अधिकार रहने चाहिये। डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकार्ड आफिसर की जरूरत नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड आफिसर के पद को समाप्त करें। इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए कानून जो इस क्लॉज के अन्दर है वह हमें स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)— माननीय उपाध्यक्षजी, जो अमेन्डमेंट अभी परबतसर से आये हुए माननीय सदस्य ने पेश किया है मैं उसे स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। कारण स्पष्ट है। पटवारियों का जो काम है वह बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। उनके एप्वाइन्टमेंट के जो वजूहात दाता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने बताये हैं वे वजूहात वाकई ठीक हैं। पटवारियों का एप्वाइन्टमेंट असिस्टेन्ट कलेक्टर या एस. डी. ओज. के हाथ में नहीं देना चाहिए। जिले भर के पटवारी या लेन्ड रेकॉर्ड का अमला है उसका एप्वाइन्टमेंट, पोस्टिंग वगैरह कलेक्टर के हाथ में रहे। सारे जिले के लेन्ड रेकॉर्ड के हिसाब को वह अपने हाथ में रखे और यह आवश्यक है कि जहां तक पटवारियों के एप्वाइन्टमेंट का सवाल है उसका कलेक्टर को ही फाइनल अधिकार रहना चाहिए।

एक बात बड़ी गलतफहमी से बार बार बहस में आती है। वह है डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर्स के बारे में। मैने पहले उस वक्त भी साफ कर दिया था कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि गवर्नमेंट सेपेरेट डिस्ट्रिक्ट लैन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर जरूर मुकर्रर करेगी। प्रोवीज़न यह है कि गवर्नमेंट में एप्वाइन्टपोमेन्ट ऐसे सूरत में पहले भी बिल्कुल साफ कर दिया था कि गवर्नमेंट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर को सेपरेट नियुक्त करना उस वक्त जरूरी महसूस करेगी जब कि कलेक्टर के पास कार्य इतना अधिक हो जायगा कि वह उसको अन्जाम देने में असमर्थ हो। उस सूरत में अलहदा डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर मुकर्रर किया जायगा। यह समझकर नहीं चलना चाहिए कि सरकार डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड आफिसर बिल्कुल अलग कायम करना चाहती है। २४ डिस्ट्रिक्ट्स में अलग २ डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर्स मुकर्रर करने की भावना हो। इस गलत भावना को, मेरे ख्याल से, गलतफहमी पहले भी दूर कर चुका हूँ। जहां तक अमेन्डमेन्ट का सवाल है मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री चांदमल मेहता—जहां तक लैंड रेकॉर्ड्स ऑफिसर का ताल्लुक है वहां तक इसको डेफर करना चाहिये क्योंकि दूसरे भी डेफर हो चुके हैं और जहां तक एस. डी. ओ. का ताल्लुक है उसको मैं विथड्रा करने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष (श्री लालसिंह)—क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन के जिस अंश को ये वापिस लेना चाहते हैं उनको वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

इस अंश को वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री चांदमल मेहता—कलेक्टर के स्थान पर एस. डी. ओ. करने का जो मेरा संशोधन है उसको मैं वापिस लेता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास—दूसरे क्लॉज़ेज की तरह इस पर भी मतदान स्थगित रहेगा, ३६ पर।

श्री उपाध्यक्ष—श्री हिम्मतसिंह। (श्री हिम्मतसिंह की अनुपस्थिति में उनका संशोधन नहीं लिया गया)

श्री चांदमल मेहता—इसमें भी वही बात है। डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स के बारे में जब तक तय नहीं हो जाता तब तक इसका भी फैसला नहीं हो सकता। इसको भी डेफर कर दिया जाय।

श्री श्यामलाल गोयल—आप अपना अमेन्डमेन्ट मूव तो कर दीजिये।

श्री चांदमल मेहता—इसको मूव किया मान लीजिये। इसमें मुझे कोई नई बात नहीं कहनी है। डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स को नहीं रखने की बात मान ली जाती है तो फिर कोई बात ही नहीं रहती।

श्री दामोदरलाल व्यास—He has moved his amendment, इस पर मतदान नहीं होगा। वे कहते हैं कि पेश कर दिया और मुझे इस पर कुछ कहना नहीं है। He does not want to say anything new. He has actually moved the amendment. Since he has not said anything so I need not reply.

The clause may be deferred.

(खण्ड ३८ डेफर किया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ ३८ श्री हिम्मतसिंह

(अनुपस्थित)

श्री चांदमल मेहता

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा पर भी मेरा अमेन्डमेन्ट है लेकिन डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स के बारे में फैसला होने तक इसको भी डेफर कर दिया जाय। मेरे अमेन्डमेन्ट को मूव किया हुआ समझा जाय। मुझे इस बारे में कोई विशेष बात नहीं कहनी है।

श्री भैंरूसिंह—मैं अपना अमेन्डमेन्ट मूव करना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—क्या इसे भी पोस्टपोन किया जाय ?

श्री भैंरोंसिंह—यह भी लैंड रेकॉर्ड्स ऑफिसर्स के बारे में है इसलिये यह भी पोस्टपोन होगा।

श्री उपाध्यक्ष—क्या क्लॉज़ ३८ को पोस्टपोन करना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सिर्फ वोटिंग पोस्टपोन होगा। मतदान बाद में होगा।

(खण्ड ३८ डेफर किया गया)

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ ३६, श्री हिम्मतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—क्लॉज़ ३६ में मेरा अमेन्डमेन्ट डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स के बदले कलेक्टर करने का है। इस क्लॉज़ को भी डाइरेक्टर के बारे में फैसला होने तक डेफर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—You have moved the amenmdment and there seems nothing to add.

श्री चांदमल मेहता—अमेन्डमेन्ट पर मुझे कुछ नहीं कहना है। डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स के फैसले तक इसे डेफर कर दिया जाय। क्योंकि यदि डी. एल. आर. निकल जाता है तो मेरा अमेन्डमेन्ट ऑटोमेटिकली मंजूर हो जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास—Thirty nine be postpone only for voting.

श्री उपाध्यक्ष—Clause 39 is postponed only for voting."

(खण्ड ३६ डेफर किया गया)

क्लॉज ४०, श्री हिम्मतसिंह

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह(१६)—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move the following amen dment to clause 40.—

" Substitute the words 'Board of Revenue' for the words ' state Government' in the last line.'

माननीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि डिस्ट्रिक्ट के काम को सुपरवाइज करने की दृष्टि से गिरदावर, कानूनगो, लैंड रेकॉर्ड इन्सपेक्टर्स और पटवारीज़ की किस तरह क्या क्या ड्यूटीज होंगी इस बारे में नियम बनाने का जो अधिकार है वह सरकार ने अपने पास रखा है! यह बात बहुत आवश्यक है कि गिरदावर, कानूनगो या पटवारी जितने भी लैंड रेकॉर्ड्स बनाने वाले कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटीज निर्धारित की जांय। यदि किसी नियम के अंतर्गत हम उनकी ड्यूटीज निर्धारित नहीं करते हैं तो इस बात का भय बना रहता है कि उचित नियम के अभाव में लैंड रेकॉर्ड्स में कहीं गलती न कर दें जिसका बहुत बुरा असर हो इसलिये आवश्यक है कि उनको कानूनी नियंत्रण में रखने के लिये हम नियम बनावें। इस क्लॉज़ के द्वारा सरकार का नियंत्रण है। इस प्रकार के नियम बनाने का अधिकार राजस्थान सरकार को होगा। मेरा संशोधन यह है कि वह अधिकार सरकार को न होकर राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड को होना चाहिये। इस संशोधन के पक्ष में मेरा ऐसा मत है कि हमने रेवेन्यू मेटर्स में राजस्थान रेवेन्यु बोर्ड को उच्च सत्ता माना है। उसको हमने ऐसा अधिकार दिया है कि जो न्याय की दृष्टि के साथ साथ रेवेन्यू ऑफिसर्स किस किस तरह काम करेंगे, किस किस काम पर किस किस को नियुक्ति करना है, इस प्रकार का अधिकार बोर्ड को दिया है तो हमें यह भी सोचना

Page No.84

[श्री भैंरूसिंह]

पड़ेगा कि जो रेवेन्यू की उच्च सत्ता है, जिनके हाथ में हमारे कॉन्सोलीडेटेड केसेज आकर रूलिंग्ज बनाने की व्यवस्था होगी वही रेवेन्यू बोर्ड राजस्व के विषय में जितनी भी गलतियें या सुधार हो सकते हैं उनको ठीक करने की व्यवस्था उनके हाथ में होनी चाहिये ।

सरकार के ध्यान में यदि सरकार कोशिश करेगी तो वह चीज अवश्य आवेगी । राजस्थान के रेवेन्यु बोर्ड के रेवेन्यु ओफीसर्स को कन्ट्रोल करने के लिये, राजस्थान के जितने जूडिशियल और नोन-जूडिशियल ओफिसर्स हैं अलावा सेटलमेंट के, तो उनका जितना रेवेन्यु बोर्ड के द्वारा कन्ट्रोल किया जा सकता है उतना राजस्थान सरकार द्वारा डायरेक्टली नहीं किया जा सकता । ऐसी सूरत में कौन कौन से नियम बनाने हैं, इसकी आवश्यकता केवल रेवेन्यु बोर्ड ही महसूस कर सकता है । केवल रेवेन्यु बोर्ड मैंने इसलिये कहा कि रोज मर्रा की दिक्कतें हैं पटवारी किस तरह से काम करता है, वह किस तरह उसके खिलाफ अपील ली जाती है , उसके रेकॉर्ड की प्रतिलिपि किस तरह लोगों को मिलती है, किस तरह गलत एन्ट्री होती है, इन सब चीजों का ज्ञान केवल रेवेन्यु बोर्ड को होगा, गलत एन्ट्री करले तो रेकॉर्ड पटवारी से तहसीलदार, तहसीलदार से क्लेटर और क्लेटर से रेवेन्यु बोर्डके पास आता है, तो रेवेन्यु बोर्ड को मालूम होता है कि इस प्रकार की गलती से, ये येकम्पलीकेशन्स हो सकते हैं, जिससे न्याय के स्थान पर अन्याय का सामना करना पड़े । जिससे उसकी ज़मीन पर दूसरे का कब्जा भी हो जायं ।

तो ऐसी सूरत में रोज मर्रा की चीजें ऐसी संस्था के पास जाती हैं तो उन कर्मचारियों पर कन्ट्रोल करने के लिये वही संस्था नियम बनाये, जिससे उन पर उचित कन्ट्रोल हो सके । रेवेन्यु बोर्ड भी सरकार का है और सरकार उसको सलाह भी दे सकती है कि इस प्रकार के नियम बनाने चाहिये । रेवेन्यु बोर्ड जब कि एक उच्च सत्ता है, ऐसी सूरत में हमें यह मानना पड़ेगा कि वे कर्मचारी किस प्रकार काम करें, किस तरह उन पर कन्ट्रोल किया जाय, इस बारे में नीति निर्धारित करने का अधिकार रेवेन्यु बोर्ड का है । यह उचित नहीं होगा कि सरकार को ऐसे अधिकार दिये जायं।

मैं समझता हूँ कि माननीय राजस्व मंत्रीजी, इस बात को अवश्य स्वीकार करेंगे क्योंकि यह स्वीकार करने के योग्य है ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसे कतई स्वीकार नहीं करता क्योंकि यह स्वीकार करने के योग्य नहीं है । बात सीधी सी है, इतने वाद विवाद की आवश्यकता नहीं थी । इस क्लॉज़ में क्वालिफिकेशन्स ...."The qualifications, conditions of service and duties of Patwaris, Girdawar Qanungos or Land Records Inspectors and Sadar Qanungos......" का ताल्लुक है कि स्टेट गवर्नमेंट उनके लिये रूल्स बनायेगी । स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है कि इनके अपोइन्टमेंट, क्वालिफिकेशन्स, सर्विस वगैरह के लिये रूल्स बनाये ।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

अभी माननीय सदस्य जो दांता रामगढ़ से आये हुए हैं उन्होंने बताया कि ये अधिकार रेवेन्यु बोर्ड को हैं और सरकार को कोई सुझाव देना हो तो रेवेन्यु बोर्ड को दे । पटवारियों की बड़ी मल्टीरियस ड्यूटी रहती है, दबाव का डर रहता है, स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार के रूल्स बना देगी .....

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—मैंने दबाव की कहीं चर्चा नहीं की, सरकार के मन में दबाव डालने की बात है इसलिए यह बात सामने आ गई है ।

श्री दामोदरलाल व्यास--इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं । यह स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट को पॉवर्स हैं, पर्टिक्युलरली उनके अपोइन्टमेंट के क्वालिफिकेशन्स के, सर्विसेज़ आदि के क्या रूल्स हों, यह सरकार के हाथ में ही रहना चाहिये ।

ऐसी सूरत में मैं अपना जो अमेन्डमेन्ट पेस किया है, उसे मंजूर नहीं करता ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या इसे पोस्टपोन करना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नहीं साहब, इसमें ऐसी कोई बात पोस्टपोन करने की नहीं है May be put for voting

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंह ने क्लॉज़ ४० पर प्रस्तुत किया है । उसे स्वीकार किया ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४० विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४० विधेयक से अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉज़ ४२, श्री हिम्मतसिंह

(अनुपस्थित)

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, इस वक्त चेप्टर ३ पर इस सदन में बहस हो रही है और इस चेप्टर ही को खास हैडिंग्स में बांट दिया है, जिसमें ई. हैडिंग यह है : E. Village Officers and Servants.

ई. हैडिंग ही सेक्शन ४३ से ५८ तक चलता है , जिसको देखने से यह मालूम होगा कि इसमें एक भी जगह विलेज ऑफिसर के कहीं भी जिक्र नहीं हैं । शुरू में ५, ६ सेक्शन्स ऐसी हैं कि जिनमें नम्बरदार के अपोइन्टमेन्ट, उनकी ड्यूटियें इत्यादि का जिक्र है । इसके बाद ४८ दफा में विलेज सर्वेन्ट, उनके अपोइन्टमेन्ट, duties. etc. का जिक्र है इसके हैडिंग को देखने से, इसका हैडिंग दिया है "......E- Village Officers and Servants,"

यह मालूम नहीं होता कि विलेज ऑफिसर कौन है ..

श्री दामोदरलाल व्यास—"Village Officers" include "Lambardars."

एक माननीय सदस्य—At present the House is considering clause 42.

श्री श्यामलाल गोयल—I have no amendment to clause 42.

श्री उपाध्यक्ष—४२, श्री श्यामलाल......

श्री श्यामलाल गोयल—मेरा क्लॉज़ ४२ में कोई अमेन्डमेन्ट नहीं हैं । ४२ और ४३ के बीच में जो हैडिंग है उसमें अमेन्डमेन्ट है ।

श्री उपाध्यक्ष—It is after clause 42.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४२ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

हैडिंग के लिए जो अमेन्डमेंन्ट मूव किया है बिट्वीन ४२ एन्ड ४३, इसके ऊपर क्या कहना है ?

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि "विलेज ऑफिसर्स एन्ड सरवेन्ट्स" के बजाय, इसको अमेन्ड कर लिया जाय "लम्बरदार्स एन्ड विलेज सरवेन्ट्स"।

यहां पर कोई विलेज ऑफिसर का जिक्र नहीं है और न कहीं पर विलेज ऑफिसर की डेफीनेशन है। ऐसी हालत में जब हम विलेज लम्बरदार और सर्वेन्टस रखते हैं और उसका हैडिंग विलेज ऑफिसर रखते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल क्लिअर है और इसको क्लिअर करने के लिए मैंने यह रखा है। आशा है माननीय राजस्व मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, इस एमेन्डमेन्ट को स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है। मगर मैं साथ ही यह भी कह देना चाहता हूँ कि इससे कोई फायदा भी नहीं होगा क्योंकि विलेज ऑफिसर में सब शामिल हो जाते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं रहती है। अतः मेरे लायक दोस्त इस एमेन्डमेंट को विड्रॉ कर लें तो ठीक होगा।

श्री श्यामलाल गोयल—मेरे समझ में नहीं आया कि मेरे माननीय मंत्रीजी ने दो तरह की राय व्यक्त की है। शुरू में तो आपने यह कहा कि मैं इसको मंजूर करता हूँ और बाद में यह कहा कि मैं इसको विथड्रा कर लूं तो ठीक होगा। मैं नहीं समझ पाया कि आया यह एमेन्डमेंट मंजूर होगा या मुझे विथड्रा करना है।

श्री दामोदर लाल व्यास—मैंने यह अर्ज किया कि मुझे कोई एतराज नहीं है इसको स्वीकार करने में क्योंकि यह फोर्मल एमेन्डमेंट है लेकिन साथ का साथ यह जरूरी नहीं है कि इसको माना जावे। If is more appropriate and better. इसलिये मैंने यह अर्ज किया है कि आप इसको विथड्रा कर लें। क्योंकि सेन्स आ जाती है।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपना एमेन्डमेंट वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि इनको अपना एमेन्डमेंट वापिस लेने दिया जाए।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

अनुमति दी गई।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं अपना एमेन्डमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज ४३, श्री एच. के. व्यास

(अनुपस्थित)

श्री भैंरूसिंह (१६)

(अनुपस्थित)

श्री हिंम्मतसिंह अटरू

श्री हिम्मतसिंह--माननीय उपाध्यक्ष, मेरा क्लॉज ४३ पर एमेंडमेंट इस प्रकार है:
Substitute this clause by the following:—

"Appointment of Patels. – (1) Subject to any rules made under this Act, the Tehsil Panchayats shall appoint for each village or group of villages a Patel to exercise the powers and to perform the duties which have been or may be conferred and imposed on a Patel by this Act or the rules wade thereunder.

(2) If at any time the Tehsil Panchayat decides that one or more additional Patels shall be appointed, the Tehsil Panchayat may, subject as aforesaid, appoint as many additional Patels as may be necessary and each such additional Patel shall for all purposes be deemed to be a Patel."

मेरा अमेन्डमेंट पेश करने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो मेरा ओब्जेक्शन है शब्द लम्बरदार है उस पर। मैं चाहता हूँ कि शब्द लम्बरदार के बजाय पटेल शब्द रखा जावे। क्योंकि ज्यादातर रियासतें जो राजस्थान के एकीकरण में आई हैं उनमें पटेल शब्द ऐसे आदमियों के लिए काम में लिया जाता है। इसलिए लंबरदार का कोई मतलब नहीं है। यह एक ब्रिटिश इम्पोर्टेड शब्द है। उनके कोई लम्बर लगते होंगे। राजस्थान का खास शब्द है पटेल। इसलिये पटेल शब्द से जिन लोगों को हम मुकर्रर करते हैं वे भी अपना मान समझते हैं। लेकिन लम्बरदार शब्द में कोई खास महत्व नहीं है। जब पटेल को कहा जाता है कि तुम लम्बरदार मुकर्रर किये जाते हो तो वे समझते हैं कि उनकी वे इज्जती की जाती है। इसलिए लम्बरदार के बजाय शब्द पटेल रखा जावे तो ज्यादा वाजिब होगा। इसलिये मैंने लम्बरदार के बजाय पटेल शब्द का कहा है। पटेल की

Page No.89

[श्री हिम्मतसिंह]

तकरूरी कौन करेगा ? मैं तो इस विचार धारा को लेकर चल रहा हूँ। १० साल आगे की जिनको माननीय मंत्री स्वीकार करना उचित नहीं समझते और इस जमाने में फिर भी बैकवर्ड ही रहना चाहते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि इस संबंध में पंचायतों को अधिकार दे देना चाहिये और पटेल का जिस को एक्ट में लम्बरदार कहा गया है उनका ज्यादा संबंध पंचायतों से रहेगा और उनको पंचायतों के तहत काम करना पड़ेगा। इसलिये उनकी तकरूरी के लिए सजेशन दिया है कि यह अधिकार तहसील पंचायत को दिया जावे और उनके द्वारा एपोइन्टमेन्ट किया जावे तो ज्यादा बहतर होगा। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री इसको जरूर मंजूर करेंगे। मैंने जमाने को देखते हुए यह एमेन्डमेंट वाजिब समझा है। इसको जरूर स्वीकार करेंगे।

श्री चांदमल मेहता—Mr. Deputy speaker, Sir. I bag to move the following amendments to clause 43. In sub-clause (1)-

(1) Substitute sub-Divisional officer' for' Collector' in line 2.

(2) Insert the words ' one or more Lambardars ' between the words' appoint' anb' for' in line two.

(3) Delete the words or group of villages a lambarder' occurring in lines two and three-'!

" In sub-clause (2) - substitute the following for sub-clause (2):—

" If the office of Lambardar becomes vacant or if at any time the sub-divisional officer decides that one or more lambardars shall be appointed, he may appoint as many additional lambardars as may be necessary, and each such additional lambardar shall for all purposes be deemed to be a lambardar,"

Add a fesh sub-clause (3) as under-—

" (3) If the lambarder is a minor, or is unfit to perform the duties of the office through any Infirmity of body or mind, or is a female who Is unable to perform such duties, the sub-divional officer shall appoint a lambarder Gumasta for the purpose."

माननीय उपाध्यक्ष, ४३ में मेरे इस प्रकार से ६ एमेंडमेंट हैं। पहला एमेन्डमेंट मेरा लम्बरदार को एपोइन्टमेंट कौन करे उसके सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गई है उस सम्बन्ड में है। लम्बरदॉर को एपोइन्ट करने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है उसके बजाय मैंने एस. डी. ओ. को एपोइन्ट करने के पॉवर्स होने चाहिये के लिये निवेदन किया है।

श्री कपीलदेव—एस. डी.ओ.

श्री चांदमल मेहता--माननीय उपाध्यक्ष, लम्बरदार की नियुक्ति जैसी मामूली चीज कलेक्टर करे तो सिवाय इसके कोई बात नहीं रहती कि सरकार सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करना चाहती हैं। वास्तव में सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। अभी भी कुछ स्थानों पर लम्बरदारों की नियुक्ति हुई हैं उसके बारे में पहले आदेश जारी हुए थे कि कलेक्टर करेंगे। लेकिन बाद में उसको एमेन्ड करके ऐसा किया गया कि लम्बरदार की नियुक्ति एस. डी. ओज़ करते रहेंगे। इस तरह जो केन्द्रीय-करण है उसका विकेन्द्रीयकरण किया। अगर एपोइन्टमेंट कलेक्टर करेगा तो भी वह एस. डी. ओ के पास जावेगा कलेक्टर महेज एपोन्इटिंग ऑथरेटी होगा तो ऐसी सूरत में फालतू काम बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि इस एमेन्डमेंट को स्वीकार करने में माननीय मंत्रीजी को कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

दूसरा मेरा अमेन्डमेंन्ट जो है वह यह है कि इसमें ऐसी व्यवस्था दी गई है, पहले सब क्लॉज़ में ऐसी बात है कि एक गांव में या कुछ गांवों को समूह में मिलाकर एक नम्बरदार होगा। मेरा सुझाव यह है कि एक गांव में एक लम्बरदार अवश्य हो और एक से अधिक नम्बरदार याद मुनासिब समझें तो मुकर्रर किये जांय। धारा २ जो आज आयी है उसमें यह व्यवस्था दी दी गई है कि अगर कलेक्टर चाहे तो एक से अधिक लम्बरदार मुकर्रर कर सकता है, लेकिन जब यह महसूस करें कि एक से अधिक की आवश्यकता है तो वह कर सकता है। प्रारम्भ में ही एस. डी. ओ. यह विचार करें कि प्रारम्भ में ही दो नियुक्त कर दिया जाय। लम्बरदार की नियुक्ति का प्रश्न आता है कि कुछ लम्बरदार नियुक्त कर दिये जांय। कुछ को लम्बरदार नियुक्त कर दिया तो उस हालत में कुछ आदमी सोचते हैं कि हमें मौका नहीं मिला। वे दूसरे आदमी पहुँचते है और यह अनुभव में आया है कि वे अपना नम्बर बढ़ा लेते हैं तो पहले ही यह व्यवस्था हो कि एक से अधिक की अवश्यकता ही न हो। जरूरत पहले ही महसूस कर ले एस. डी, ओ तो एक से अधिक नियुक्त कर ले।

ग्रूप ऑफ विलेजेज़ का सवाल है। कई समूह पर होता है। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये कि एक गांव पर एक लम्बररदार हो। अभी जैसी व्यवस्था है कि एक गांव पर एक लम्बरदार होता है। लेकिन एक से अधिक लम्बरदार रखे गये तो भ्रष्टाचार फैलेगा। पहले अधिकारी कहें कि वह कई गांवों पर रहना चाहिए लेकिन फिर भ्रष्टाचार के जरिये एक एक गांव में बनाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो मैंने इस क्लॉज़ में तीन अमेन्डमेंट रखे हैं:

(१) कलेक्टर के बजाय एस. डी. ओ.।

(२) एक गांव में एक से अधिक।

(३) ग्रूप ऑफ विलेजेज़ को निकाल दिया जाय।

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्रीजी इसको स्वीकार कर लेंगे।

[श्री चांदमल मेहता]

जहां तक सब क्लॉज़ का सम्बन्ध है मैंने इसमें यह एड किया है कि लम्बरदार नियुक्त किये जांय यह व्यवस्था तो इसमें है लेकिन जहां लम्बरदारों का स्थान रिक्त हो जाय तो उसके लिए इस क्लॉज में कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है ; इसलिए मैंने रखा है कि यदि कोई स्थान रिक्त हो जाय तो एस. डी. ओ. अपनी ओर से दूसरे को नियुक्त कर सकता है। फ्रेश क्लॉज़ एड करके यह बात बतावें कि अगर कोई लम्बरदार मर जाय या किसी कारण से अयोग्य समझा जाय काम करने के लिए तो उस स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि उस स्थान पर कोई न कोई व्यवस्था हो। ऐसी स्थिति आ जाय कि कोई लम्बरदार मर जाय या काम करने के अयोग्य हो तो एस. डी. ओ. अपनी ओर से लम्बरदार गुमाश्ता मुकर्रर कर दें।

मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—श्री श्यामलाल गोयल।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज ४३ में मैंने तीन अमेन्डमेन्ट्स पेश किये हैं। पहला अमेन्डमेन्ट तो मेरा यह है कि यह क्लॉज़ शुरू होता है इस तरह से।
"Subject to any rules made under this Act, the Collector shall, appoint for each village or group of villages a lambardar to exercise the powers and perform the duties conferred and imposed on a lambardar by this Act or the rules made thereunder."

"सबजेक्ट टु एनी रूल" है, यहां 'एनी' नहीं होना चाहिए और सब्जेक्ट टू रूल होना चाहिए। क्या ड्यूटी होनी चाहिए आज तक उसके लिए लम्बरदार के लिए कोई रूल्स नहीं है और इस चीज़ को कलेक्टर की विशेज़ पर नहीं छोड़ना चाहिए कि किस तरह से लम्बरदार बनाये। गवर्नमेन्ट के लिए डिस्क्रेशनरी नहीं बनावे, गवर्नमेन्ट के लिए जरूरी होना चाहिए कि रूल्स बनें। 'एनी' से मतलब यह होता है कि बनावें या नहीं बनावे ; सब्जेक्ट टु एनी रूल्स के बजाय रखना चाहिए :

"Subject to rules made under this Act......"

इसके अलावा दूसरा मेरा अमेन्डमेन्ट है कि यह जिस तरह की धारा है इस धारा में ऐसा प्रोवीजन किया गया है कि एक गांव या ग्रुप ऑफ विलेजेज़ के लिए लम्बरदार अपोइन्ट किये जावेंगे। इस धारा में ऐसा कहीं नहीं रखा गया है कि एक से ज्यादा नम्बरदार भी अपोइन्ट किये जा सकते हैं। आज जो स्थिति चल रही है वह यह है कि बहुत से गांव जहां के लिए मैं जानता हूँ कि एक एक गांव में चार हजार, पांच हजार की आबादी है और वहां चार चार, पांच पांच, छः-छः, आठ-आठ और दस दस नम्बरदार हैं। इस धारा के अन्दर यह है कि उनका नम्बर रिड्यूस करके एक कर दिया जावेगा और वह एक आदमी उस काम को कर सकेगा या नहीं। इसलिए मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है कि

[श्री श्यामलाल गोयल]

"In line three substitute the words' a lambardar' by the words' one or more lambardars'.

इसके अलावा तीसरा अमेन्डमेन्ट मेरा यह है। इस क्लॉज़ का सब क्लॉज़ (२) यह है कि कलेक्टर यह समझे कि किस जगह लम्बरदार कम हैं और उनको बढ़ाया जाना चाहिये तो कलेक्टर को यह पॉवर दी गई है कि वह लम्बरदारों को बढ़ा सकता है। लेकिन इस धारा को देखने से पता चलता है कि ये कहीं अधिकार कलेक्टर को नहीं दिये गये हैं कि अगर कलेक्टर जरूरी समझे कि लम्बरदार गैर जरूरी है उनको कम करने के उसको पॉवर्स है या नहीं। बहुत से मौके ऐसे आ सकते हैं कि आबादी कम हो जाय, गांव बे-चिराग हो जाय, उस सूरत में कलेक्टर का यह अधिकार होना चाहिए कि जरूरी समझे कि तादाद लम्बरदारों की ज्यादा है तो वह उसको कम कर दे और इसीलिए इस पर मेरा अमेन्डमेंट यह है कि Add the following sub-clause after sub-clause (2):-

" (3) If at any time the Collector considers that one or more lambardars in a village or group of villages should be reduced, he may reduce such of them."

मैं समझता हूँ कि ये तीन अमेन्डमेन्ट्स जो मैंने प्रस्तुत किये हैं उनको माननीय मंत्री महोदय स्वीकार कर लेंगे।

एक अमेन्डमेन्ट श्री मेहताजी ने पेश किया है और वह यह है कि कलेक्टर के बजाय ऐस. डी. ओ. को पटेल के अपॉइन्टमेन्ट के पावर्स दे दिये जांय। तो मैं समझता हूँ कि पटेल के अपॉइन्टमेन्ट के पॉवर्स एस. डी. ओ. को जरूर दे दिये जाने चाहिए जिससे आयन्दा जो दिक्कतें होने वाली हैं वे नहीं होंगी।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, जो अमेन्डमेन्ट श्री चांदमलजी मेहता ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उनका दिल से स्वागत् करता हूँ। जो उन्होंने कलेक्टर के बजाय एस. डी. ओ. को पटेल को अपोइन्ट करने के पॉवर्स देने का सुझाव दिया है वह वास्तव में उपयुक्त है क्योंकि कलेक्टर के पास इतना ज्यादा काम है कि अगर ये सब काम उसको सौंप दिये जांय तो उसके लिए यह समझना कठिन होगा, वैसे दरअसल वैसे सिफारिशें एस. डी. ओ. से तहसील से उसके पास जावेंगी तो क्या होगा कि उसको सोचना पड़ेगा कि कौन पटेल सही है, लम्बरदार सही है, एक बढ़ावें या दो बढ़ावें, कई दिक्कतें आवेंगी। तो ऐसी स्थिति में एस. डी. ओ. को अपोइन्टिंग आथोरिटी रखा जाय तो यह ठीक होगा।

आज कल जो पटेल कायम किये जाते हैं माननीय उपाध्यक्ष, वे कौम के आधार पर कायम किये जाते हैं। अगर एक गांव में चार कौमें रहती है तो चार पटेल कायम किये जायेंगे, हर

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

कौम का अलग-अलग पटेल बनाया जाता है। न इस बात का ख्याल रखा जाता है कि किसके पास कितनी-कितनी जमीन है व कौन कितना-कितना लगान देता है। इस तरह से हम आज तक गलत भावना का प्रचार करते आये हैं। ऐसी स्थिति में जब नया कानून बनाने जा रहे हैं यह जो इस धारा में लिखा हुआ है एक लम्बरदार कायम किया जायगा, यह बात बिल्कुल सही है, इससे हम जो गलती करते आये हैं उनको ठीक कर लेंगे। इसका अवश्य इस धारा में समावेश होना चाहिये कि आवश्यकता हो तो एक से अधिक भी पटेल कायम किये जा सकते हैं। इस धारा के सब क्लॉज़ (२) में यह लिखा हुआ है।

श्री जवानसिंह—जातियों में रिलेशन्स भी शामिल है क्या?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—जातियों से ही तो रिलेशन्स बनते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं अर्ज यह कर रहा हूँ कि यह सब क्लॉज़ ऐसा है कि एक से ज्यादा पटेलों की जरूरत हो, ज्यादा भी बनाये जा सकते हैं। अगर इसकी भाषा को सुन्दर किया जावे जैसा कि श्यामलालजी ने सुझाव दिया है कि 'वन ऑर मोर लम्बरदार' शब्द कर दिये जांय तो हम सब क्लॉज़ २ को ओमिट कर सकते हैं, मतलब इससे निकल सकता है।

सब क्लॉज़ २ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसके अनुसार एडीशनल लम्बरदार बनाये जायेंगे और जब वे नम्बरदार बन चुकेंगे तो नम्बरदार समझे जायेंगे। फिर एडीशनल नहीं रहेंगे। अगर सब क्लॉज़ वन में वन ऑर एनी नंबर जोड़ दिया जाता है तो सब क्लॉज़ दो को ओमिट किया जा सकता है। माननीय श्यामलालजी ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाता है तो उसके अनुसार सेटलमेन्ट ऑफिसर आवश्यकता हो तो एक या एक से अधिक नम्बरदारों की आवश्यकता हो तो अपॉइन्ट कर सकता है। इसके साथ माननीय सदस्य ने यह भी बताया कि अगर किसी सूरत में नम्बरदारों को नियुक्त करने के लिये कोई एतराज हो तो उसके लिये क्या होगा उस सूरत में सरकार अपने नियम बनायेगी कि पटेल की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिये? उसके मर जाने पर क्या व्यवस्था होगी, 'यह सबजेक्ट टू रूल्स' कार्य होगा। That will be more forceful. इसी तरह पटेल्स बनाये जायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष, इसलिये मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो संशोधन श्यामलालजी और चांदमलजी ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय। श्री श्यामलालजी, अमेन्डमेन्ट में जो लफ्ज 'एनी' दिया गया है इसके इन्टरप्रीटेशन भी गवर्नमेंट डिस्क्रिशनरी पॉवर्स है यह सही नहीं; सबजेक्ट टू दी रूल्स यह सब होंगे। ऐसी सूरत में लाजिमी यह होता है कि यदि रूल्स नहीं बनते हैं तो 'एनी' शब्द को हटा दिया जाय। जब तक रूल्स नहीं बनेंगे पटेलों का अपॉइन्टमेंट नहीं हो सकता। रूल्स की तहत ही पटेल्स बनाये जायेंगे। अब ऐसा है कि यदि 'एनी' शब्द को रखा जायगा और

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

रूल्स नहीं बनेंगे तब तक गवर्नमेंट पटेलों को अपोइन्ट करती रहेगी। यह अगर बढ़ाया जाता है सबजेक्ट टू दी रूल्स तो यह मेन्डेटरी हो जाता है कि पहले रूल्स पब्लिश करके तब कहीं जाकर पटेल्स अपोइन्ट होंगे। इसलिए लफ्ज एनी रखा जाय तो इसमें कोई खास हर्ज नहीं है जबकि माननीय मंत्री यह आश्वासन दे दें कि रूल्स बनाये जायेंगे। माननीय सदस्य को यह समझना चाहिये कि यह 'एनी' शब्द है इसमें भी रूल्स बनाना न बनाना एक तरह डिसक्रिश्नरी है। मैं ऐसा समझता हूँ कि रूल्स मेकिंग पॉवर गवर्नमेन्ट ने ली है तो रूल्स जरूर बनाये जायेंगे। अगर माननीय मंत्री यह आश्वासन दे देते हैं कि बगैर रूल्स के अपोइन्टमेन्ट नहीं होगा तो 'एनी' लब्ज रखने में कोई एतराज नहीं।

श्री भैरोंसिंह (वि० संख्या १६)—माननीय उपाध्यक्ष, समय तो हो चुका है मुझे अपना संशोधन मूव करने की इजाजत दी जाय।

श्री जवान सिंह—माननीय उपाध्यक्ष, क्या दुबारा वाद-विवाद हो रहा है?

श्री भैरोंसिंह (वि० संख्या १६)—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ में मेरा भी एक संशोधन था, वह इसको डिलीट करने के संबन्ध में है, मुझे इस क्लॉज़ का विरोध करना है, इजाज़त हो तो मैं अपना संशोधन मूव करूं।

श्री उपाध्यक्ष—आपका अमेन्डमेन्ट कॉल किया गया था, किन्तु आप उस समय उपस्थित नहीं थे इसलिये आपको अमेन्डमेन्ड मूव करने की इजाज़त नहीं देता।

श्री दामोदरलाल व्यास—He was not present when he was called.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आप केवल विरोध करने के लिये विरोध कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, लम्बरदारों की कोई आवश्यकता नहीं, इस चीज को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ और इसी प्रकार का मेरा संशोधन भी है। समय हो गया है अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपना भाषण आरम्भ करूं।

श्री दामोदरलाल व्यास—I may reply.

श्री भैरोंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे इसका विरोध करना है। इसमें जो संशोधन आये हैं उन संशोधनों का मैं विरोध करना चाहता हूँ।

Page No.95

श्री दामोदरलाल व्यास—अमेन्डमेन्ट नहीं कर रहे हैं इज Is he speaking on his amendment ?

श्री भैरोंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, संशोधन मूव करने की इजाज़त दी जाती है तो मैं उस पर बोलूंगा नहीं तो मैं इस क्लॉज़ का विरोध करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप अमेन्डमेन्ट के समय तो प्रेजेन्ट नहीं रहते, फिर बाद में कहते हैं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आप सारे क्लॉज़ का विरोध करेंगे या केवल अमेन्डमेन्ट का।

श्री भैरोंसिंह—अमेन्डमेन्ट तो सब खत्म हो गये। जब क्लॉज़ पर पूरी बहस नहीं होगी तो माननीय राजस्व मंत्री जवाब नहीं देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—He can speak on the amendments if he likes. He can oppose it when the clause comes up for discussion. We are speaking on the amendments for the Persent.

श्री भैरोंसिंह—आज तक का यह प्रोसीजर रहा है कि पहले अमेन्डमेन्ट पर चर्चा कर लें फिर सारे क्लॉज़ पर बहस की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—The general critism of the clause will come later,

श्री भैरोंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, चान्दमलजी ने जो संशोधन पेश किया है उसके विरोध करने का मौका दिया जाय। इस तरह से यह पहला मौका होता है जब कि क्लॉज़ पर जनरल डिसकशन होता है, उस पर विरोध करने का दूसरा मौका होता है। इस तरह से मुझे भी इसका विरोध करने का अवसर दिया जाय।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आप दोनों मौकों का एक बार में उपयोग कर सकते हैं या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह—यदि ऐसी इजाजत हो तो।

माननीय उपाध्क्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष—आज समय हो गया है सदन की कार्यवाही कल सुबह साढ़े आठ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही ७ बज कर एक मिनट पर, कल, दिनांक ११ अक्टूबर, १९५५ के प्रातः साढ़े आठ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १० अक्टूबर १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १६५ का उत्तर देखिये)

जनता द्वारा भवनों पर खर्च की गई रकम की सूची

क्रम संख्या	ग्राम	रकम
१.	अलाप	२०००० रू०, मकान अधूरा है।
२.	गोटन	दो कमरे बनवाये हैं, कमरे छोटे हैं और लकड़ी का काम बाकी है।
३.	रैन	१५०००० रू०, छात्र कम हैं।
४.	खींवसर	२०००० रू०, छात्र कम हैं।
५.	मकरी	८००० रू०, मकान अधूरा है, छात्र संख्या कम है।
६.	जावला	८००० रू०, छात्र संख्या कम है।
७.	गच्छीपुरा	६००० रू०,
८.	मीठरी	५०००० रू०,
६.	धनकोली	५०००० रू०,

मिडिल स्कूल खोलने के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त होने की सूची

क्रम संख्या	नाम ग्राम	जन-संख्या
१.	अलाप	३०४२
२.	गोटन	२४११
३.	रैन	२६५३
४.	खींवसर	१२००
५.	मकरी	१५७४
६.	बडु	३२६०
७.	घाटवा	२२६६
८.	जावला	१७८१
६.	गच्छीपुरा	१२००
१०.	मीठरी	६६३
११.	धनकोली	१०५८

परिशिष्ठ २

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्न कर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मन्त्री महोदयों की अनुमति है)

(प्रश्न)

१६८ (३२। आर० एम०) श्री धरमचन्द, एम० एल० ए०, डिविजन नम्बर ३६-क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के बन जाने के बाद भी अभी तक क्यों नहीं लागू किया गया है ?

(ख) उपरोक्त एक्ट कब से लागू किया जावेगा ?

उत्तर

क. राजस्थान टीनेन्सी बिल पर राष्ट्रपति की स्वीकृति तारीख १४ मार्च सन् १९५५ को हुई थी।

ख. एक्ट बन जाने के बाद भी चालू न करने का कारण उसकी दफाओं को लागू करने के लिए नियम न बने थे।

ग. उपरोक्त एक्ट शिघ्र ही लागू किया जाने वाला है।

169 (66/CM) **Shri H. K. Vays, M. L. A.** (Division No. 160):— Will the **Minister for Education** be pleased to state :—

(a) Did the Government give an order in 1954 for printing the Nationalized Textbooks to a private printer at Jaipur ?

(b) If so, to whom was the order given and at what rate ?

(c) Were any tenders invited ? If so, was the lowest tender accepted ? If not, why not ?

(d) Was any time limit for executing the printing work specified in the Government order ? If so, what was it ?

(e) Did the printers conform to this time limit ? If not, was any action taken against them ? If not, why not ?

(f) Is it a fact that the payment made to this firm was at a rate higher than the one sanctioned by the Government ?

Page No.99

(g) If so, what action has the Government taken in the matter ?

उत्तर

(a) Yes, sir.

(b) The order was given to the Rajasthan Printing Works, Jaipur at tho following rates :---

(i) Social Studies.	6¾ pies per form.
(ii) Music.	7½ ,, ,, ,,
(iii) Drawing.	8 ,, ,, ,,

(c) Yes, Sir. Tenders were invited. The lowest tender was accepted.

(d) Yes, Sir. The limit prescribed was a fortnight.

(e) (i) No Sir.

(ii) No Sir.

(iii) The fault was not exactly of the printers. He raised certain important issues and their consideration took some time.

(f) The payment was made to this Firm at the following rate :---

Social Studies.	6¾ pies- per form-
Music.	7½ pies. per form.
Drawing.	8 pies per form.

Yes, Sir. It was higher than the rate sanctioned by the Government and the excess amount paid was Rs. 868/-/6.

(g) No action has been taken in this matter.

प्रश्न

१७० (४८। आर. एम.) श्री रीद्धिचन्द पल्लीवास, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३२९: क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे;

(क) क्या सरकार पटवारियान व इंसपेक्टर लैण्ड रिकार्ड के लिये उनके स्थाई रुप से अपने २ हल्के में रहने को क्वार्टर बनाने की कोई कार्यवाही कर रही है ?

(ख) क्या यह मकानात अगली पंचवर्षीय योजना में लिये जा रहे हैं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) अगर हां, तो क्या प्रत्येक कर्मचारी को इन वर्षों में क्वार्टर मिल सकेंगे ?

उत्तर :

क. पटवारियों के लिये कई स्थानों पर तो पटवार खाने हैं किन्तु पट्वास माता में नहीं हैं और इसीलिये सरकार अब उन स्थानों पर जहां पटवार खाने नहीं हैं पटवारखाने बनाने या मकान किराया देने की योजना कर रही है ।

ख. जी हां ।

ग. यह नहीं कहा जा सकता । सरकारी मकानों के लिये २ करोड़ रूपये की रकम पन्च-वर्षीय योजना में मंजूर हुई है ।

१७३ (६२। सी. एम.) श्री धरमचन्द, एम. एल. ए., डिवियजन नम्बर ३६ :- क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे –

(क) क्या यह सत्य है कि नारोली मिड्ल स्कूल में १८० छात्र पढ़ते हैं ?

(ख) सरकार ने इस स्कूल के लिये अब तक क्या आर्थिक सहायता दी है और जो सहायता दी है क्या वह पर्याप्त है ?

(ग) क्या यह सही है कि इस स्कूल में केवल चार ही कमरे हैं और बिल्डिंग अधूरी है ?

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के ध्यान में है कि इतने लड़कों के लिए चार कमरे प्रर्याप्त नहीं हैं ?

(ङ) सरकार इस बिल्डिंग को कब तक पूरा कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(क.) जी नहीं । छात्रों की संख्या १६० है ।

(ख.) सरकार ने गत वर्ष १००० रू० की सहायता दी थी जिससे चार पक्के कमरे बनाये गये थे । वह पर्याप्त नहीं हैं ।

(ग.) जी हां ।

(घ.) जी हां, किन्तु फिलहाल दो कक्षाओं के लिये ग्रामवासियों द्वारा स्कूल के लिये बनाये पक्के मंदिर में एवं अन्य दो कक्षाओं के लिये स्कूल के दोनों ओर के पक्के चबूतरे पर जिस पर टिन लगी हुई है बैठने का प्रबन्ध कर दिया गया है ।

(ङ.) इस स्कूल के भवन को पूरा करने के प्रश्न पर अन्य ऐसे स्कूलों के अधूरे भवनों को पूरा करने के प्रश्न के साथ आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये विचार कर रही है।

प्रश्न

177 (76/CM) **Shir T. M. Bapna, M. L. A.** *Division No* 146):--Will the Minister for Education please reply :--

I. Is it a fact that the Government had assured the students and the public of Bhilwara to start Inter Science classes this year ?

2. If so, why were they not startd and when will they be started now ?

उत्तर

2. The Question does not arise. The Question of introduction of optional Science in Inter clases will be considered next year.

प्रश्न

179. (41/RM) **Shri H. k. Vyas M. L. A.**, *Division No* 160) Will the Minister for Revenue be pleased to state ;—

(a) Is it a fact that allegations of corruption have been received against the Naib-Tehsildar, Laxman-garh (Alwar District) from the public of that area ?

(b) Is it a fact that the commissioner, Jaipur, ordered the transfer of the said Naib-Tehsildar sometime in June, 1955 ?

(c) Is it a fact that these orders of transfer were subsequently cancelled ? If so, why ?

उत्तर

क. कन्हैयालाल, नायब तहसीलदार, लछमनगढ़, जिला अलवर के खिलाफ गैर हाजिरी वगैरह की शिकायत श्री बृजमोहन लाल शर्मा ने कमिश्नर जयपुर के पास की है और इसकी तहकीकात के लिए कलेक्टर अलवर को आदेश दिया गया है।

ख. कमिश्नर का लिखना है कि नायब तहसीलदार का तबादला नहीं किया गया।

ग. इसका सवाल ही नहीं उठता है।

प्रश्न

१८० (४१ आर. एम.) श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल :–

क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इन्सपेक्टर, लैंन्ड रेकॉर्ड, धर्मार्थ विभाग व ट्रान्सपोर्ट विभाग के इन्सपेक्टर के समकक्ष माने गये हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि लेन्ड रेकॉर्ड, इन्सपेक्टरों को ५०-२-६०-४-१००-५-१२५ का ग्रेड है जब कि अन्य विभागों के इन्सपेक्टरों को १००) से कम नहीं दिया जाता है ?

(ग) वेतनों में इस प्रकार की असमानता किस २ दृष्टिकोण को रखते हुये उपरोक्त विभाग में रखी गई है ?

(घ) क्या इस असमानता को गवर्नमेन्ट ठीक करेगी ? अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

(ङ) क्या यह सच है कि अपर डिविज़न क्लर्क से भी अधिक जिम्मेवार पोस्ट इन्सपेक्टर लैन्ड रिकॉर्ड की है ?

उत्तर

(क) इन्सपेक्टर लेण्ड रिकॉर्ड व इन्सपेक्टर ट्रांस्पोर्ट व धर्मार्थ, व इन्सपेक्टर पुलिस व म्युनिसिपोलिटी व कस्टमस् सब के ग्रेड व केडर अलग अलग हैं।

(ख) लेन्ड रिकॉर्ड के इन्सपेक्टरों की ग्रेड राजस्थान में करीब करीब वही है जो गिरदावर कानूनगो के मध्यभारत व दूसरे प्रांतों में है ।

(ग) हर विभग के इन्सपेक्टर की तनख्वाह उसकी जिम्मेवारी व जरूरी योग्यता के आधार पर रखी गई है।

(घ) राजस्थान निर्माण होने के बाद रेवेन्यू इन्सपेक्टरों के ग्रेड सिर्फ ५०. २, ६० तक ही थी लेकिन और सब जरूरी बातों को गौर करने के बाद हाल ही में इस ग्रेड में वृद्धि की जाकर ग्रेड १२५ रूपये तक कर दिया गया है और इसको १५० रूपये तक करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इसके आगे जो काबिल और योग्य रेवेन्यु इन्सपेक्टर्स होंगे उनको नायब तहसीलदार के पद पर तरक्की पाने का मौका है।

(ङ) अपर डिविजनल क्लर्क व इन्सपेक्टर रिकॉर्ड के काम भिन्न भिन्न हैं और इनकी तनख्वाह की तुलना करना उचित नहीं होगा।

१८२ (६८। सी. एम.) श्री धर्मचन्द, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३६ : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में सब से अधिक वेतन किस व्यक्ति को मिलता है ? उस व्यक्ति का नाम व वेतन की तादाद क्या है ?

उत्तर

(क) मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, श्री कैलाश नाथ वांचू, आई. सी. एस. को

वेतन................४००० रू० व ४००रू० भत्ता मासिक।

प्रश्न

१८६ (४०। आर. एम.) श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर१२९
क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या पटवारियों को डाक व्यय दिया जाता है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(ख) अन्यथा डाक भेजने का साधन पटवारियों के पास क्या है?

(ग) क्या उनको स्थाई रुप से डील दिये जायेंगे? अगर हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?

उत्तर

(क) पटवारियों को डाक व्यय की आवश्यकता नहीं होती। वे प्रति मास तहसील हैड क्वार्टर पर वेतन प्राप्त करने के लिये और नक्शा आदि पेश करने के लिये आते हैं। कुछ पटवारियों का हैडक्वार्टर तहसील के पास है और कुछ बहुत दूर है, वे प्रति मास नहीं आने पाते हैं, उनको सर्विस टिकट दिये जाते हैं और वह डाक द्वारा नक्शा आदि तहसीलों को भेजते हैं।

(ख) डाकखाने द्वारा भेजते हैं।

(ग) वसूली का कार्य वर्ष में २ बार ३ माह के लिये होता है, उस समय डील तहसील से भेज दिये जाते है। साल भर तक उनको डील की आवश्यकता नहीं रहती है।

प्रश्न

189 (80 CM) Shir T. M. Bapna, M. L. A (Divion No 146)—Will the Minister for Education please state:-

In what buildirg is the Government Girls Middle School rnnning at Bhilwara and for how many years?

2. What is the number of girl students and what is the accommodation available there?

3. Whether it is a Government building or a private one taken on rent?

4. whether it is an approved building from sanitation point of view ? If not, whether the Government is contemplating to have a new building for this School ?

उत्तर

1. Government Girls Middle school, Bhilwara is housed at present in a rented building of Seth Kesari Mal of Bhilwara; it has been running for the last 4 years.

2. The number of girl students is 318 and the number of rooms is 9.

3. It has been replied in question No.1.

4. The building is not satisfactory. The Government is contemplating to arrange for a suitable building.

प्रश्न

१६० (५११ आर. एम.) श्री रीद्धिचन्द एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १२९ : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) राजस्थान के भिन्न २ डिविजनों में पटवारियों की ग्रेड क्या है ? क्या ग्रेड बराबर की जा रही है ?

(ख) पटवारियों को नवीन हिदायत के मुताबिक क्या २ कार्य करने पड़ते है ?

(ग) क्या यह सच है कि पटवारगिरी के अलावा उन्हें इलेक्शन कार्य, वसूली, पिलाई, तम्बाकू ड्यूटी व एग्रीकल्चर आदि का भी कार्य करना पड़ता है ?

(घ) अगर हां, तो क्या उनको उपरोक्त एक्स्ट्रा कार्य के लिये अलाउन्स दिया जाता है ?

(ङ) अगर नहीं तो ऐसा क्यों होता है ?

उत्तर

क. राजस्थान में सब डिविजनों में पटवारियों की ग्रेड एक ही है ४०, १, ५०. जब तक किसी खास हुक्म से सजा न की जावे तब तक ग्रेड इन्क्रीमेंट कानूनन आप ही मिलता रहता है।

ख. पटवारियों का कार्य-विवरण राजस्थान भू-अभिलेख संहिता लेन्ड रिकॉर्डस् मेन्युअल में अंकित है।

ग. यह सब कार्य पटवारियों के करने के है। उनका कार्य क्रम ही है, बेगार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

घ. अगर कोई खास काम जैसे मरदुमशुमारी, बन्दोबस्त वगैरह का कभी पटवारी को करना पड़ता है तो उसको उसके लिये उचित अलान्उस दिया जाता है। राज कर्मचारियों से बेगार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न

१६६ (६६१ सी. एम.) श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १२९ :– क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सवाई माधोपुर जिले में एक अप्रेल सन् १९५४ से ३१ अगस्त सन् १९५५ तक क्या २ विकास कार्य हुये ?

(ख) उन विकास कार्यों पर कितना रुपया खर्च हुआ और यह राजस्थान के कुल विकास कार्य का कितना प्रतिशत है ?

उत्तर

(क) सवाई माधोपुर जिले में १ अप्रेल, १९५४ से ३१ मार्च १९५५ तक तथा ३१ अगस्त १९५५ तक हुए विकास कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

उपरोक्त विकास कार्यों पर १ अप्रेल, १९५४ से ३१ मार्च १९५५ तक ८,४८,२४१ रुपये व ३१ अगस्त १९५५ तक ३,२१,२५७ रुपये व्यय हुए। यह व्यय १९५४–५५ के विकास कार्यों का ११.५ और १९५५-५६ (अगस्त तक हुए) विकास कार्यों का १२.४ प्रतिशत है।

STATEMENT OF WORKS DONE IN SAWAI MADHOPUR DISTRICT DURING 1st APRIL, 1954 TO 31st MARCH, 1955 AAD UPTO 31st AUGUST, 1955.

S. No.	Head	Sawai Madhopur	Hindaun	Mahuwa	Toda Bhim	Karauli
1	2	3	4	5	6	7
I.	AGRICULTURE					
1.	Compost pits dug.	1619	7680	2507	1921	1297
2.	Fertilisers distd (mds)	600	396	136	118	38
3.	Seeds distribution (mds)	1755	3936	1193	588	299

1	2	3	4	5	6	7
4.	Agricultural implements distributed.	1	211	1	11	3
5.	Demonstration held	76	397	1499	30	66
6.	Cultivation of fruits (acre)	10	18	6	3	61
7.	„ „ vegetable „	78	691	65	130	36
8.	Eradiction of field rats and white ants (acres)	538	1941	2488	159	153
9.	Crop competition entries received (Nos).	—	136	240	—	—
10.	Trees plantation	4166	10376	74916	7115	576
11.	Compartment & Contour Bunding of fields (acr)	72	1078	2475	220	10
II.	ANIMAL HUSBANDRY					
12.	Key village centres started	...	1	...	...	...
13.	No. of cattles serviced	...	...	...	...	...
14.	Castration done	21	235	299	9	167
15.	Pedigree birds supplied	...	...	...	...	4
16.	Pedigree Bulls supplied	1	...	...	...	...
17.	Inocluation and vaccination	7407	24737	6500	1785	1384
18.	Treatment of general diseases (No. of cattles)	997	9997	1185	1617	4247
19.	Cattle sheds improved	11	23	42	56	24
20.	Cattle sheds constructed	2	13	...	51	15
21.	**Breeding & A. I. Centres.**					
	(a) No. of centres started	...	1	...	...	...
	(b) No. of cattles serviced	...	45	...	...	...
III.	RECLAMATION					
22.	Land Reclaimed	180	6	1155	...	15
IV.	IRRIGATION					
23.	Kachha Wells constructed	6	14	129	70	21
24.	Pucca „ „	40	173	129	28	21
25.	No. of tanks constructed	2	...	2	2	11
26.	wells deepened & repaired	40	129	90	25	17
27.	No. of tube wells constructed.	...	...	...	...	...

1	2	3	4	5	6	7
28.	Pumping sets installed	4	2	...	...	...
29.	Installation of iron persian wheels	6	6	5	...	...
30.	Total additional area irrigated.	346	1391	2297	360	27
	V. HEALTH & RURAL SANITATION.					
31.	Sokage pits constructed.	123	503	234	107	3
32.	Rual laterines constructed.	...	20	...	184	...
33.	Drains constructed. (yds)	126	218	16	235	15
34.	Villages cleaned.	...	24	...	...	...
35.	Inoculation and vaccination.	1250	17770	1340	...	2080
36.	No. of persons whon medical aid was given.	987	39816	2269	5245	467
37.	Urinal pits constructed	...	571	2	19	2
38.	Treating of pits and breeding places.	1	31	5	7	4
39.	Primary health centres opened.	...	1	...	...	...
	VI. DRINKING WATER SUPPLY					
40.	Wells constructed	21	291	14	44	44
41.	,, repaired.	26	144	8	18	8
42.	Drinking water wells remodelled	...	...	...	3	...
43.	Wells disinfected.	67	1022	180	119	22
44.	Diggis & nadies constructed.	...	2	...	9	70
	VII. EDUCATION					
45.	No. of schools (New)	1	18	19	10	...
46.	No. of students	...	771	...	100	...
47.	Primary schools converted in basic schools.	...	...	...	...	...
48.	Schools buildings constructed.	1	37	6	7	13
	VIII. SOCIAL EDUCATION					
49.	Adult Education centres started.	8	4	...	4	2
50.	Adults under training	130	1000	87	51	20

1	2	3	4	5	6	7
51.	Adults trained	33	306	194	...	6
52.	Physical & recreation cenres	5	30	20	3	5
53.	Community meetings	19	1003	322	326	135
54.	Vikas mandal started	18	84	22	38	17
55.	Libraries opened	1	27	9	1	...
56.	Vidhyarthisangh organised.	4	40	1	13	3
57.	Young farmers club organised.	...	20	1	6	1
58.	Community Radio Sets	...	6	6	2	...
59.	Orientation camp	1	4	1	...	...
IX.	COMMUNICATION					
60,	Kachha road constructed (miles)	7	34	11	9	279
61.	Pucca ,, ,,	...	4	3	...	...
62.	Culverts & causeways	5	5	5	...	...
X.	COOPERATION					
63.	Cooperative societies opened.	25	81	6	44	...
64.	No. of panchayats which undertook work	15	14	14	9	2
XI.	RURAL ARTS AND CRAFTS					
65.	**No. of under training**					
	(1) Handloom weaving centre	...	48	...	...	...
	(2) Spinning and carding centres.	—	4087	...	...	...
	(3) Blacksmithi centres	...	51	...	...	...
XII.	HOUSING					
66.	Village houses constructed	106	33	21	55	...
67.	,, ,, reconditioned	15	90	73	20	...
XIII-	PEOPLES PARTICIPATION					
68.	Labour (in Rupees)	71333	108349	173334	69459	313845
69.	Cash and other contributions	50014	43093	23988	104969	2150

प्रश्न

198 (42/RM) Shri H.K. Vyas, M.L.A. (Division No. 160) :--Will the Revenue Minister be pleased to state :----

(a) On what date was the jagir Khohara, in Tehsil Lexmangarh reverted to the Government due to there being no heir ?

(b) Is the Government aware that in the area covered by this former Jagir, rent in excess of two times the revenue rates is being charged ?

(c) Is the Government aware that in the same former Jagir area grazing grounds are being auctioned, unlike the other Khalsa areas ?

(d) Will the Government take steps to set right this grievance of the Kisans of that area ?

उत्तर

क. जागीर खोरा तहसील लछमणगढ तारीख २५. ४. ४६ को खालसा हुई ।

ख. मौजा बिला बन्दोबस्त शुदा है और मौजूदा सूरत में ठेके होते हैं ।

ग. इस गांव में एक रून्द खोरा के नाम से मशहूर । है यह रून्द महकमा जंगलात से महकमा रेवेन्यू में सन् १६५१ में भूत-पूर्व सैनिकों के रीसेटिलमैन्ट के वास्ते मुन्तक्लि, हुवा लेकिन उसमें से अभी तक काश्त के वास्ते जमीन नहीं दी गई है और इस रकबे का पाला, पानी, पली घास हर साल ठेके पर नीलाम होता है ।

घ. अब इस मौजे के बन्दोबस्त की कार्यवाही दरपेश है और बन्दोबस्त होने के बाद काश्तकारान के उज्रात रफा हो जावेंगे ।

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १८८ का उत्तर देखिये)

नागोर जिले में छात्रावासों को राजकीय सहायता दी जाने वालों की सूची

१. बोर्डिंग हाउस	कुचामनसिटी	रू० ७३०
२. ,, ,,	परबतसर	रू० ११३३
३. ,, ,,	कुचेरा	रू० १६६
४. ,, ,,	जीजोत	रू० १०३
५. कोलिया ,,	कोलिया	रू० ६८५
६. ,, ,,	लाडनू	रू० २२४६
७. ,, ,,	मकराना	रू० २१२०
८. ,, ,,	छोटी खाटू	रू० १०००
९. ,, ,,	जसवन्तगढ़	रू० ६१४
१०. ,, ,,	पीलवा	रू० ५०४
११. ,, ,,	मारोठ	रू० ६६३
१२. ,, ,,	मोलासर	रू० ३२५
१३. ,, ,,	थानूवाला	रू० १०३२

१४.	कोलिया	डेगाना	रू० ५०४
१५.	किसान बोर्डिंग हाउस	नागौर	रू० १६६७
१६.	,, ,, ,,	डीडवाना	रू० ३८७०
१७.	,, ,, ,,	परबतसर	रू० ११५३
१८.	,, ,, ,,	मेडता सिटी	रू० १५७६
१६.	,, ,, ,,	खिवंसर	रू० १०८
२०.	,, ,, ,,	मारोठ	रू० ४३२
२१.	हिमात छात्रावास	डीडवाना	रू० ३६००
२२.	चार भुजा बोर्डिंग हाउस	मेडता सिटी	रू० ६६०
२३.	अमर बोर्डिंग हाउस	नागौर	रू० १०५६

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या १९५ का उत्तर देखिये)

राजस्थान में हरिजनों तथा पिछड़ी हुई जातियों की समितियों का सहकारी विभाग, राजस्थान द्वारा दिये हुए अनुदान की सूची ।

क्र० सं०	नाम समिति	साल	जिला	रकम
१	हरिजन सहकारी समिति बीकानेर	१६५०-५१	बीकानेर	१०००-०
२	तीन चमारों की समितियां भरतपुर	,,	भरतपुर	३०००-०
३	चार हरिजन समितियां कोटा	१६५२-५३	कोटा	३००-०
४	हरिजन सहकारी समिति जोधपुर	,,	जोधपुर	१००-०
५	सात चर्म उद्योग सहकारी समितियां भरतपुर	,,	भरतपुर	७००-०
६	श्री बांसवाड़ा उत्पादक सहकारी समिति	,,	बांसवाड़ा	८५०-०
७	सरवान बहुक्रेयकारिनी सहकारी समिति सरवान	,,	,,	८५०-०
८	बागीडौरा बहुधंधी सहकारी समिति बागीडौरा	,,	,,	८५०-०
९	बरोदिया बहुक्रेय कारिणी सहकारी समिति बड़ोदिया	,,	,,	८५०-०
१०	बुनकर सहकारी समिति चांदजी का गुढा	,,	,,	८५०-०
११	बुनकर सहकारी समिति गोपीनाथजी का गुढा	,,	,,	८५०-०
१२	घाटोल बहुधंधी सहकारी समिति घाटोल	,,	,,	८५०-०
१३	दानपुर बहुधंधी सहकारी समिति दानपुर	,,	,,	८५०-०
१४	बदवास बड़ी बहुधंधी सहकारी समिति लि० बदवास बड़ी	,,	,,	८५०-०
१५	गांधी सहकारी समिति सिमल वाड़ा	१६५२-५३	डूंगरपुर	८५०-०

क्र० सं०	नाम समिति	साल	जिला	रकम
१६	मालपुरा बहुधंधी सहकारी समिति मालपुरा	१६५२-५३	डूंगरपुर	८५०-०
१७	उपभोक्ता सहकारी समिति डूंगरपुर	,,	,,	८५०-०
१८	सियालदारी बहुधंधी सहकारी समिति लि० सियालदारी	,,	,,	८५०-०
१६	बोरवाला बहुधंधी सहकारी समिति बोरवाला	,,	,,	८५०-०
२०	गामरी अहरा बहुधंधी सहकारी समिति	,,	,,	८५०-०
२१	भौथारी पाल बहुधंधी सहकारी समिति	,,	,,	८५०-०
२२	करवाडा बहुधंधी सहकारी समिति	,,	,,	८५०-०
२३	बहुधंधी सहकारी समिति आसपुर	,,	,,	८५०-०
२४	सबला ताडगुड़ उत्पादक सहकारी समिति	,,	,,	८५०-०
२५	फालोज ताड़गुड़ उत्पादक सहकारी समिति	,,	,,	८५०-०
२६	बनवासी सहकारी समिति लि० प्रतापगढ़	,,	चितौड़	८५०-०
२७	वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति प्रतापगढ़	,,	,,	८५०-०
२८	हरिजन हड्डी सहकारी संघ भरतपुर	१६५३-५४	भरतपुर	३००-०
२६	बूट मेकर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लि० उदयपुर	,,	उदयपुर	५००-०
३०	गामडी बहुधंधी सहकारी समिति	,,	डूंगरपुर	४२५-०
३१	शिशोद बहुधंधी सहकारी समिति	,,	,,	४२५-०
३२	गेंजी बहुधंधी सहकारी समिति	,,	,,	४२५-०
३३	गुमानपुरा ,, ,,	,,	,,	४२५-०
३४	मन्दा ,, ,,	,,	,,	४२५-०
३५	खेडी ,, ,,	,,	,,	४२५-०
३६	डूंगरपुर ,, ,,	,,	,,	४२५-०
३७	रस्ता ,, ,,	,,	,,	४२५-०
३८	पोहडी बाडी ,, ,,	,,	,,	४२५-०
३६	सुरान्ता ,, ,,	,,	,,	४२५-०
४०	रामपुरा ,, ,,	,,	,,	४२५-०
४१	फतेहपुर किसान ,, ,,	,,	,,	४२५-०
४२	चितौड़गढ़ ,, ,,	,,	चितौडगढ़	४२५-०
४३	श्री यादव निरमान सहकारी समिति प्रतापगढ़	,,	,,	४२५-०
४४	शूमेकर्स सहकारी समिति अलवर	,,	अलवर	२००-०
४५	कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति नौहर	,,	,,	४००-०
४६	हरिजन सहकारी समिति कोटा	,,	कोटा	१००-०

क्र० सं०	नाम समिति	साल	जिला	रकम
४७	हरिजन सहकारी समिति (कोटा) लाडपुरा	,,	कोटा	१००-०
४८	हरिजन सहकारी समिति भाटापाडा	१९५३-५४	,,	१००-०
४९	हरिजन सहकारी समिति श्रीपुरा	,,	,,	१००-०
५०	निवाई रेगर सहकारी समिति	,,	जयपुर	४००-०
५१	म्युनिसिपल कर्मचारीयान सहकारी समिति जयपुर	,,	,,	४००-०
५२	सांगरिया हरिजन उत्पादक सहकारी समिति	१९५४-५५	गंगानगर	३००-०
५३	हरिजन बहुद्देशीय सहकारी समिति करनपुर	,,	,,	३००-०
५४	सागरपारा चमारान उत्पादक सहकारी संघ	,,	भरतपुर	२००-०
५५	सिरीया बहुउद्देशीय सहकारी समिति केलवाडा	,,	कोटा	२,०००-०
५६	चमारान सहकारी समिति बयाना	,,	भरतपुर	२००-०
५७	गंगानगर चर्म उद्योग सहकारी समिति	,,	गंगानगर	३००-०
५८	हाड मांस उद्योग सहकारी समिति	,,	उदयपुर	३००-०
५९	लुहारान सहकारी समिति	,,	नागौर	५००-०
६०	श्री गंगा चर्म उद्योग सहकारी समिति बिसालपुर	,,	जोधपुर	३००-०
६१	धरती देवी बहुधंधी सहकारी समिति	,,	उदयपुर	६२५-०
६२	श्री आदिवासी बहुधंधी सहकारी समिति धारीया वाद	,,	,,	६२५-०
६३	फालगोया ,, ,,	,,	,,	६२५-०
६४	लसाड़िया ,, ,,	,,	,,	६२५-०
६५	सारदा आदिवासी बहुधंधी सहकारी समिति	१९५४-५५	,,	६२५-०
६६	रूबिया ,, ,,	,,	,,	६२५-०
६७	कोटड़ा, वनवासी ,, ,,	,,	,,	६२५-०
६८	बोरवड़, धोलियारावतान ,,	,,	,,	६२५-०
६९	सिरीया बहुधंधी ,, ,,	,,	पाली	६२५-०
७०	ग्रासियान ,, ,,	,,	,,	६२५-०
७१	थाने राय ,, ,,	,,	,,	६२५-०
७२	सादड़ी मीना ,, ,,	,,	,,	६२५-०
७३	मूला ,, ,,	,,	,,	६२५-०
७४	श्री बजरंग ,, ,,	,,	कोटा	५००-०
७५	लखावा आदिवासी ,, ,,	,,	,,	५००-०
७६	श्री दीनबंधु सहकारी समिति नया गांव	,,	,,	५००-०
७७	श्री अमर सौपरिया बहुधंधी सहकारी समिति	,,	,,	५००-०
७८	श्री शंकर लैड़ा ,, ,,	,,	,,	५००-०

क्र० सं०	नाम समिति	साल	जिला	रकम
७६	बस्सी ट्रेनर्स को-सोसाइटी	,,	जयपुर	२००-०
८०	बसवा ,, ,,	,,	,,	२५०-०
८१	बड़ागांव ,, ,,	,,	,,	२५०-०
८२	मुहाना हरिजन बहुधंधी सहकारी समिति	,,	,,	२५०-०
८३	खारदा नया मौजा ,,	,,	,,	३००-०
८४	रेनवाल मांजी ट्रेनर्स को० सो०	,,	,,	२००-०

परिशिष्ट ५

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो सदन की मेज पर रखे गये)

(३ अक्टूबर १६५५ के प्रश्न)

प्रश्न

[२८। सी. एम.] श्री चांदमल मेहता, विभाजन संख्या ८७:--क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देनें की कृपा करेंगेः--

(क) गत वर्ष कितनी पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ?

(ख) राष्ट्रीयकरण की गई पुस्तकों में से कौन २ पुस्तकें सरकारी छापाखानों में छापी गईं और कौन सी पुस्तके प्राइवेट प्रेसों में छापी गई ?

(ग) किस २ पुस्तकों का कितना २ मूल्य रखा गया ?

(घ) सरकारी प्रेसों में छपाई हुई पुस्तकों पर प्रति फॉर्म कितना खर्चा लगा और प्राइवेट छापाखानों में छपी हुई पुस्तकों में किस २ पर प्रतिफॉर्म कितना २ खर्चा लगा ?

(ङ) उक्त मूल्य किस आधार पर रखा गया ?

(च) राष्ट्रीयकरण की गई पुस्तकों की बिक्री के लिये सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई ?

(छ) राष्ट्रीयकरण की गई पुस्तकों से सरकार को क्या प्रोफिट रहा ?

उत्तर

(क) १४ पुस्तकों का ?

(ख) निम्न लिखित पुस्तकें सरकारी छापाखाने में छापी गईं :

१. सरल विज्ञान कक्षा ६
२. सरल विज्ञान कक्षा ७
३. सरल विज्ञान कक्षा ८
४. सामान्य विज्ञान कक्षा ६
५. सामान्य विज्ञान कक्षा ७
६. सामान्य विज्ञान कक्षा ८

निम्नलिखित पुस्तकें प्राइवेट छापाखानों से छपवाई गईं :

१. अंग्रेज़ी कक्षा ६
२. इतिहास तथा नागरिक शिक्षा कक्षा ७
३. चित्र कला कक्षा ६
४. चित्र कला कक्षा ७
५. चित्र कला कक्षा ८
६. संगीत चन्द्रिका कक्षा ६ भाग १
७. संगीत चन्द्रिका कक्षा ७ भाग २
८. संगीत चन्द्रिका कक्षा ८ भाग ३

ग. निम्नांकित पुस्तकों का मूल्य निम्नांकित रखा गया।

१. सरल विज्ञान कक्षा ६	आठ आना।
२. सरल विज्ञान कक्षा ७	आठ आना।
३. सरल विज्ञान कक्षा ८	आठ आना।
४. सामान्य विज्ञान कक्षा ६	आठ आना।
५. सामान्य विज्ञान कक्षा ७	आठ आना।
६. सामान्य विज्ञान कक्षा ८	आठ आना।
७. अंग्रेजी कक्षा ६	नौ आना तीन पाई।
८. संगीत चन्द्रिका भाग १ कक्षा ६	पांच आना नौ पाई।
९. संगीत चन्द्रिका भाग २ कक्षा ७	छै आना तीन पाई।
१०. संगीत चन्द्रिका भाग ३ कक्षा ८	छै आना नौ पाई।
११. चित्र कला भाग १ कक्षा ६	तेरह आना तीन पाई।
१२. चित्र कला भाग २ कक्षा ७	चौदह आना।
१३. चित्र कला भाग ३ कक्षा ८	चौदह आना नौ पाई।
१४. इतिहास तथा नागरिक शिक्षा कक्षा ७	पन्द्रह आना नौ पाई।

घ. सरकारी प्रेसों में छपाई हुई पुस्तकों का खर्चा निम्नांकित दरों से दिया गया :

१. विज्ञान की पुस्तकें ७½ पाई प्रति फार्म। १६ पृष्ठ का।

प्राइवेट प्रेसों में छपी हुई पुस्तकों का खर्चा निम्नांकित दरों से दिया गया :

१. इतिहास तथा नागरिक शिक्षा ६¾ पाई प्रति फार्म। १६ पेज का।

२. संगीत- ७½ पाई प्रति फार्म। १६ पेज का।

३. चित्र कला ८ पाई प्रति फार्म। १६ पेज का।

ङ. जो पुस्तकें प्रकाशकों ने छापीं उनका मूल्य १६ पाई प्रति फॉर्म निर्धारित किया गया इसमें पुस्तक विक्रेताओं का १५ प्रतिशत मुनाफा था। इस मुनाफे की राष्ट्रीय-करण पुस्तकों में आवश्यकता न होने के कारण १२ पाई प्रति फार्म कीमत रखी गई।

चित्र कला एवं संगीत की छपाई में कठिनता और खर्चा अधिक होने के कारण १६ पाई प्रति फॉर्म रखी गई।

च. राष्ट्रीयकरण की गई पुस्तकों की बिक्री के लिये सरकार द्वारा वित कर मुकर्रर किये गये।

छ. राष्ट्रीयकरण की गई पुस्तकों से सरकार को असल मुनाफा १८२०३ रु० १२ आ० ३ पाई मात्र रहा।

प्रश्न

(८। आर. एम) श्री चांदमल मेहता, विभाजन संख्या ८७ :-क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद कितने नायब तहसीलदार ओफिशियेटिंग तहसीलदार बनाये गये?

[ख] उक्त नायब तहसीलदारों के नाम क्या हैं, उनकी योग्यता व लेन्थ ऑफ सर्विस कितनी है और उनको क्या वेतन मिलता था?

(ग) उक्त नायब तहसीलदारों का सीनियोरिटी लिस्ट के किस ग्रूप में कौन २ सा स्थान हैं?

[घ] उक्त व्यक्तियों में ऐसे कौन २ हैं जो पी. एस. सी द्वारा कन्फर्म्ड नायब तहसीलदार भी नहीं हैं?

(ङ) नायब तहसीलदारों में ऐसे कितने व्यक्ति है जो सीनियोरिटी की दृष्टि से उक्त व्यक्तियों के मुकाबले में उच्च स्थान रखते हैं, लेकिन उन्हें आफिशियेटिंग तहसीलदार नहीं बनाया गया है ?

उत्तर

क. एक जनवरी सन् १९५५ के बाद ६ नायब तहसीलदारों को कार्यवाहक तहसीलदार बनाया गया।

ख. लिस्ट मुलहिजे हो।

ख. लिस्ट मुलहिजे हो।

ग. कोई नहीं।

ङ. कोई नहीं।

Name of Officers with Qualification.	Date of appointment.	No.of Seniorty.	Pay,

1. Shri Chand Mal, B. A. I-6-47. N. T. Group A No.12. Not known.

2. Shri Tilak Ram, Matric. I-5-26- N. T. Group A No. 27. 200/—

3. Shri Nath Mal Sharma, B.A.LL.B. I-6-43. N. T. Group A No. 76. No. Not known-

4. Shri Sohan Lal Khanesra, B.A.L,L.B.22.41 NT. Group B. No I,215/—

5. Shri Bhonrl Lal,Non-Matric. 22-920. N. T. Group C No. 9. 175/—

6. Shri ManMohanlal. — N, T. Group -C No. 21. Not fixed as Teh.

प्रश्न

(१० । आर . एम .) श्री चांद मल मेहता विभाजन संख्या ८७ क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देनें की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़, सब डिविजन में किस २ तहसील में कौन २ भांभी नियुक्त हैं ?

(ख) उक्त भांभियों को कितनी २ तनख्वाह मिलती थी ?

(ग) उक्त भांभियों से क्या काम सरकार द्वारा लिया जाता है ?

(घ) उक्त भांभियों को कब से तनख्वाह नहीं मिल रही है ?

(ङ) तनख्वाह नहीं मिलने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

क. इस समय किशनगढ़ उपजिले में किसी किसी तहसील में भांभी नियुक्त नहीं हैं।

ख. पहले खलासा के गांवों में प्रत्येक को ३ रुपये १२ आने माहवार दिये जाते थे।

ग. ये भांभी गश्त गिरदावरी के वक्त पटवारियों को जरीब खैंचने में मदद देते थे।

घ. इन भांभियों के पिछले काम की कुल रकम ४०-४० रुपये देने बाकी है, जिसको देने की कार्यवाही हो रही है।

ङ. तनख्वाह न मिलने का कारण ऑडिट ऑब्जेक्शन वगैरह था।

प्रश्न

४ (११ । आर, एम.) श्री चांदमल मेहता विभाजन संख्या ८७-क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे;-

(क) राजस्थान में तहसीलों की संख्या कितनी है ?

(ख) ऐसी कितनी तहसीले हैं जहां ऑफिशियेटिंग तहसीलदार काम कर रहे हैं ?

(ग) कितने ऑफिशियेटिंग तहसीलदारों को तहसीलदार बनाने का सरकार द्वारा निर्णय किया गया ?

(घ उक्त निर्णय कब किया गया और उसे पी.एस.सी. के पास कनफर्मेशन के लिये कब भेजा गया ?

उत्तर

क. राजस्थान में तहसीलों की संख्या २१० है।

ख. ऐसी ८४ तहसीले हैं जहां पर स्थानापन्न तहसीलदार कार्य कर रहे है।

ग. यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

घ. अभी दिये हुवे उत्तर से यह प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न

५ (१० सी. आई. एम) श्री चांदमल मेहता विभाजन संख्या ८७:-क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में सेल्स एम्पोरियम कहां २ खुले हुये हैं ?

(ख) उक्त एम्पोरियम में किस किस में कितना कितना स्टाफ है और कितनी कितनी पूंजी लगी हुई है ?

(ग) सन् ५४-५५ के वर्ष में किस किस एम्पोरियम में कितना कितना मूल्य का माल बेचा गया ?

(घ) सन् ५४-५५ के वित्तीय वर्ष में किस किस एम्पोरियम में स्टाफ की तनख्वाह व अन्य खर्चा कितना कितना हुआ ?

(ङ) उक्त एम्पोरियम द्वारा किन किन उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है ?

(च) उक्त एम्पोरियम में किन किन की जांच किस किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

(छ) किस किस एम्पोरियम में किस किस उद्योग का कितना कितना रुपया कितने समय से देना निकलता है ?

उत्तर

(क) इसका उत्तर संलग्न तालिका के खाना नं० १ में दिया गया है।

(ख) इसका उत्तर खाना नं० २ व ३ में दिया गया है। हैन्डलूम डिपोज़ में सरकारी बुनकर समितियों द्वारा कपड़ा लाकर बेचने के लिए रखा जाता है। सरकार स्वयं कपड़ा खरीद कर नहीं बेचती है इसलिये पूंजी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इसका उत्तर खाना नं० ४ में अंकित है।

इसका उत्तर खाना नं० ५ व ६ में दिया गया है।

हाथी दांत, चन्दन, चमड़ा, लाख तथा धातु से बनी हुई वस्तुयें, कुट्टी के खिलोनें, कपड़े पर छपाई, लकड़ी के खिलौनें, खस की वस्तुयें, मीनाकारी का काम, बुनाई, टाई और डाई, खादी, हाथ कागज, शुद्ध घृत, हाथ करघा का कपड़ा आदि को प्रोत्साहन मिला है ।

(च)हेन्डीक्राफ्ट्स एम्पोरियम की जांच अकाउन्टेन्ट जनरल व इस कार्यालय द्वारा हुई है । ग्रामोद्योग व हाथ करघा बिक्री केन्द्रों की जांच अभी नहीं हुई क्योंकि ये नये खुले हैं ।

(छ) इस प्रश्न का उत्तर संलग्न तालिका के खाना नं० ७ में अंकित किया गया है ।

सेल्स एम्पोरियम का विवरण सन् '५४-५५ में

स्थान	स्टाफ सेल्स मेन	स्टाफ चतुर्थ वर्ग	पूंजी	माल बेचा	स्टाफ का खर्चा	अन्य व्यय	कितना २ रूपया देना बकाया	विशेष विवरण
१	२		३	४	५	६	७	८
१. हैन्डी क्राफ्ट्स एम्पोरियम जयपुर								
१. अजमेरी गेट	१	२	५५,०००-	१६,३३४	३,७५६	६४०	३,२६८	खासा कोठी व अजमेरी गेट के दोनों के आंकड़े शामिल हैं।
२. खासा कोठी	१	२						
२. जोधपुर	०	०	१५.१२.५४ से बन्द है	६३२	१,६६२	१,६७०	६६८	यह रूपया हमारे पास बैंक में जमा हैं। पार्टीज़ ने कन्साइनमेंट बेसिस पर माल भेजा किन्तु कीमत के लिये अभी तक क्लेम नहीं किया। पार्टीज़ की तरफ से क्लेम आने पर चुकारा कर दिया जावेगा।
३. राजस्थान खादी ग्रामोद्योग सेल्स एम्पोरियम, जयपुर मिनिस्टीरियल	६	१	३०,०००	चालू नहीं हुआ था			६,५६५	१० सितम्बर तक यह रकम देनी निकलती है।
४. हेन्डलूम सेल्स डिपो, सेल्समेन								इनका बजट अभी स्वीकार नहीं हुआ है। केवल जो स्टाफ काम कर रहा है उसका अंक दिया गया है।
जयपुर	१	१	,,	५७१	३३०	१,५१०	...	१०. १२. ५४ को चालू हुआ
५. जोधपुर	१	१	...	८,७५२	२८५	१८६	....	१. १. ५५ को चालू हुआ
६. कोटा	१	१	...	४१६	१६६	६८६	...	४. १. ५५ को चालू हुआ
७. अलवर	१	१	...	...	७६	५०	....	२२. २. ५५ को चालू हुआ
८. सवाई माधोपुर	१	१	...	...	६६	....	.....	१४. ४. ५५ को चालू हुआ

सेल्स एम्पोरियम का विवरण सन ५४-५५में

१	२	३	४	५	६	७	८
९. नागोर	१	१	...	...	२४१	२४०	....	२६. १२. ५४ को चालू हुआ
१०. उदयपुर	१	१	...	६	३१५	३३६	....	१०. १. ५५ को चालू हुआ
११. भीलवाड़ा -			— चा लू न हीं हु आ				

नोट :—हाथ कग्घा योजना बिल्कुल नहीं होने से उससे जनता को परिचित कराना आवश्यक था इसलिये प्रत्येक सेल्सडिपो का स्टाफ रख लिया गया जिन्होंने बुनकरों के पास जाकर उनका संगठन कर योजना से उन्हें अवगत कराया। इसलिये आमदनी के मुकाबले में खर्चा ज्यादा हुआ।

जयपुर इम्पोरियम द्वारा रकम चुकाया जाना : बकाया उसकी सूची

नाम	रकम			समय
	रु०	आ०	पा०	ता०
१. गद्दी बेचने वालों को	५५	०	०	६ अगस्त, ५५
२. पीतल के कारीगरों को	४८०	०	०	३१ मार्च, ५५
३. चूड़ी वालों को	१६	०	०	२६ अगस्त, ५५
४. दरी के व्यापारी	१५३	०	०	२ नवम्बर, ५३
५. लकड़ी के खिलोने के व्यापारी	४८	०	०	२८ ,, ५३
६. अगरबत्ती के व्यापारी	५६	०	०	६ अप्रेल सन् ५४
७. कपड़े छापने वालों को	८४	०	०	५ मार्च सन् ५२
८. रेशम के व्यापारी	७७	०	०	८ अप्रेल ,, ५०
६. सरकारी कार्यालय	१४६२	०	०	नवम्बर ५३,५४
११ कांप व्यापारी	२६	०	०	२५ नवम्बर, ५४
१२ बनियान के बुनने वाले	७८	०	०	२३ सितम्बर, ५४
१३. मुतफर्रिक व्यापारी	४२५	०	०	६ अगस्त, ५५
१४. दुशाले वाले	२८४	०	०	२४ फरवरी ५१
१५. गोटा के व्यापारी	३७	०	०	२ सितम्बर ५५

जोधपुर द्वारा रकम चुकना बकाया उसकी सूचि

उद्योग का नाम	रकम बाकी	कितने समय से
	रु० आ० पा०	ता०
१. जोरी शिल्पशाला, लाडनू	१ ७ ०	१.७.५२
२. गनेशराज बंगाली, बालोतरा	८ ४ ०	१,२ ५२
३. ट्रेनिंग सैन्टर, मौलासर	८ ६ ०	१,७,५२
४. मारवाड़ कोटेज इन्डस्ट्रीज़, महारनिया	१७ ८ ६	८.११.५४
५. सोलंकी फार्मेसी, जोधपुर	० १५ ०	१४,२,५५
६. लक्ष्मी कोटेज फैक्ट्री, सोवात	११ ११ ३	१, ४,५५
७. निवारघर मकबूल हुसेन, जोधपुर	१ १० ०	१, ४,५५
८. कपूरचन्द सैयाजी, सुमेरपुर	३३ १३ ०	५,१२,५३
९. मारकेटिंग ऑफिसर, जयपुर	१६८-११ ३	१, ५,५५
१०. सु. कोटेज इन्डस्ट्रीज़ जोधपुर	० ७ ३	१३,८,५४
११. डि.डाइरेक्टर बंगाल	१६ ८ ०	६, ४,५५
१२. जिजय फार्मेसी, जोधपुर	१ २ १	१,११,५४
१३. जोधपुर जिंक मैटल वर्क्स	३८ ३ ०	१४,२,५५
१४. छीपा मुसाजी, पाली	६३६३१४ ०	२३,८,५५
१५. नत्थू पैपर मशी टोय, जोधपुर	० १४ ०	१, ४,५५
१६. जोधपुर होजरी वर्क्स जोधपुर,	११ ४ ६	१,११,५४
१७. महेश्वरी क्लौथ फैक्ट्री, परवतसर	२ ८ ०	१३,८,५४
१८. हैन्ड डायर्स एन्ड प्रिन्टर्स एसोसियेशन, बाड़मेर	१६० १५ ०	२३,८,५५
१९. अब्दुल रहमान अलानूर जोधपुर	१६० ३ ०	१५,६,५५
	६६८ २ ६	

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, एम्पोरियम के द्वारा रकम चुकाया जाना बकाया जिसकी सूचि

		रु०	आ०	पा०
१.	राजस्थान खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, गोविन्द गढ़	२६६५	६	६
२.	उद्योग मंदिर, जयपुर	१०२७	८	३
३.	एमरी स्टोन कं०, कुचामनरोड़	५७०	५	०
४.	राजस्थान खादी संघ, जयपुर	२६३	२	०
५.	राजस्थान खादी भंडार, बंबई	१११६	०	०
६.	कागज उद्योग सोसायटी, सांगानेर	२६१	१२	०
७.	खादी प्रतिष्ठान, बीकानेर	१५३७	३	६
८.	महत मत्स्य राज्य ग्राम सेवा मंडल करोली	१३९८	०	९
९.	खादी मंदिर बीकानेर	१२१५	१५	०
१०.	अन्य लोगों में	५०	०	०
	मीजान	९५९५	५	९

नोटः उपरोक्त रकम एक महिने से देनी चली आ रही है।

१० अक्टूबर, १९५५ का प्रश्न

प्रश्न

(१४१) सो. एम.) श्री भैरोंसिंह (१६)–क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) सरकार के पास किस २ के कितने २ जागीर कर्मचारियों के आवेदन पत्र राज्य-सेवा में लिये जाने हेतु प्रस्तुत हुये ?

(ख) किस किस ठिकाने के कितने कितने कर्मचारियों को राज्य-सेवा में लिया गया ?

(ग) जिनके आवेदन-पत्र खारिज किये गये उनके क्या कारण हैं।

उत्तर

(क) (ख) सूचना जो यहां उपलब्ध है वह जागीरवार न होकर जिलेवार है, जिसकी सूची संलग्न है।

(ग) प्रार्थी कर्मचारियों में से योग्य कर्मचारियों को छांट कर सेवा में लेने का कार्य नियमों द्वारा कलेक्टरों को सौंपा गया था। उन्होंने जिनको योग्य समझा उनको राज्य सेवा में अस्थाई रूप से ले लिया।